Par. S. 17. II. 16. 53
285

अंक २
संख्या १६

बुधवार
२२ अप्रैल, १९५३

सत्यमेव जयते

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

तीसरा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

—:o:—

भाग १—प्रश्न और उत्तर

विषय-सूची

प्रश्नों के मौखिक उत्तर [पृष्ठ भाग ३३६३—३४१५]
प्रश्नों के लिखित उत्तर [पृष्ठ भाग ३४१५—३४२६]

(मूल्य ४ आने)

250 P.S.D.

संसदीय वाद विवाद

(भाग १—प्रश्न और उत्तर)

शासकीय वृत्तान्त

लोक सभा

बुधवार, २२ अप्रैल, १९५३

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष पद-पर आसीन थे।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

बंगलोर स्थित पोर्सलेन-निर्माणशाला का प्रसार

*१५१४ डा० राम सुभग सिंह (क) **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार बंगलोर स्थित पोर्सलेन-निर्माणशाला का उच्च तनाव के आबेध यन्त्र बनाने के लिए, प्रसार करने का है ?

(ख) यदि है तो उस प्रसार योजना की अनुमानित लागत क्या है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) हां, श्रीमान। उच्च तनाव के आबेध यन्त्र बनाने के लिए मैसूर सरकार का प्रस्ताव बंगलोर स्थित अपनी पार्सलेन निर्माणशाला का प्रसार करने का है।

(ख) लगभग ७५ लाख रुपये।

डा० राम सुभग सिंह : श्रीमान मैं जान सकता हूं कि क्या मैसूर सरकार उस प्रसार कार्यक्रम को स्वयं कार्यान्वित करेगी अथवा किसी समवाय को दे दिया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जहां तक मैं जानता हूं, श्रीमान, यह पूर्णतः मैसूर सरकार का मामला होगा।

डा० राम सुभग सिंह : प्रसार कार्यक्रम के पूर्ण होने के पश्चात निर्माणशाला की वार्षिक निर्माण-क्षमता क्या होगी ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : उनकी आजकल अधिष्ठापित क्षमता ६५० टन है। इसका प्रसार करके २,४०० टन करने का विचार है।

डा० राम सुभग सिंह : श्रीमान, मैं जान सकता हूं कि क्या उस प्रसार कार्य के लिए आवश्यक टैक्नीकल व्यक्ति देश में उपलब्ध हैं अथवा उन्हें अन्य देशों से बुलाना पड़ेगा ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इस विशेष मामले में एक जापानी फर्म से समझौता हुआ है और वह मैसूर सरकार को आवश्यक टैक्नीकल सहायता देगी। इसके अतिरिक्त, हमें संयुक्त राष्ट्रीय टैक्नीकल सहायता प्रशासन का एक

विशेषज्ञ प्राप्त हो गया है जो देश में ही है, और मैसूर सरकार उसकी सेवाओं का उपयोग अपने प्रसार कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में करेगी।

श्री टी० के० चौधरी : क्या मैं जान सकता हूं कि. वास्तव में, यह निर्माणशाला किसकी है अर्थात केन्द्रीय सरकार की या मैसूर सरकार की ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं ने बताया कि यह मैसूर सरकार का मामला है।

जूट के कारखाने

***१५१५. श्री बी० के० दास** : वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि जूट से अत्यधिक भूषाचारी कपड़े बनाने तथा रेशा उत्पन्न करने के लिए लीड्स विश्व विद्यालय में वस्त्र वैज्ञानिकों के एक दल ने परीक्षण किये हैं ;

(ख) क्या भारतीय जूट मिल्स संस्था के प्रतिनिधियों ने इन परीक्षणों में भाग लिया है ; और

(ग) संसार भर में जूट-वस्त्र के लिए अच्छा बाजार ढूंढने की दृष्टि से परीक्षणों को व्यवहारिक बनाने के लिए क्या कोई कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) तथा (ख). सरकार समझती है कि स्थिति ऐसी ही है जैसी बताई गई है। फिर भी, उन्हें सलाह दी गई है कि उनका यह कहना कि जूट का प्रयोग अत्याधिक भूषाचारी पहनने के वस्त्र बनाने तथा कपड़ा तयार करने में हो सकता ह, बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना ह गा।

(ग) जूट से वस्त्र बनाने सम्बन्धी परीक्षण अभी प्रयोगशाला में ही है। जहांतक कपड़ा तैयार करने का संबंध है, भारत के कुछ मिलों ने यह सफलतापूर्वक बनाया है।

श्री बी० के० दास : क्या भारत में भी कोई ऐसा परीक्षण किया गया था ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : हां, श्रीमान् मैं समझता हूं कि भारतीय जूट मिल्स संस्था से सम्बद्ध केन्द्र ये परीक्षण कर रहा है।

श्री बी० के० दास : क्या यह आशा है कि अन्य वस्तुओं से इसी प्रकार का कपड़ा बनान की अपेक्षा इसकी लागत कम होगी ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह एक बड़ा ही उलझा हुआ मामला है। कुछ समय पूव जब मैं कलकत्ता में था, मैं इस केन्द्र को देखने गया और वह परीक्षण देख जो वहां किये जा रहे हैं। कुछ कपड़े मिश्रित हैं—केवल जूट के कपड़े नहीं, परन्तु कुछ बनावटी रेशम के किस्म के भी। जब वस्तुएं प्रयोग-शाला तक ही सीमित हैं तो लागत का हिसाब लगाना और यह जानना कि अन्त में यह सस्ता होगा या नहीं, बड़ा कठिन है।

पंडित अलगूराम शास्त्री : मैं यह जानना चाहता था कि क्या इन फैबरिक्स से मोटे कपड़े भी बन सकते हैं, जो गरीब आदमियों के प्रयोग में आ सकें, या इन से सिर्फ़ भूषा-चारी कपड़े ही बनाये जाते हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान्, कपड़ा मोटा है इन अर्थों में कि यह थोड़ा अधिक मोटा होता है। परन्तु कभी कभी मोटा कपड़ा भी भूषाचारी होता है।

श्री एस० सी० सामन्त : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या पश्चिमी बंगाल में अनुसन्धान केन्द्र भी जूट, कपास तथा अन्य वस्तुओं के मिश्रण का अनुसन्धान कर रहा है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं ने अनेक किस्म के मिश्रण देखे हैं जो उन्हों ने बनाये हैं। कभी यह बनावटी सिल्क होता है, कभी सिल्क होता है--सब प्रकार के परीक्षण किये जा रहे हैं ।

अधिग्रहणित मकान

***१५१६. श्री बहादुर सिंह :** (क) **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५२ में दिल्ली में अचल सम्पत्ति अधिग्रहण तथा अर्जन अधिनियम, १९५२ के अ-तर्गत कितने मकानों का अधिग्रहण किया गया ?

(ख) क्या १९५२ में किन्हीं मकानों को अधिग्रहणमुक्त किया गया ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद उप-मंत्री (श्री बुरागोहिन) : (क) ५१।

(ख) हां, श्रीमान्, ६२।

श्री बहादुर सिंह : श्रीमान, मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार उन मकानों के स्वामियों को, जिनके मकान अधिग्रहणित किये जोते हैं, किराये के भुगतान की गारन्टी देती है ?

श्री बुरागोहिन : किराये का भुगतान स्वामियों को--मकानों के स्वामियों को--क्रमानुकूल किया जाता है ?

श्री पी० एन० राजभोज : गवर्नमेंट ने पब्लिक से जो हाउसेज़ लिये हैं, उनको किन किन-आवश्यक कामों में ला रही है?

श्री बुरागोहिन : दिल्ली के कलक्टर ने स्कूलों, राशन के भण्डारों, रहने के स्थानों, कार्यालयों तथा नगर पालिका की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मकानों का अधिग्रहण किया था ।

श्री बहादुर सिंह : क्या सरकार को यह शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि बहुत से किरायेदारों ने मकान मालिकों को किराया नहीं दिया है ?

श्री बुरागोहिन : यदि सरकार को किसी मुख्य मामले की सूचना दी जाती है तो हम उसकी जांच कर सकते हैं।

श्री गिडवानी : मकानों को अधि-ग्रहण करते समय, उन मकानों में रहने वालों को क्या उसके बदले अन्य मकान दिया जाता है ?

श्री बुरागोहिन : बदले का मकान देने का भरसक प्रयत्न किया जाता है।

मिस्री कपास का प्रतिनिधि मण्डल

***१५१७ श्री वी० पी० नायर :** (क) **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि मिस्री कपास का तृसदस्यीय सरकारी प्रतिनिधि मण्डल, जिसके नेता श्री हसन मवादी थे जनवरी १९५३ में भारत आया था ?

(ख) यदि आया था तो क्या भारत सरकार ने मिशन से बातचीत की थी ?

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक हो तो क्या सरकार वार्ता सम्बन्धी एक टिप्पणी सदन पटल पर रखेगी ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णामाचारी) : (क) हां ।

(ख) नहीं ।

(ग) उत्पन्न ही नहीं होता ।

श्री वी० पी० नायर : श्रीमान् मैं जान सकता हूं कि क्या श्री मवादी भारत सरकार के बुलाने पर आये थे। अथवा उन्हे मिस्र सरकार ने भेजा था ?

श्री टी० टी० कृष्णामाचारी : श्रीमान् भारत सरकार का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है । यह पूर्णतः एक गैर-सरकारी

मिशन था जिसने भारत सरकार से ऐसी कोई बातचीत नहीं की।

श्री वी० पी० नायर : श्रीमान, मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को यह विदित है कि अखबारों में यह छपा था कि श्री हसन मवादी मिस्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में सरकार से सरकारी बातचीत करने के लिये आये थे ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान्, मुझे पता नहीं कि अखबारों में क्या छपा है। मैं जो कुछ जानता हूं वह यह है कि हमें तथ्य की कोई सूचना नहीं थी कि यह सरकारी प्रतिनिधि मण्डल है, और न ही उस सरकार ने इस प्रकार की कोई सूचना दी थी।

श्री वी० पी० नायर : श्रीमान, क्या यह सत्य नहीं है कि पिछले वर्षों में संयुक्त राज्य अमरीका ने भारत को निर्यात होने वाली अपनी कच्ची कपास की मात्रा में वृद्धि कर दी है और इस प्रकार उसने मिस्र को बाज़ार से बाहर निकाल देने का प्रयत्न किया है ? क्या यह भी सत्य नहीं है.....

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। उत्तर देने के लिये यह प्रश्न अत्याधिक लम्बे हैं।

श्री वी० पी० नायर : क्या यह सत्य नहीं है कि क्योंकि मिस्र को धीरे धीरे बाज़ार से बाहर निकाला जा रहा है, मुख्यकर कच्ची कपास देने से, इसलिए मिस्र सरकार ने एक प्रतिनिधि मण्डल यहां भेजा था ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में यह प्रश्न भारत सरकार की बजाय मिस्र सरकार से पूछा जाना चाहिये।

गोल मिर्च तथा इलायची पर शुल्क

*१५१८ **श्री वी० पी० नायर** : (क) क्या **वाणिज्यत था उद्योग** मंत्री ५ नवम्बर, १९५२ को श्री एन० एस० नायर द्वारा पूछे गये साधारण प्रश्न संख्या १ के उत्तर का निर्देश करने ~~की~~ सदन पटल पर एक ऐसा विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें १९५०, १९५१ तथा १९५२ में गोल मिर्च तथा इलायची पर लगाये गये शुल्क की धन राशियां दिखाई गई हैं ?

(ख) क्या भारत सरकार इन वस्तुओं के नये बाज़ार ढूढ़ने अथवा स्थापित बाज़ारों में उच्च मूल्य प्राप्त करने के लिए कुछ धन व्यय कर रही है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : (क) एक विवरण जिसमें १९५०-५१ तथा १९५१-५२ के वित्तीय वर्षों की अपेक्षित सूचना दी गई है सदन पटल पर रखा गया है।

(ख) कथित उद्देश्यों के लिए विशेष रूप में कोई धन व्यय नहीं होता है, परन्तु हमारे निर्यात कर्ता विदेशों में हमारे वाणिज्य प्रतिनिधियों की सेवाओं से कोई लाभ नहीं उठाते।

विवरण

१९५०-५१ तथा १९५१-५२ में गोल मिर्च तथा इलायची पर ली गई आयात शुल्क।

वर्ष	ली गई आयात शुल्क	
	गोल मिर्च	इलायची
	रुपये	रुपये
१९५०-५१	३७,१७४	२,०२९
१९५१-५२	७२,६९७	११,६१९

श्री वी० पी० नायर : क्या पूर्वी योरोप, रूस तथा चीन के देशों को गोल मिर्च का विक्रय करने का कोई प्रयत्न किया गया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: मैं प्रश्न की पूर्वसूचना चाहता हूं ।

श्री वी० पी० नायर : मैं जान सकता हूं कि क्या हमारे वाणिज्य प्रतिनिधियों के प्रयत्नों के फलस्वरूप इन देशों से उत्तम व्यापार हुआ है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: सरकार आजकल यही समझती है ।

श्री वी० पी० नायर: क्या यह सत्य नहीं है कि गोल मिर्च के मूल्य में कभी वृद्धि और कभी कमी होती रहती है क्योंकि गोल मिर्च जमे बाज़ार की एकाधिकृत वस्तु है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: प्राय: यह चढ़ाव उतार अन्तर्देशीय बाज़ारों में होते ह जिनकी कभी कभी निर्यात व्यापार स्थिर रखने की सम्भावनाओं पर प्रतिकूल प्रतिक्रिया होती है ।

श्री ए० एम० टामस: श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि इन वर्षों में कर लगाने का आधार क्या रहा है—मूल्यानुसार अथवा किसी और प्रकार । क्या कर एकसा था और क्या सरकार का विचार वर्तमान दर को ही लागू रखने का है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : प्रश्न का संबंध आयात-शुल्क से है। मेरे माननीय मित्र निर्यात-शल्क के विषय म कुछ जानना चाहते हैं । इलायची पर कोई निर्यात-शुल्क नहीं है जबकि गोल मिर्च पर शुल्क मल्यानुसार ३० प्रति शत होती है ो एक हन्ड्रेडवेट पर अधिक से अधिक १५० रुपये हो सकती है। निश्चय ही मेरे माननीय मित्र यह नहीं चाहते कि मैं उन्हें यह बताऊं कि निकट भविष्य में हम इसे बढ़ाने अथवा कम करन का विचार करते हैं ।

तेल शोधक कारखाने

*१५१९. **श्री जसानी :** (क) क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने कि कृपा करगे कि जब तीनों तेल शोधक कारखाने काम करें तो शोधित तेल का उनका वर्ष भर का कुल अनुमानित उत्पादन क्या है ?

(ख) अशोधित तेल की वार्षिक कुल खपत कितनी होगी ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) जब तीनों तेल शोधक कारखानें काम करने लगेंगे तब उनसे शोधित तेल का वार्षिक कुल उत्पादन लगभग ३४ लाख टन होगा ।

(ख) इन कारखानों में अशोधित तेल की वार्षिक कुल खपत लगभग ३८ लाख टन होगी ।

श्री जसानी : क्या मैं जान सकता हूं कि हमें यह अशोधित तेल कहां से प्राप्त होता है ? क्या हमने इस तेल के सम्भरण के लिए विदेशों से कोई प्रसंविदा किया है ?

श्री के० सी० रेडडी: अशोधित तेल का आयात करने के लिए सरकार ने कोई प्रसंविदा नहीं किया है । वे समवाय जो तेल-शोधक कारखाने चालू कर रही हैं स्वयं अशोधित तेल का आयात करेंगी । आजकल हमारे देश में अशोधित तेल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है ।

श्री जसानी: क्या मैं उन समवायों के नाम जान सकता हूं जिनके साथ सरकार ने हमारे देश में तेल शोधक कारखाने चलाने के लिए प्रसंविदा किया है ?

श्री के० सी० रेड्डी: अनेकों बार इसका उत्तर दिया जा चुका है। इन समवायों के नाम हैं : बर्मा शैल, स्टैन्डर्ड वैक्वाअम आयल कम्पनी और कालटैक्स (इण्डिया) लिमिटेड।

श्री जसानी: हमारे देश की शोधित तेल की वार्षिक कुल आवश्यकता क्या है ?

श्री के० सी० रेड्डी: यह एक रहस्य है। फिर भी मैं यह कह सकता हूं कि आजकल यह लगभग ४० लाख टन की है परन्तु यह कोई स्थिर मांग नहीं है। यह बदलती रहती है।

श्री नानादास: मैं जान सकता हूं कि क्या इन समवायों के पास कोई गारन्टी है कि उन्हें अशोधित तेल आवश्यकतानुसार मात्रा में प्राप्त होगा ?

श्री के० सी० रेड्डी: हां, उन्होंने स्वयं आश्वासन दिया है कि कारखानों के लिए अशोधित तेल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होगा।

गांव का पूर्ण व्यवसाय

*१५२०. **श्री एस० एन० दास:** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गान्धी स्मारक निधि द्वारा प्रकाशित एक गांव के पूर्ण व्यवसाय की योजना का, जिसमें जनशक्ति का एकत्रीकरण करके पूर्ण साधनों का पूर्ण उपयोग करने के लिए मज़दूर बैंकों की स्थापना का सुझाव दिया हुआ है, सरकार ने अध्ययन तथा जांच कर ली है।

(ख) यदि कर लिया है तो क्या प्रस्ताव की दृढ़ता का परीक्षण करने के लिए सरकार कुछ केन्द्र खोलने का विचार कर रही है ?

योजना, सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (श्री नन्दा): (क) हां।

(ख) नहीं। फिर भी, सरकार उन केन्द्रों में, जो गान्धी स्मारक निधि ने परीक्षण करने के लिए हाल में ही चुने हैं, परीक्षणों के परिणामों को ध्यानपूर्वक देखेगी।

श्री एस० एन० दास: मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को किसी ऐसे केन्द्र का पता है जो गान्धी स्मारक निधि ने योजना को कार्यान्वित करने के लिए छांटा हो और यदि पता है, तो क्या सरकार काम करने के ढंग का अध्ययन करन के लिए अपने कुछ अधिकारियों को भेजने का विचार कर रही है ?

श्री नन्दा: योजना को कार्यान्वित करने के लिए ४ केन्द्र छांटे गये हैं और पांचवे केन्द्र की छांट विचाराधीन है। निश्चय ही सरकार इस परीक्षण की प्रगति से बड़ा निकट सबंध रखेगी।

श्री एस० एन० दास: योजना के महत्व की दृष्टि से, मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार इस योजना के सविस्तृत विवरण को प्रत्येक राज्य-भाषा में प्रकाशित करके तथा उनका देश में वितरण करके इस योजना का विशाल प्रचार करने का विचार करती है ?

श्री नन्दा: सम्बन्धित संस्था इस मामले में आवश्यक कार्यवाही कर रही है और, आग क्या करने की आवश्यकता है, इस पर भी सरकार विचार करेगी।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : इन चार केन्द्रों के नाम क्या क्या हैं और क्या सरकार गांधी स्मारक निधि के परीक्षणों के परिणामों को सदन पटल पर रखेगी ?

श्री नन्दा : ये चार स्थान हैं :—

(१) बलरामपुर, ज़िला मिदनापुर।

(२) बल्लभनगर, राजस्थान।

(३) भीलवाड़ा, राजस्थान।

(४) एखतपुर, ज़िला शोलापुर।

श्री पी० एन० राजभोज : गांवों के बेरोज़गार लोगों का रोज़ी देने की जो योजना बनाई जायेगी उसमें शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों को तरजीह दी जायेगी या नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति।

श्री गाडगिल : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार इन योजनाओं का, यह पता लगाने की दृष्टि से कि कौनसी उत्तम है, अध्ययन कर चुकी है ?

श्री नन्दा : सरकार ने उस योजना का बड़ी सावधानी के साथ अध्ययन किया है, जो इस प्रकाशन में सम्मिलित है।

कुछ माननीय सदस्य उठे —

अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य ऐसी इच्छा रखते हैं तो मेरे विचार से यह अच्छा होगा कि प्रश्न गांधी स्मारक निधि से पूछे जायें।

सामूहिक योजनाओं के नये क्षेत्र

***१५२१. श्री एल० एन० मिश्र :** (क) योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सामूहिक योजनाओं के कार्यों के लिए कुछ नये क्षेत्र छांट लिए गये हैं ?

(ख) यदि छांट लिए गये हैं तो ऐसी योजनाओं की संख्या क्या है और ऐसे कार्य कहां होंगे ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) तथा (ख) माननीय सदस्य का ध्यान सामूहिक विकास कार्यक्रम सम्बन्धी क्रियात्मक समझौता, संख्या ८ के परिशिष्ट की ओर आकर्षित किया जाता है जिसकी एक प्रति २५-३-१९५३ को तारांकित प्रश्न, संख्या ९७९ के उत्तर में सदन पटल पर रखी गई थी। समस्त राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात क्षेत्रों की छांट की जायेगी।

श्री एल० एन० मिश्र : मैं जान सकता हूं कि क्या इन ५५ ब्लाकों का राज्यानुसार बांटा गया है ?

श्री नन्दा : हां। सामान्यतः वे समस्त राज्यों को नियत किये जायेंगे।

श्री एल० एन० मिश्र : मैं जान सकता हूं कि क्या प्रशिक्षित व्यक्तियों की कमी के कारण प्रगति कुछ धीमी पड़ गई है ?

श्री हाथी : सारे मामलों में ऐसा नहीं है। केवल दो मामलों में ऐसी परिस्थिति थी।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या मैं हाल में हुए सामूहिक योजनाओं सम्बन्धी विकास आयुक्तों के सम्मेलन की वार्ता की मुख्य मुख्य बातें जान सकता हूं ?

श्री हाथी : इस सम्बन्ध में एक भिन्न प्रश्न है और मैं उसका उत्तर दे रहा हूं। जैसे ही रिपोर्ट को अन्तिम रूप मिल जायेगा, वह तुरन्त पटल पर रख दी जायेगी।

श्री रघुरामय्या : मैं जान सकता हूं कि ये छांट करने में क्या क्रमानुकूल सम्बन्धित क्षेत्रों के स्थानीय विधान मण्डल के सदस्यों से परामर्श किया जाता है ताकि उनकी आवश्यकताओं का अनुमान लगाया जा सके ?

श्री हाथी : यह राज्य सरकारों को करना चाहिए।

श्री आल्तेकर : क्या मैं छांट करने के सिद्धान्त को जान सकता हूं ?

श्री हाथी : १९५२-५३ में आरम्भ की गई योजनाओं के कार्यान्वित होने में प्रगतिशील परिणामों का प्राप्त होना और कार्यक्रम के अतिरेक उत्तरदायित्व में हाथ बटाने के लिए राज्य सरकारों का तैयार होना, सिद्धान्त होना चाहिए।

कुमारी एनी मस्करीन : मैं जान सकती हूं कि क्या सरकार को विदित है कि इन गांवों में जनशक्ति को गांवों के आधार पर उपयोग नहीं किया जाता अपितु ज़बरदस्ती सहकारिता के आधार पर उपयोग किया जाता है ?

श्री हाथी : मेरे पास कोई सूचना नहीं है। ज़बरदस्ती सहकारिता कहीं नहीं होती।

श्री चिनारिया : मैं जान सकता हूं कि क्या इस बार सिंचाई सुविधाओं से वंचित क्षेत्रों पर यथोचित विचार होगा ?

श्री हाथी : उस पर विचार किया जायेगा।

अखिल भारतीय मुद्रक सम्मेलन

*१५२२. **श्री एस० एन० दास :** **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या हाल में बम्बई में हुए अखिल भारतीय मुद्रक सम्मेलन में भारत सरकार के छपाई तथा लेखन-साधन विभाग के प्रतिनिधि ने भाग लिया था ;

(ख) यदि लिया था तो कौन विभाग का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया था ;

(ग) क्या उस सम्मेलन द्वारा स्वीकार किये गये संकल्पों की एक प्रति भारत सरकार को प्राप्त हो गई है ; तथा

(घ) यदि हो गई है तो क्या वहां दिये गये सुझावों तथा की गई सिफ़ारिशों पर विचार किया गया है ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) नहीं, श्रीमान।

(ख) उत्पन्न ही नहीं होता।

(ग) नहीं, श्रीमान।

(घ) उत्पन्न ही नहीं होता।

श्री एस० एन० दास : मैं जान सकता हूं कि क्या मंत्री जी का ध्यान समाचारपत्रों में छपी इस सम्मेलन की रिपोर्ट की ओर आकर्षित किया गया था ?

सरदार स्वर्ण सिंह : हां श्रीमान्।

श्री एस० एन० दास : मैं जान सकता हूं कि छपाई की कला के महत्व की दृष्टि से क्या छपाई में प्रशिक्षा तथा अनुसन्धान के लिए एक अखिल भारतीय केन्द्र की

स्थापना के प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही ह अथवा करने की सम्भावना है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : कार्यवाही के लिए यह एक सुझाव है। अभी इस पर विचार नहीं हो रहा है।

पहाड़ी ज़िलों तथा आदिमजाति क्षेत्रों का सामूहिक विकास

***१५२३. श्री रिशांग किशिंग :** योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अविकसित पहाड़ी ज़िलों तथा एकान्त में आदिमजाति-क्षेत्रों में टैक्निशियनों की कमी के कारण सामूहिक विकास कार्यक्रम में बाधायें पड़ती हैं; यदि पड़ती हैं तो उन क्षेत्रों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या सामूहिक योजना-प्रशासन ने देश के देशभक्त नागरिकों से इस कमी को पूरा करने की दृष्टि से आगे बढ़ने का निवेदन किया है;

(ग) यदि किया है तो कितने व्यक्तियों ने अपनी सेवायें देने की इच्छा प्रगट की है और यह कमी किस सीमा तक पूरी हो गई है; तथा

(घ) अविकसित पहाड़ी ज़िलों तथा एकान्त आदिम जाति-क्षेत्रों में सामूहिक विकास कार्यक्रम मे टैक्नीकल व्यक्तियों की कमी के कारण बाधा फिर उत्पन्न न होने देने के लिए क्या सरकार कोई कार्यवाही करने का विचार कर रही है?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) से (घ). आसाम तथा एन० ई० एफ० ए० ने कृषि इन्जिनियरों, ओवरसियरों, आदि के लिए प्रार्थना की थी। सामूहिक योजना-प्रशासन ने एक प्रेस विज्ञप्ति में टैक्नीशियनों से अविकसित क्षेत्रों के लिए अपनी सेवायें स्वेच्छा से देने की प्रार्थना की है। सरकारी सेवा में लगे यथोचित प्रार्थियों के नाम तथा १३६ टैक्नीकल व्यक्तियों की एक नामावली, जिन्हों ने प्रेस विज्ञप्ति के उत्तर में प्रार्थनापत्र भेजे थे, राज्य सरकारों को उन पर विचार करने के लिए भेज दी गई है। समय समय पर ऐसी ही नामावलियों परिचारित करने का विचार है।

श्री रिशांग किशिंग : मैं जान सकता हूं कि क्या किसी पहाड़ी व्यक्ति ने भी प्रार्थना का उत्तर दिया है और यदि दिया है तो किस राज्य के व्यक्ति ने?

श्री हाथी : नामावली से मुझे कदाचित यह पता नहीं चलता कि कोई व्यक्ति पहाड़ी जाति का भी आ रहा है।

अध्यक्ष महोदय : किस राज्य से?

श्री रिशांग किशिंग : मैं जान सकता हूं कि ऐसी बाधा को दूर करने के लिए पहिले कोई पर्याप्त कार्यवाही क्यों नहीं की गई?

श्री हाथी : क्षेत्र से टैक्नीकल व्यक्ति प्राप्त करने के प्रयत्न किये गये थे।

श्री रिशांग किशिंग : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार आगामी वर्ष में अविकसित पहाड़ी क्षेत्रों म अधिक सामूहिक केन्द्र खोलने का विचार कर रही है ?

श्री हाथी : सरकार पहिले ५५ ब्लाक बना लिए हैं और इन में से कुछ इस क्षत्र को नियत होंगे।

उत्तर-पूर्वी सीमावर्ती एजेन्सी का प्रशासन

***१५२४. श्री गोहेन :** (क) **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर पूर्वी सीमावर्ती एजेन्सी के प्रशासन का

पुनः संगठन-कार्य किस सीमा तक पहुंच चुका है ?

(ख) पुनः संगठन के मुख्य मुख्य विषय क्या हैं ?

(ग) आज तक कितना धन व्यय हो चुका है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) उत्तर पूर्वी सीमावर्ती एजेन्सी के प्रशासन के पुनः संगठन की योजना को कार्यान्वित करने में ध्यान देने योग्य प्रगति हुई है।

(ख) पुनः संगठन योजना की मुख्य विशेषता है भीतरी भाग के उन प्रदेशों में नये प्रशासकीय केन्द्र खोलना जिनकी ब्रिटिश काल में सामान्यतः पूर्ण उपेक्षा कर दी गई थी। संचरण सुविधाओं को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है। स्कूलों, अस्पतालों तथा औषधालयों, कृषि-प्रदर्शन, फामों तथा यथोचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुओं के सम्भरण के लिए डिपों का खोलना पुनः संगठन योजना की मुख्य विशेषताओं में सम्मिलित हैं।

(ग) ३१,४६,५०० रुपये।

श्री गोहेन : क्या सरकार की इच्छा विभिन्न पदों पर स्थानीय पहाड़ी व्यक्तियों की नियुक्ति करने की है चाहे वे मैदान के व्यक्तियों की अपेक्षा थोड़े पढ़े लिखे हों।

श्री जवाहरलाल नेहरू: वास्तव में, स्थानीय व्यक्तियों को नियुक्त करने का प्रयत्न किया जाता है और बहुत नियुक्त भी हो चुके हैं। मेरे लिए यह बताना कठिन है कि कार्य के किसी विशेष भाग के लिए हम थोड़े पढ़े लिखे व्यक्तियों को नियुक्त कर सकते हैं अथवा नहीं। साधारणतः इसके लिए प्रत्यक प्रयत्न किया जा रहा है।

श्री गोहेन : मैं जान सकता हूं कि क्या प्रशासन को एक छोटा सा वायुयान दिया जायेगा ?

श्री जवाहरलाल नेहरू: मैं नहीं जानता यदि यह एजेन्सी को दिया जा सकता है। हम यह जानने का प्रयत्न कर रहे हैं कि हम वहां यथोचित स्थानों पर क्या वायु-संचरण स्थापित करे सकते हैं, सम्भवतः जिनमें हैलीकौप्टर सम्मिलित थे।

श्री नानादास : उत्तर से उत्पन्न होने पर, मैं जान सकता हूं कि क्या उस क्षेत्र में कोई जमींदारीपन है और यदि नहीं है तो क्या व्यक्ति भूमि लेने के लिए स्वतन्त्र है।

श्री जवाहरलाल नेहरू: मुझे सन्देह है कि मैं इस प्रश्न का उत्तर निश्चयात्मक रूप में नहीं दे सकता। मुझे बहुत सन्देह है यदि वहां जमींदारीपन जैसी कोई बात है।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न से उत्पन्न होता है, मैं इस पर सन्देह करता हूं। आगामी प्रश्न।

बड़ीदिहिंग नदी घाटी का पर्यवेक्षण

***१५२५. श्री गोहेन: सिंचाई तथा विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या भारत सरकार ने बड़ी-दिहिंग नदी घाटी के व्यक्तियों के दुखों को, जो बाढ़ आने के फलस्वरूप होते ह कम करने के लिए आसाम राज्य में बड़ी-दिहिंग नदी का रूप-परिमाप अथवा कुछ और करने और जल विज्ञान सम्बन्धी और अन्य आंकड़े एकत्रित करने के लिये कुछ पग उठाये हैं ; और

(ख) यदि उठाये हैं तो परिमाप कब पूर्ण होगा और उस पर कब कार्यवाही की जायेगी ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) नहीं श्रीमान ।

(ख) उत्पन्न ही नहीं होता ।

श्री गोहेन : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार बड़ीदिहिंग नदी घाटी के व्यक्तियों को कोई अंतरिम सहायता देने का विचार कर रही है ?

श्री हाथी : राज्य सरकार अन्तरिम सहायता देने की कार्यवाही कर रही है ।

नमक

***१५२६. श्री के० पी० सिन्हा** : **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पाकिस्तान से सैन्धा नमक मंगाने का विचार कर रही है ; तथा

(ख) देश को कुल कितने नमक की आवश्यकता है ?

उत्पादन मंत्री के सभा-सचिव (श्री आर० जी० दुबे) : (क) नहीं ।

(ख) १९५३ के वर्ष में कुल ७२५ लाख मन, नमक की आवश्यकता का अनुमान है ।

श्री के० पी० सिन्हा : क्या मैं आयात होने वाली मात्रा जान सकता हूं ?

श्री आर० जी० दुबे: नही, श्रीमान् । नमक का आयात करने का कोई प्रश्न ही नहीं है क्योंकि भारत नमक में १९५१ में ही स्वावलम्बी हो गया था । नमक आयात करन का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

विदेशों में **वाणिज्य प्रतिनिधि**

***१५२७. श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** : (क) **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि किन किन देशों में भारत के वाणिज्य प्रतिनिधि हैं ?

(ख) इन प्रतिनिधियों के क्या कर्त्तव्य हैं ?

(ग) इन प्रतिनिधियों द्वारा कितने सौदे किये गये ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ५]**

(ख) विदेशों में भारत के व्यापार प्रतिनिधियों के मुख्य कार्य हमारे व्यापार को बढ़ाना, मुख्यकर निर्यात-व्यापार को, और साधारणतः अपने कार्यक्षेत्र में हमारे व्यापार-हित पर दृष्टि रखना तथा इसके साथ सामयिक प्रतिवेदन द्वारा उन देशों में आर्थिक तथा वाणिज्य संबन्धी मामलों पर नवीनतम सूचना मुख्य कार्यालय को देना है ।

(ग) क्योंकि साधारण रूप में व्यापार हमारे व्यापार प्रतिनिधियों द्वारा नहीं होता अतः इस संबन्ध में कोई तथ्यपूर्ण सूचना देना सम्भव नहीं है ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या मैं जान सकता हूं कि विदेशों में इन व्यापार प्रतिनिधियों द्वारा किये जाने वाले सौदों के संबन्ध में कोई एकरूप प्रक्रिया निर्धारित की गई है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : हां, श्रीमान् । उस कार्य की किस्म जो वे करते हैं, उस प्रतिवेदन का रूप जो उन्हें भेजना

पड़ता है एक परिपत्र में दिये गये हैं जो विदेशों में समस्त व्यापार प्रतिनिधियों को भेजा जाता है, और प्रक्रिया प्रायः एक सी ही है जिसमें किसी विशेष क्षेत्र की स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार ऐसे परिवर्तन हो सकते हैं जो आवश्यक हों ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मैं जान सकता हूं कि क्या ये प्रतिनिधि विभिन्न देशों में अपने राजदूतों के आधीन काम करते हैं अथवा वे प्रत्यक्ष रूप में भारत सरकार के आधीन हैं?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : स्वभावतः प्रत्येक व्यक्ति भारत सरकार के आधीन है । उन्हें स्थानीय राजदूतों के अन्तर्गत काम करना पड़ता है ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : भारत सरकार ने उन देशों में क्या प्रबन्ध किये हैं जहां कोई वाणिज्य प्रतिनिधि नहीं है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: यदि हमारा कोई वाणिज्य अथवा कोई और प्रतिनिधि नहीं है तो हम कोई भी कठिनाई उत्पन्न होने पर भिन्न देशों की सहायता लेते हैं ।

श्री वी० पी० नायर : मैं जान सकता हूं कि इन वाणिज्य प्रतिनिधियों के लिए क्या औचित्य है ? क्या यह वर्तमान व्यापार या भावी व्यापार का औचित्य है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: माननीय सदस्य जानते हैं कि भारत ने ६ वर्ष पूर्व ही स्वतन्त्रता प्राप्त की है । और हम अपनी वाणिज्य-सेवायें बना रहे हैं । मेरा विचार है कि यह प्रति वर्ष अधिक से अधिक दक्ष हो रही हैं । श्रीमान मेरे विचार में, हमारे वर्तमान व्यापार तथा भावी व्यापार, जिसकी हम आशा करते हैं की दृष्टि से यह सेवा बनाने के लिए पर्याप्त औचित्य है ।

श्री वी० पी० नायर : मैं जान सकता हूं कि पूर्वी योरोप और रूस तथा चीन के किन किन देशों में आज कल हमारे व्यापार-प्रतिनिधि हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यदि माननीय सदस्य प्रश्न को लिख दें तो मैं विशेष रूप में उत्तर दूंगा । जहां कहीं हमारे राजदूतालय हैं वहां हमारे व्यापार-हित पर दृष्टि रखने के लिए कुछ व्यक्ति राजदूतालयों से सम्बद्ध हैं ।

सांश्लेषिक पैट्रोल

*१५२९. **श्री सी० आर० चौधरी :** (क) **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारतीय कोयले से सांश्लेषिक पैट्रोल पैदा करने की सम्भावनाओं को निश्चित करने अथवा उत्पादन-सम्भाव्यता आदि का पता लगाने के लिए विशेषज्ञों द्वारा कोई पर्यवेक्षण किया गया है ?

(ख) क्या इस संबन्ध म विशेषज्ञों ने सरकार को कोई रिपोर्ट दी है ?

(ग) यदि दी है तो क्या सरकार उसे सदन पटल पर रखने का विचार करती है ?

(घ) क्या यह सत्य है कि विशेषज्ञों का यह मत था कि भारत में सांश्लेषिक पैट्रोल का यन्त्र थोड़े से व्यय में लगाया जा सकता है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) हां श्रीमान ।

(ख) से (घ). रिपोर्ट में कुछ प्रक्रियाओं तथा कुछ नील-मुद्र और परिकल्पना का जिसके लिए अभी एकस्व अधिकार प्राप्त करने हैं वर्णन है । अतः रिपोर्ट को गुप्त लेख के रुप में रखा जा रहा है इस लिए यह प्रकाशित नहीं किया जा सकता ।

श्री सी० आर० चौधरी : मैं जान सकता हूं कि भारत सरकार ने इस योजना को क्यों छोड़ दिया ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: सर्वप्रथम, लागत फिर इसके पूर्व कि हम इस सम्बन्ध में व्यय करना आरम्भ करें हम यह देखना चाहते हैं कि ये नये तेल शोधक कारखाने, जो बनाय गये हैं, कैसे काम करते है ।

श्री सी० आर० चौधरी: क्या म उस उत्पादन का प्रतिशत जान सकता हूं जिसके लिए इस योजना से, यदि यह कार्यान्वित होती, आशा की गई थी ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : योजना में अनेकों परिवर्तन हो गये हैं । आरम्भ में मैसर्स कोपर्स ने एक योजना बनाई थी । मुद्रा का अबमूल्यन हो गया और हमने देखा कि लागत में वृद्धि हो गई है । हमने उनसे एक संशोधित योजना बनान को कहा । हमने अन्य व्यक्तियों से भी बातचीत की है। मैं ठीक तरह नहीं कह सकता कि क्या आशायें हैं । परन्तु मैं यह कह सकता हूं कि आरम्भिक योजना से ६५,००० टन उड्डयन-पेट्रोल, ६७,००० टन मोटर-पेट्रोल, १०,६०० टन डिज़िल आयल तथा ७४०० टन जलाने का तेल, कुल १५०,००० टन सांश्लेषिक तेल तथा ५०० टन घरेलू ईंधन की आशा है । तत्पश्चात् अन्य योजनायें हमारे विचाराधीन हैं जिनसे इतनी अधिक उत्पत्ति न थी । अब, कुछ समय के लिए, सम्पूर्ण मामले को स्थगित कर दिया गया है ।

श्री सी० आर० चौधरी : मैं जान सकता हूं कि उड़डयन-पैट्रोल तथा मोटर-पैट्रोल के प्रति गैलन पर कितनी लागत का अनुमान लगाया गया था ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: मुझे खेद है कि मैं उत्पादन लागत की विभिन्नता नहीं बता सकता ।

डा० जयसूर्य: क्या यह सत्य नहीं है कि पिछले सदन म वाणिज्य तथा उद्योग उप-मंत्री ने सदन में यह कहा था कि प्रस्ताव पूर्णतया लाभदायक तथा कम खर्च का था ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे माननीय सदस्य की उत्कृष्ट बुद्धि को अवश्य ही बढ़ाना चाहिये । यह सत्य हो सकता है ।

श्री सारंगधर दास: क्या मैं जान सकता हूं कि उड़ीसा सांश्लेषिक पैट्रोल प्रस्ताव, जिसके लिए उड़ीसा सरकार ने ६,६६,००० रुपये प्रारम्भिक जांच पड़ताल करने के लिए ऋण दिये थे, एक सम्भाव्य प्रस्ताव है और क्या भारत सरकार इस पर विचार कर चुकी है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे इस उड़ीसा योजना का कोई तथ्ययुक्त ज्ञान नहीं है यद्यपि मैं यह जानता हूं वहां कोई ऐसी योजना थी । मैं इस के बारे में कोई सूचना देने में असमर्थ हूं ।

नमक (आयात) :

*१५३०. **प्रो० डी० सी० शर्मा :** क्या **उत्पादन** मंत्री १९५२ में पाकिस्तान से आयात किये गये नमक की मात्रा बताने की कृपा करेंगे ?

उत्पादन मंत्री के सभा सचिव (श्री आर० जी० दुबे) : १९५२ में पश्चिमी पाकिस्तान से कोई नमक नहीं मंगाया गया ।

प्रो० डी० सी० शर्मा : श्रीमान मैं जान सकता हूं कि क्या भारत में सैन्धे नमक की खानें हैं और क्या उनको उनकी पूर्ण क्षमता तक काम में लाया जा रहा है ?

श्री आर० जी० दुबे : जहां तक मैं जानता हूं वह यह है कि मन्डी में इस विशेष किस्म का विकास करने की सम्भावना है, और सरकार इसके विकास के लिए प्रयत्न कर रही हैं ।

प्रो० डी० सी० शर्मा : गत वर्ष मन्डी में सैंधे नमक की उत्पादन-मात्रा क्या थी ?

श्री आर० जी० दुबे : अब तक कोई उत्पत्ति नहीं हुई है परन्तु सरकार इस साधन के विकास की कुछ योजनायें बना रही है ।

प्रो० डी० सी० शर्मा : श्रीमान, क्या मैं जान सकता हूं कि मन्डी में योजना कब पूरी होगी ?

श्री आर० जी० दुबे : अभी मैं यह बताने में असमर्थ हूं ।

श्री वी० पी० नायर : क्या यह सत्य नहीं है कि कुछ उद्देश्यों के लिए जसे औषधि आदि बनाने में सन्धा नमक प्रयोग होगा, और क्या म जान सकता हूं कि सैन्धे नमक की वार्षिक आवश्यकता क्या है ?

श्री आर० जी० दुबे : मैं इस प्रश्न की पूर्व सूचना चाहता हूं ।

श्री वी० पी० नायर : क्या मैं जान सकता हूं कि ऐसे विशेष उद्देश्य के लिए अब हम किन देशों से सैंधा नमक मंगाते हैं ?

श्री आर० जी दुबे : अभी तक हमने नमक नहीं मंगाया है परन्तु कुछ राजनैतिक कारणों से हमने काशमीर को सैं नमक की कुछ मात्रा का आयात करने की अनुमति दी थी ।

भारतीय चाय-अनुज्ञा समिति

*१५३१. **श्री के० सी० सोधिया :** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ३१ मार्च १९५३ को भारतीय चाय-अनुज्ञा समिति के पास कितना धन तथा अन्य सम्पत्ति थी ?

(ख) ३१ मार्च १९५३ को उस पर यदि कुछ था तो, कितना ऋण था ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) ३१ मार्च १९५३ को समिति के पास २,४७,६२२ रु० ७ आने २ पाई थे । अन्य सम्पत्ति के मूल्य का अनुमान जिसमें मुख्यतः उस तारीख का उपस्कर तथा अन्वायुक्ति सम्मिलित हैं २०,००० रुपये लगाया गया है । इसके अतिक्ति उस तारीख को चाय के बागों से ९६४२ रुपये अनुज्ञा-शुल्क के रुप में लने थे ।

(ख) उस तारीख ो समिति पर २९,००० रुपये का ऋण था ।

श्री के० सी० सोधिया : क्या चाय परिषद् स्थापित हो जाने के पश्चात यह समिति रहगी ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान, यदि सदन चाय विधेयक को जो उसके सन्मुख है, स्वीकार करता है तो यह चाय-अनुज्ञा समिति समाप्त हो जायेगी और चाय-परिषद् इसका कार्य करेगी।

छटा अन्तर्राष्ट्रीय चलचित्र उत्सव

*१५३२. **सरदार ए० एस० सहगल :** (क) **सूचना तथा प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करगे कि क्या सरकार ३ अप्रैल के लगभग कैन्स में होने वाले छटे अन्तर्राष्ट्रीय चलचित्र उत्सव में भाग लेगी ?

(ख) क्या सरकार ने उत्सव में भाग लेने के लिए फ्रांसीसी सरकार के आमंत्रण का उत्तर द दिया है ?

(ग) कितनी प्रकार की फिलमें उत्सव में भेजी जायेंगी और कौन सरकार का प्रतिनिधित्व करेगा ?

(घ) इस सबंध में सरकार कितना व्यय करेगी ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (श्री बुरागोहिन) : (क) तथा (ख). हां श्रीमान।

लम्बी तथा छोटी फिल्में ली गई हैं। फ्रांस में हमारे राजदूत भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगे।

(घ) फिल्म विभाग द्वारा बनाई गई फिल्मों के छापने तथा बण्डल बनाने तथा भेजने का व्यय लगभग १,००० रु० है।

सरदार ए० एस० सहगल : श्रीमान, क्या मैं जान सकता हूं कि कितनी फिल्में भेजी गई थीं ?

श्री बुरागोहिन : इस विशेष उत्सव के लिए चार फिल्में भेजी गई हैं।

सरदार ए० एस० सहगल : श्रीमान, मैं जान सकता हूं कि क्या भारत ने किसी फिल्म-उत्सव में भाग लिया है और क्या भारत को कोई पुरस्कार मिला है।

श्री बुरागोहिन : १९४८ से भारत अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सवों में भाग ले रहा है, और १९४९ से हम प्रतिवर्ष पुरस्कार लेते रहें हैं।

सरदार ए० एस० सहगल : श्रीमान, मैं जान सकता हूं कि क्या पिछली बार कोई रंगीन फिल्म भेजी गई थी और इसकी लागत क्या थी ?

श्री बुरागोहिन : हमने प्रथम रंगीन प्रलेखीय फिल्म बना ली है, और अब यह फ्रांस में हो रहे फिल्म-उत्सव के लिए वहां भेज दी गई है।

श्री रघुरामय्या : श्रीमान क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इन चार फिल्मों में कोई दक्षिणी भारत की भी फिल्म सम्मिलित है ?

श्री बुरागोहिन: श्रीमान जहां तक मुझ पता है, इनमें कोई नहीं है।

श्री कास्लीवाल : क्या वह उन फिल्मों के नाम बता सकते हैं जिन्हें भेजने का प्रस्ताव है ?

श्री बुरागोहिन : तीन प्रलेखीय फिल्मों के नाम हैं. कुमायूं की पहाड़ियां—रंगीन; महान परीक्षण—सामान्य निर्वाचन सम्बन्धी प्रलेखीय; पुरानी के लिए नई भूमि—दामोदर घाटी में मिट्टी का कटाव। रुपक फिल्म का नाम 'अवारा' है।

पाकिस्तान से जूट का सम्भरण

*१५३३. **श्री रामचन्द्र रेड्डी :** **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) पाकिस्तान किस भाव पर भारत को जूट भेजेगा ;

(ख) वह भाव भारत में जूट के प्रचलित दामों की अपेक्षा कैसा है; तथा

(ग) कथित समझौते का भारत में जूट की खेती पर क्या प्रभाव होगा ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख) पाकिस्तान से जूट के सम्भारण का सरकार ने कोई मूल्य निश्चित नही किया है ।

(ग) माननीय सदस्य का ध्यान १ अप्रैल १९५३ को श्री बी० के० दास द्वारा कच्चे जूट पर आरम्भ किये गये आधे घण्टे के बाद विवाद का मेरे द्वारा दिये गये उत्तर की ओर आकर्षित किया जाता है ।

श्री टी० एन० सिंह : क्या इसका यह अर्थ है, कि जहां तक पाकिस्तानी जूट के सम्भरण का संबंध है, जूट का व्यापार सरकारी स्तर पर नहीं होता ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान्, यह ठीक है।

दियासलाई-बक्स तथा दियासलाई

*१५३४. **श्री झूलन सिन्हा :** वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या दियासलाई-बक्सों तथा दियासलाइयों के लिए देश की सम्पूर्ण आवश्यकता स्थानीय-उत्पत्ति से पूर्ण हो जाती है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : हां, श्रीमान् ।

श्री झूलन सिन्हा : मैं जान सकता हूं कि क्या विदेशों को निर्यात करने के लिए भी कुछ अतिरेक है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : हां, श्रीमान् । १९५१-५२ में लगभग ३०९ बक्स का आयात किया गया था । १९५२-५३ के ९ मासों में ५४० बक्सों का आयात किया गया है ।

श्री नानादास : श्रीमान्, क्या मैं उन देशों के नाम जान सकता हूं जो हमारी दियासलाई की लकड़ी मंगाते हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं प्रश्न की पूर्वसूचना चाहता हूं ।

श्री के० जी० देशमुख : इन दियासलाई के बक्सों की स्वदेशीय-उत्पत्ति की मात्रा क्या है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: मैं समझता हूं कि यह सूचना पिछली बार दी जा चुकी है । १९५२ में यह ६०७, ६७२ बक्से थी, और इससे पहिले वर्षों में यह क्रम थी :

१९५१ .... ५७५,१००

१९५० .... ५२३,०००

श्री एस० वी० रामास्वामी : क्या वैस्टर्न इण्डिया मैच क० एक विदेशी फ़र्म है, और क्या यह फर्म ही इस देश की उत्पत्ति का बड़ा भाग उत्पन्न कर रही है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मेरे माननीय मित्र मूल भूतों में जा रहे हैं । यह पूर्णतः विदेशी फ़र्म नहीं है । इस में पर्याप्त भारतीय धन लगा है, परन्तु यह भी सत्य है कि इस देश में जितनी दियासलाइयां उपयोग होती हैं उनमें से अधिक मात्रा में यह फर्म ही बनाती है ।

श्री जी० पी० सिन्हा : मैं जान सकता हूं कि क्या हम दियासलाई बनाने के लिए किसी कच्चे पदार्थ का आयात करते हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : बहुत सी वस्तुओं का ।

श्री मुनिस्वामी : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को तामिलनाद के दियासलाई के कारखानों से उनकी कठिनाइयों के विषय में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, और क्या पग उठाये गये हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : हां श्रीमान् । व्यवहारिक रूप में, हमें प्रति सप्ताह अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं ।

श्री मुनिस्वामी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या पग उठाये गये हैं ।

नोखू गांव के नागाओं को अभिपूर्ति

*१५३५ **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **प्रधान मंत्री** ११ मार्च १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ६९२ के उत्तर का निर्देश करन तथा यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या बर्मा सरकार ने **नोखू** गांव पर मारे गये छापे में मारे गये व्यक्तियों के सम्बन्धियों को अभिपूर्ति का भुगतान करने के लिए विस्तारपूर्ण विवरण बना लिया है ;

(ख) यदि बना लिया है तो कितना धन और कब भुगतान होगा; तथा

(ग) यदि नहीं तो उसके कारण क्या हैं ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) से (ग). विस्तारपूर्ण विवरण बनाया जा रहा है परन्तु अभी तक अन्तिम रूप से निश्चित नहीं हुआ है ।

श्री रिशांग किशिंग : क्या यह सत्य ह कि पोन्यो गांव का बर्मी सरदार भारत तथा बर्मा के प्रधान मंत्रियों से, उनकी सीमा-यात्रा-काल में, मिला था और उन्हें बचन दिया था कि भविष्य में कभी नर हत्या न होगी ?

श्री अनिल के० चन्दा: हां, श्रीमान् । सूचना मिली है कि नागा सरदार हमारे प्रधान मन्त्री और बर्मा के प्रधान मंत्री से मिला था और उन्हें एक सज्जन व्यक्ति की भांति वचन दिया था कि वह फिर नर-हत्या के लिए नहीं जायेगा ।

श्री रिशांग किशिंग: श्रीमान् , क्या यह भी सत्य है कि पोन्यो गांव के सरदार ने भारत के नागाओं को १५ ००० रुपये के मूल्य की जिन्स में अभिपूर्ति करने का वचन दिया है ?

श्री अनिल के० चन्दा: किसी विशेष धनराशि का उल्लेख नहीं किया गया परन्तु कुछ ऐसा वचन दिया गया था कि वे संबन्धित व्यक्तियों को कुछ अभिपूर्ति का भुगतान करेंगे ।

श्री रिशांग किशिंग : क्या यह दोनों प्रधान मन्त्रियों के बीच, उनकी भारत-बर्मा-सीमा-यात्रा के समय, वार्ता का विषय था ?

श्री अनिल के० चन्दा: इस प्रश्न से यह उत्पन्न नहीं होता ।

नमक

*१५३७. **श्री एल० जे० सिंह** : **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५१-५२ तथा १९५२-५३ में, यदि नमक का आयात किया गया था कितने नमक का आयात किया गया; और

(ख) भारत के विभिन्न भागों के नमक के कुओं के विकास तथा सुधार के लिए सरकार कौनसी कौनसी योजनायें कार्यान्वित करना चाहती है ?

उत्पादन मंत्री के सभा-सचिव (श्री आर० जी० दुबे) : (क) १९५१-५२ में ७९,००० टन और १९५२-५३ में २,५२,००० टन नमक का आयात किया गया ।

(ख) हमारा अधिकतर नमक समुद्री पानी अथवा झील के खारी पानी से, और केवल ८ प्रति शत खारी पानी के कुओं से बनाया जाता है। ये कुएं अधिकतर बम्बई राज्य में कूच के रान में खरगोदा स्थित भारत सरकार के कारखानों में स्थित हैं कुछ निजी उत्पादक भी खरगोदा की सीमा में सौराष्ट्र राज्य में कुओं से नमक बनाते हैं। इन कुओं के विकास तथा सुधार के लिए कोई विशेष योजनायें नहीं बनाई गई ह क्योंकि जिन बाज़ारों में इसकी मांग है उनके लिए इसकी उत्पत्ति पहिले से ही पर्याप्त है । हां खरगोदा में खारी अच्छे पानी के क्षेत्रों का पता लगाने के लिए परीक्षण के आधार पर कुएं गलाने का अवश्य विचार है ।

श्री एल० जे० सिंह : श्रीमान्, क्या मैं आयात करने वाले देशों के नाम जान सकता हूं ?

श्री आर० जी० दुबे : जापान मलाडिव द्वीपसमूह, पूर्वी पाकिस्तान तथा नैपाल को नमक का निर्यात किया गया ।

श्री एल० जे० सिंह : क्या यह सत्य है कि सांभर झील के नमक की मांग बढ़ रही है और यदि ऐसा है तो इसमें सुधार करने के लिए क्या पग उठाये गये हैं ?

श्री आर० जी० दुबे : सरकार नल-कूप बनाने , तथा अच्छे खारी पानी के सम्भरण में सुधार करने का प्रयत्न कर रही है ।

श्री एल० जे० सिंह : क्या सरकार को विदित है कि मनीपुर में बहुत से खारी कुएं हैं, यदि मालूम है तो उन्हें उत्तम बनाने के लिए क्या कार्यवाही की गई हैं ?

श्री आर० जी० दुबे : मैं पूर्वसूचना चाहता हूं ।

विकास आयुक्तों का सम्मेलन

*१५३८. **श्री एल० जे० सिंह** : **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि समस्त राज्यों के विकास आयुक्तों, जो विकास के ८१ उन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे जिन में २ अक्टूबर १९५२ को सामूहिक योजना कार्य आरम्भ हुआ था, क्या एक सम्मेलन १६ से १९ अप्रैल १९५३ तक दिल्ली में हुआ था ; तथा

(ख) यदि हुआ था तो क्या सरकार का सम्मेलनों के निश्चयों को सदन पटल पर रखने का विचार है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) हां ।

(ख) सिफारिशों की एक नामावली पटल पर रखी जायेगी।

श्री एल० जे० सिंह : मेरे पास सिफारिशों की प्रति नहीं है । यह सदन पटल पर नहीं रखी गई है ।

श्री हाथी : सिफारिशों की एक नामावली सदन पटल पर रखी जायगी ।

श्री एल० जे० सिंह : मैं जान सकता हूं कि क्या सामूहिक योजना क्षेत्रों में विभिन्न राष्ट्रीय दिवस मनाये जायग ?

श्री हाथी : यह सुझावों में से एक है ।

श्री एल० जे० सिंह : क्या यह सत्य है कि सराहनीय कार्य के लिए पुरस्कार देने का सुझाव दिया गया था ?

श्री हाथी : यह भी उन प्रश्नों में से एक था जिन पर वार्ता की गई थी।

श्री नानादास : मैं जान सकता हूं कि क्या १९५३ के वर्ष में किसी सामूहिक योजना के पूरे होने की आशा है ?

श्री हाथी : यह १९५३ में पूर्ण होने के लिए नहीं है।

श्री टी० एन० सिंह : मैं जान सकता हूं कि क्या विकास आयुक्तों के इस सम्मेलन में सामूहिक योजनाओं की अपेक्षा विस्तार योजनाओं पर अधिक जोर दिया गया ?

श्री हाथी : इस प्रश्न पर भी वार्ता हुई थी।

भारत में निर्मित जलयान

*१५३९. **श्री जेठालाल जोशी :** क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५१-५२ में भारत में कितने जलयानों का निर्माण हुआ ;

(ख) इन जलयानों का सम्पूर्ण बोझ कितने टन है ; तथा

(ग) जलयानों की सम्पूर्ण लागत क्या है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) से (ग) . यद्यपि १९५१ और १९५२ के वर्षों में ६ जलयान पूरे हो गये थे तथापि १९५१-५२ के वैत्तिक वर्ष में ८,००० डी० डब्लू० टी० का केवल एक जलयान का निर्माण हुआ और उसकी लागत ६२·९२ लाख रुपये थी।

श्री जेठा लाल जोशी : मैं जान सकता कि क्या सरकार ने इस उद्देश्य के लिए कोई अनुदान दिया है ?

श्री के० सी० रेड्डी : हां, इन जलयानों के विक्रय के लिए सरकार अनुदान दे रही है।

श्री जेठा लाल जोशी : क्या सरकार को विदित है कि कलकत्ता से माल ले जाने वाले विदेशी जलयान सामग्री से पूर्णतः भर कर जाते हैं जबकि समुद्री व्यापार में लगे भारतीय जलयानों को कभी उस पत्तन से माल मिलता है ?

श्री के० सी० रेड्डी : मैं निवेदन करता हूं कि यह प्रश्न इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता।

श्री आल्तेकर : मैं जान सकता हूं कि क्या जलयान निर्माण उद्योग अपनी पूर्ण क्षमता पर काम कर रहा है ?

श्री के० सी० रेड्डी : हां, उस दिशा में प्रत्येक प्रयत्न किया जा रहा है। परन्तु गत वर्ष आवश्यक इस्पात के सम्भरण में कुछ कमी होने के कारण, प्रगति कुछ धीमी पड़ गई थी।

श्रीमती ए० काले : क्या यह सत्य है कि भारत में जलयानों का निर्माण करने से सरकार को बहुत बड़े धन की हानि हो रही है ?

श्री के० सी० रेड्डी : इन जलयानों की बिक्री के लिए सरकार अनुदान दे रही है और जैसा कि मैं बता चुका हूं जलयानों की निर्माण-लागत को कम करने तथा अनुदान को हटाने के लिए प्रत्येक प्रयत्न किया जा रहा है।

श्रीमती ए० काले : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है।

श्री मात्तन : भारत में एक जलयान की लागत की उसी प्रकार के जलयान की संयुक्त साम्राज्य में लागत से क्या तुलना है ?

श्री के० सी० रेड्डी: यह समय समय पर भिन्न भिन्न होती है। मैं अब आंकड़े नहीं दे सकता। यदि माननीय सदस्य किसी विशेष जलयान के संबन्ध में प्रश्न लिख दें तो मैं उत्तर देने को तैयार हूंगा।

कोयले की खानों में फालतू मज़दूर

* १५४०. **श्री रघुनाथ सिंह:** क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा संचालित कोयले की खानों में ४१,००० मज़दूर, जिनकी अब औद्योगिक अधिकरण द्वारा छंटनी कर दिये जाने की आज्ञा दी गई है, पहिले किन परिस्थितियों में अधिक रख लिए गये थे?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी): सरकारी रेल की कोयले की खानों में अतिरेक मज़दूरों की संख्या, जिनकी छंटनी करने का विचार है ४,१०० है ना कि ४१,००० जैसा कि प्रश्न में कहा गया है।

रेल के कोयल की खानों में अतिरेक मज़दूरों के होने का मुख्य कारण काम करने की एकता का हौले हौले समाप्त होन के कारण काम करने वाले व्यक्तियों की घटती बढ़ती संख्या है, मुख्यकर गिरदीह कोयले की खानों में।

विस्तृत सूचना के लिए, माननीय सदस्य का ध्यान रेल के कोयले की खानों संबंधी जांच समिति के प्रतिवेदन के पांचवे तथा छटेंअध्याय को ओर आकर्षित किया जाता है। इसकी एक प्रति सदन के पुस्तकालय में है।

श्री रघुनाथ सिंह: क्या सरकार इन व्यक्तियों को पुनः नियुक्त करने पर विचार कर रही है?

श्री के० सी० रेड्डी: हां, निकाले गये व्यक्तियों को काम देने का प्रत्येक प्रयत्न किया जायेगा परन्तु यह निश्चय रूप से नहीं कहा जा सकता कि इन में से कितने व्यक्तियों को अन्य स्थान पर काम में लगाया जायेगा।

श्री टी० एन० सिंह: लगभग तीन वर्ष पूर्व उद्योग के वैज्ञानीकरण करने तथा इन रेल के कोयले की खानों के लिए अधिक मशीनें भी लाने का एक प्रस्ताव था, जिस के फलस्वरूप इन व्यक्तियों को पुनः नियुक्त किया जा सकता था। क्या मशीनें आ गई हैं?

श्री के० सी० रेड्डी: जहां तक मैं जानता हूं, खानों में मशीनों का प्रयोग करना अतिरेक मज़दूरों की संख्या निश्चित करने का मुख्य कारण नहीं रहा है। समस्त कारणों के बताने में मुझे पर्याप्त समय लगेगा। इसी लिए मैंने माननीय सदस्य का ध्यान रेल के कोयले की खानों संबंधी जांच समिति के प्रतिवेदन की ओर आकर्षित किया था।

श्री टी० एन० तिवारी: इनमें से कितने व्यक्तियों को पुनः नियुक्त किया जा चुका है और कितने अभी तक बेकार हैं?

श्री के० सी० रेड्डी: अभी छंटनी नहीं हुई है। यह भविष्य में होगी।

मिस्र को कोयले का सम्भरण

* १५४२. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा:** **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मिश्र की सरकार ने मिश्र को कोयले का सम्भरण करने के लिए भारत सरकार से प्रार्थना की है;

(ख) यदि की है तो क्या सरकार ने उसकी प्रार्थना स्वीकार करली है ; तथा

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो १९५३ में उन्हें कुल कितना कोयला भेजा जायेगा ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) नहीं ।

(ख) तथा (ग). उत्पन्न ही नहीं होते ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मैं जान सकती हूं कि क्या सरकार को पत्रों में छपे विभिन्न समाचारों, कि मिस्र की सरकार ने भारत सरकार से कोयला के लिए प्रार्थना की है, का ज्ञान है ?

श्री के० सी० रेड्डी : नहीं, मिस्र की सरकार ने भारत सरकार से प्रार्थना नहीं की है । तथ्य यह है कि कुछ फर्मों ने भारत सरकार से प्रार्थना की है कि वह उन्हें मिस्र को कोयले का निर्यात करने की सुविधा दे । यह मामला विचाराधीन है ।

भारत-अमरीका सप्ताह उत्सव

*१५४३. **श्री बुच्चिकोटैय्या : प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या हाल में ही न्यूयार्क में कोई भारत-अमरीका सप्ताह उत्सब मनाया गया था; तथा

(ख) उत्सव में मुख्य मुख्य कार्य क्या थे ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा): (क) हां ।

(ख) इसमें भारतीय दर्शन तथा साहित्य पर भाषण तथा समिति-विचार; भारतीय नृत्य का प्रदर्शन; भारतीय प्रलेखीय फिल्मों का प्रदर्शन, जिनमें महात्मा गांधी की एक फिल्म सम्मिलित है; और भारतीय चित्रकला तथा कला के अन्य रूपों का प्रदर्शन सम्मिलित था ।

श्री बुच्चिकोटैय्या : भारत-अमरीकी यह सांस्कृतिक उत्सव कब आरम्भ हुआ ?

श्री अनिल के० चन्दा : यह एक सांस्कृतिक प्रसभा के रूप में था जिसका उद्देश्य वहां की जनता को भारतीय-जीवन की गहरी लहरों का सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए सांस्कृतिक सम्बन्धों का महत्व बताना था ।

अध्यक्ष महोदय : यह आनना चाहते हैं कि यह कब आरम्भ हुआ ।

श्री अनिल के० चन्दा : यह इस वर्ष ६–११ अप्रैल तक हुआ था ।

श्री बुच्चिकोटैय्या : क्या मैं जान सकता हूं कि एक वर्ष में यह उत्सव कितनी बार मनाये जाते हैं ?

श्री अनिल के० चन्दा : इसका कोई निश्चित नियम नहीं है ।

श्री नानादास : मैं जान सकता हूं कि क्या इस प्रकार का उत्सव और किसी देश में भी मनाया गया है ?

श्री अनिल के० चन्दा : मुझे सन्देह है, मैं अभी उत्तर नहीं दे सकता ।

अध्यक्ष महोदय : वह पूर्वसूचना चाहते हैं ।

प्रो० डी० सी० शर्मा: अमरीका के एक सुप्रसिद्ध पत्र में एक सम्पादकीय लेख था कि भारत की कला, साहित्य तथा संस्कृति अमरीका निवासियों के लिए बहुत ही विदेशी है । वास्तव में उन्हों न भारतीय नृत्य समझा । मैं जान सकता हूं कि संयुक्त राज्य अमरीका की जनता को भारतीय संस्कृति समझाने के लिए सरकार और क्या प्रयत्न कर रही है ?

श्री के० के० बसु : इस तथ्य की दृष्टि से कि उत्सव हमारे राष्ट्रीय सप्ताह के समय ही हुआ, मैं जान सकता हूं कि

क्या मुख्य राष्ट्रीय आन्दोलन के कोई चित्र दिखाये गये थे ?

श्री अनिल के० चन्दा : अनेकों प्रलेखीय फिल्में दिखाई गई थीं और उनमें एक महात्मा गांधी पर भी थी।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने स्वतन्त्रता के लिए भारतीय प्रयत्न का मुख्य रूप से निर्देश किया है । वह जानना चाहते हैं कि क्या उस तरह की कोई फिल्में दिखाई गई थीं।

श्री अनिल के० चन्दा : उनमें महात्मा गांधी के जीवन पर एक फिल्म सम्मिलित थी।

आस्ट्रेलिया को व्यापार मिशन

*१५४४. **श्री बुच्चिकोटैय्या : वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) आस्ट्रेलिया में जूट के बाज़ार में बिस्तार करने के उद्देश्य से क्या कोई मिशन वहां भेजा गया था ;

(ख) वह मिशन कब भेजा गया था; तथा

(ग) कौन कौन सदस्य थे ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) हां ।

(ख) १६ अप्रैल १९५३ ।

(ग) वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के संयुक्त सचिव, श्री एल० के० झा, उसके नेता हैं और कलकत्ता की भारतीय जूट मिल संस्था के निम्नलिखित प्रतिनिधि उस में सम्मिलित हैं :—

१. श्री जे० जी० वाल्टन ।

२. श्री डी० पी० गोयनका ।

श्री बुच्चिकोटैय्या : क्या मैं जान सकता हूं कि ऐसे कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किये गये थे, और किन किन देशों के साथ ?

महोदय : मेरे विचार में यह बड़ा विस्तृत प्रश्न है । यह इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : भारतीय जूट के लिए आस्ट्रेलिया एक महत्वपूर्ण बाज़ार था। क्या कारण है कि आस्ट्रेलिया को निर्यात ५० प्रतिशत कम हो गया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : एक कारण यह है कि आस्ट्रेलिया को अपने विदेशी विनिमय की कठिनाई थी और उसने अपने आयात में बड़ी भारी कमी कर दी । दूसरी बात यह है कि वे थोक सौदा करते थे अर्थात उनके द्वारा जूट की वस्तुओं के उपयोग में भारी कमी ।

श्री एल० एन० मिश्र : श्रीमान मैं जान सकता हूं कि क्या यह प्रतिनिधि-मण्डल भारतीय जूट मिल संस्था के खर्चे पर भेजा गया है अथवा भारत सरकार के खर्चे पर ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जहां तक भारत सरकार के प्रतिनिधि का सम्बन्ध है, उसका खर्च केन्द्रीय सरकार के राजकोष से होगा । जहां तक दूसरे सदस्यों का सम्बन्ध है वे अपने खर्चे के लिए धन का स्वयं प्रबन्ध करेंगे ।

श्री एस० एन० दास : श्रीमान् मैं जान सकता हूं कि क्या मिशन द्वारा कोई अन्तरिम प्रतिवेदन भेजा गया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान् मुझे अभी विदित हुआ है कि मिशन सिडनी पहुंच गया है ।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या यह मिशन भारत से रस्सों के निर्यात की सम्भावनाओं की भी खोज करेगा ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : नहीं, श्रीमान्। वे केवल जूट के सम्बन्ध में जा रहे हैं रस्सों के लिए नहीं ।

श्री बी० के० दास : श्रीमान् मैं जान सकता हूं कि क्या यह मिशन किसी अन्य देश को भी जायेगा ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : केवल आस्ट्रेलिया ।

श्री नानादास और **श्री जी० पी० सिन्हा** उठे—

अध्यक्ष महोदय : हम अग्रेतर प्रश्न लें ।

कुटीर उद्योग सम्बन्धी प्रयोगात्मक केन्द्र

*१५४५. **श्री एम० आर० कृष्ण :** (क) **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने कुटीर उद्योग सम्बन्धी कितने प्रयोगात्मक केन्द्र खोले हैं ?

(ख) ये केन्द्र कहां स्थित हैं और कब आरम्भ किये गये थे ?

(ग) इन केन्द्रों में से प्रत्येक पर कितना वार्षिक व्यय होता है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख). जहां तक वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय का सम्बन्ध है, १९५० में हरदुआगंज में केवल एक प्रयोगात्मक केन्द्र खोला गया था और वह बन्द हो गया है ।

(ग) उपरोक्त की दृष्टि से कोई सूचना नहीं है ।

२. पुनर्वास और खाद्य तथा कृषि मन्त्रालयों के अन्तर्गत ऐसे ही केन्द्रों के सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन पटल पर रखी जायेगी ।

श्री एम० आर० कृष्ण: श्रीमान्, क्या मैं पहिले खोले गये केन्द्र को बन्द करने के कारण जान सकता हूं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान् यह अनुभव किया गया था कि केन्द्र से कोई लाभ नहीं था ।

श्री नानादास : श्रीमान् मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार नये केन्द्र खोलने पर विचार कर रही है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान्, अल्प-माप के उद्योगों को सहायता देने के अनेक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं श्रीमान्, हो सकता है कि जब प्रस्ताव परिपक्व स्थिति को पहुंचे तो हमारे लिए यह आवश्यक हो जाये कि हम अपने ही नये केन्द्र खोलें या अन्य मन्त्रालयों के साथ मिलकर या राज्यों के साथ मिलकर ये केन्द्र खोलें ।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या पुनर्वास और खाद्य तथा कृषि मन्त्रालयों द्वारा खोले गये ऐसे ही केन्द्र सन्तोषजनक काम कर रहे हैं ?.

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान् मैं कोई सूचना देने में असमर्थ हूं । यह प्रश्न संबन्धित मंत्री जी से पूछा जाना चाहिए ।

श्री एम० आर० कृष्ण : श्रीमान् मैं जान सकता हूं कि क्या इन प्रोयागत्मक केन्द्रों में से किसी में कोई विदेशी नागरिक काम कर रहा है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान् क्योंकि अब कोई प्रयोगात्मक केन्द्र नहीं, वहां किसी विदेशी नागरिक के काम करने का कोई मामला ही नहीं है ।

श्री बालकृष्णन् : मैं जान सकता हूं कि क्या कुटीर-उद्योग आरम्भ करने वाले नये व्यक्ति को कोई वैत्तिक सहायता दी जाती है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: यह पूर्णतः भिन्न प्रश्न है । इसका प्रयोगात्मक केन्द्रों से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री एस० सी० सामन्त : श्रीमान क्या मैं उन कुटीर उद्योगों के नाम जान सकता हूं जो इस प्रयोगात्मक योजना में सम्मिलित किये गये थे और योजना के असफल हो जाने के क्या कारण थे ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान् यह एक लम्बी कहानी है । यदि माननीय सदस्य प्रश्न लिख देंगे तो मैं उन्हें सविस्तार विवरण बता दूंगा । वास्तव में, कारण था केन्द्र तथा संबंधित व्यक्तियों के बीच सहयोग की कमी । वास्तव में, इसका बड़ा ही रोचक इतिहास है । इस केन्द्र का बड़ा विरोध हुआ था और अन्त में हमें पता लगा कि हम केन्द्र चला कर केवल कर देने वालों के धन को व्यय कर रहे थे । यदि यह किसी भी प्रकार से दुबारा खोला जाता है तो इसे निश्चय ही अन्य रूप में खोलना चाहिए ।

कोयले का उद्बन्धन

*१५४६. **डा० हरि मोहन** : (क) क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्रेणी १ और श्रेणी २ के कम शक्ति वाले कोयले के उद्बन्धन के लिए हाल में निकाले गये आदेशों के क्या कारण हैं ?

(ख) क्या ऐसा कोयला आर्थिक दृष्टि से धातुकार्मिक कार्यों के लिए मिश्रित करके अथवा धोकर उचित होता है ?

(ग) क्या यह सत्य है कि घरेलू-कोयला अधिकतर श्रेणी २ के कोयले से बनता है और ऐसे कोयले का उद्बन्धन जन-उपयोग कर्त्ताओं पर कुप्रभाव डालेगा ?

(घ) क्या सरकार को विदित है कि ऐसे कोयले का उद्बन्धन निकट भविष्य में कोयले की उत्पत्ति को प्रभावित कर सकता है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) इसके दो मुख्य कारण थे। पहिला यह कि श्रेणी १ और श्रेणी २ के कम शक्ति वाले बुझे पत्थर के कोयले के संचित स्टाक थोड़े थे। द्वितीय यह कि छांटी हुई श्रेणी की खानों पर जहां सब से पहिले उत्पत्ति का उद्बन्धन किया गया, अपनी अपनी छांटी गई श्रेणियों ऐ० और बी० के कोयले में कमी को पूरा करने के लिये श्रेणी १ और श्रेणी २ के कम शक्ति वाले कोयले की उत्पत्ति में वृद्धि करने पर प्रतिबन्ध लगाया गया था। इसने ऐसी खानों के विरुद्ध भेदभाव का काम किया क्योंकि श्रेणी १ और श्रेणी २ के कम शक्ति वाले कोयले की खानें अपनी उत्पत्ति में वृद्धि कर सकती थीं और उसकी कोई सीमा न थी। अतः सरकार ने ऐसी समस्त खानों के साथ समान आधार पर बरताव करना उचित समझा ।

(ख) हां, श्रीमान् ।

(ग) घरेलू कोयला अधिकतर श्रेणी २ और श्रेणी ३ के कोयले से बनता है। श्रेणी २ के कम शक्ति वाले कोयले का उद्बन्धन जन-उपयोगकर्ताओं पर कुप्रभाव नहीं डालेगा, क्योंकि निश्चित सीमा वही है जो १९५२ में उत्पादन का स्तर था और वह प्रयोग करने के लिये पर्याप्त था ।

(घ) नहीं इस का कोयले की उत्पत्ति पर कुप्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि उद्देश्य गैर धातु कार्मिक कोयले के उत्पादन में वृद्धि करके कम शक्ति वाले कोयले की उत्पत्ति में कमी को पूरा करना है।

डा० हरि मोहन : श्रीमान् क्या मैं जान सकता हूं कि रेल के कोयले की खानों में श्रेणी १ और २ के कोयले की उत्पत्ति पर इसी सिद्धान्त के अनुसार उद्बन्ध लगाया जायेगा अर्थात् १९५२ के आंकड़ों पर ?

श्री के० सी० रेड्डी : मैं प्रश्न नहीं समझ सका।

अध्यक्ष महोदय : मेरा विचार है कि यह रेल के कोयले की खानों में श्रेणी १ और २ के कोयले की १९५२ के वर्ष की उत्पत्ति जानना चाहते हैं।

श्री के० सी० रेड्डी : रेल के कोयले की खानों में १ मुझे खेद है कि यहां मेरे पास आंकड़े नहीं हैं मैं पूर्वसूचना चाहता हूं।

श्री रामानन्द दास : क्या मैं जान सकता हूं कि कोयले के इस उदबन्धन के फलस्वरूप कोयले की खानों में काम करने वालों में बेकारी फैल गई है ?

श्री के० सी० रेड्डी : नहीं, श्रीमान् हम इस बात पर ध्यान रख रहे हैं कि इस उदबन्धन की नीति से मजदूरों में कोई गम्भीर उखाड़ बकेढ न हो।

भारतीय नागरिकों को लंका में पुनः प्रवेश

*१५४७. **श्री थानू पिल्ले** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सामान्यतः लंका में रहने वाले ऐसे भारतीयों की संख्या क्या है जिन्हें लंका की सरकार द्वारा भारतीय तथा पाकिस्तानी नागरिक अधिनियम पास करने के पश्चात् लंका में पुनः प्रवेश करने से मना किया गया है; तथा

(ख) इन व्यक्तियों के लिए प्रवेश पत्र प्राप्त करने या इन्हें भारत में पुनः बसाने के लिए हमारी सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) लंका में भारतीयों का प्रवेश तथा पुनः प्रवेश आप्रवासी तथा उत्प्रवासी अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत होता है। इस अधिनियम के पश्चात् जिन भारतीयों को लंका में पुनः प्रवेश आज्ञा-पत्र नहीं दिया गया है उनकी संख्या का पता नहीं। फिर भी यह सूचना लंका में भारत के उच्च आयुक्त से मांगी गई है और प्राप्त होने पर सदन पटल पर रखी जायगी।

(ख) लंका में भारत के उच्च आयुक्त विशेषतः शारीरिक-क्लेशों के मामलों पर लंका के अधिकारियों से बार्त्ता कर रहे हैं। इन व्यक्तियों को भारत में पु बसाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री थानू पिल्ले : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि लंका में ऐसे कितने व्यक्तियों को भारत के उच्च आयुक्त से सहायता प्राप्त हुई है ?

श्री अनिल के० चन्दा : हमारे पास ठीक आंकड़े नहीं हैं परन्तु वहां शारीरिक क्लेश के मामलों को उच्च आयुक्त लंका सरकार के साथ तै करता है।

श्री थानू पिल्ले : क्या मैं जान सकता हूं कि (ग) के उत्तर में पुनर्वास का प्रश्न क्यों उत्पन्न नहीं होता ? इन व्यक्तियों को निकाल दिया गया है और यहां आ गये हैं और कोई उनकी सहायता करने वाला नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय : वह जानना चाहते हैं कि इन व्यक्तियों के पुनर्वास का प्रश्न क्यों उत्पन्न नहीं होता। जब भारतीयों को लंका में रहने तथा अपना व्यापार करने की अनुमति नहीं है, वे अवश्य ही भारत लौटेंगे और पुनर्वास का प्रश्न उत्पन्न हो जाता है। उनका यह तर्क जान पड़ता है।

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): यह पूर्णत: स्पष्ट नहीं है कि निर्देश भारतीय नागरिकों का किया जा रहा है अथवा लंका में भारतीय कुल वालों का जिन्हें लंका का नागरिक समझा जाता है। दूसरे मामले में वहां भारत के उच्च आयुक्त का केवल इतना ही संबन्ध है जितनी हमारी रुचि इस समस्या को लंका सरकार की सद्भावनाओं के साथ सुलझाने में है।

श्री थानू पिल्ले : मेरा तात्पर्य उन भारतीयों से है जो भारत के नागरिक रहने का निश्चय कर चुके हैं और सामान्यत: लंका में रहते हैं और व्यवसाय के लिए लंका लौटने में असमर्थ हैं।

श्री जवाहरलाल नेहरू : इन मामलों पर नीति निपुणता से बातचीत होगी। कोई भी देश किसी भी व्यक्ति को प्रवेश करने की आज्ञा दे सकता है और प्रवेश के लिए मना कर सकता है। यदि यह अनुचित रूप में किया जाता है तो नीतियुक्त अभ्यावेदन दिये जाते हैं।

श्री थानू पिल्ले : मेरा प्रश्न (ग) के प्रसंग में है। भारतीय नागरिक जिन्हों ने यहां भारतीय नागरिक रहने का निश्चय कर लिया है और सामान्यत: लंका में कुछ कार्य करते हैं, लंका में प्रवेश करने से रोके जाने पर यहां बेकार हैं। मैं पूछ रहा हूं कि इन व्यक्तियों के लिए क्या प्रबन्ध किये जा सकते हैं--इन्हें फिर बसने के लिए ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : भारत में ?

श्री थानू पिल्ले : हां।

श्री जवाहरलाल नेहरू : सहायता करने का प्रयत्न करने के अतिरिक्त, मैं नहीं समझता कि इस प्रकार भारत आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का सरकार क्यों उत्तरदायित्व ले।

श्री थानू पिल्ले : क्योंकि यह अयोग्यता रखने के.....

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न पर वार्ता कर रहे हैं। उत्तर बहुत स्पष्ट है।

उच्चतम न्यायालय के लिये इमारत

*१५४८. **श्री रघुनाथ सिंह**: (क) क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उच्चतम न्यायालय की प्रस्तावित इमारत का नक्शा किस संस्था या व्यक्ति ने तैयार किया है ?

(ख) यह इमारत किस प्रकार की होगी और क्या उसमें भारतीय वास्तु कला की झलक होगी ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) श्री जी० बी० दियोलालीकर ने, जो उस समय केन्द्रीय जन-निर्माण विभाग के मुख्य वास्तु शास्त्री थे।

(ख) मैं समझता हूं कि निर्माण-शैली वह है जो 'इण्डो-सारसेनिक' के नाम से जानी जाती है, अत: इसमें भारतीय निर्माण-शैली की झलक होगी।

श्री रघुनाथ सिंह : इस इमारत पर कितना खर्चा होगा ?

सरदार स्वर्ण सिंह : लगभग ४९ लाख।

श्री नानादास : श्रीमान् क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह उच्चतम न्यायालय को स्थर रूप से देहली में रखने का निश्चय हो गया और यह

कब निश्चय किया गया था और किसके द्वारा ?

सरदार स्वर्ण सिंह : श्रीमान्, कुछ वर्ष-पूर्व सरकार ने यह निश्चय किया था और निश्चय समस्त पहलुओं पर विचार करके किया गया था।

बहुत से माननीय सदस्य उठे।

अध्यक्ष महोदय : हम अगला प्रश्न लें। अब समय नहीं है।

खोपरा और नारियल के तेल का आयात

*१५४९. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारतीय केन्द्रीय नारियल समिति ने सरकार को सुझाव दिया है कि १९५३-५४ में केवल ५०,००० टन खोपरा तथा नारियल के तेल का भारत में आयात किया जाये; तथा

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सुझाव को स्वीकार कर लिया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) नहीं, श्रीमान्। इस सम्बन्ध में वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय को कोई पत्र आदि प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ख) उत्पन्न ही नहीं होता।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

भारत और बर्मा के बीच सीमा-रेखा

*१५२८. **श्री बी० एन० राय** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत तथा बर्मा के बीच सीमा-रेखा निश्चित होने वाली है; तथा

(ख) क्या भारत के सीमावर्ती प्रदेशों में और कोई ऐसा स्थान है जहां अभी तक सीमा-रेखा निश्चित नहीं हुई है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) मामला विचाराधीन है।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय सीमा निश्चित करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता क्योंकि यह प्रथा, प्रचलन तथा रीति रिवाज द्वारा भली भान्ति जाना जाता है।

स्वयंचलित इंजिनों के लाइसैंस के लिए लाइसैंस

*१५४१. **श्री बैंकटारमन्** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई राज्य सरकार को, अपने यहां जनवरी से जून १९५३ के बीच स्वयं-चलित इंजिनों तथा गाड़ियों के आयात के लिए, लाइसैंस देने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है ?

(ख) उनकी संख्या कितनी कितनी होगी तथा कुल कितनी धनराशि का व्यय उन पर किया जायगा ?

(ग) क्या ये इंजिन जुड़े होते हैं, और भारतवर्ष में उपलब्ध हैं ?

(घ) यदि ठीक है, तो आयात करने का लाइसैंस क्यों दिया गया---क्या कारण थे ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख). संसद् पटल पर विवरण प्रस्तुत [**देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ६**]

(ग) पर्किन इंजिन भारतवर्ष में जोड़ कर बनाये जाते हैं।

(घ) कोलम्बो योजना के अन्तर्गत कनाडा द्वारा दी जाने वाली सहायता के अनुसार पर्किन इंजिन मंगाने के लिये

आयात के लिए लाइसैंस दिया गया था । भारत सरकार को भारत में इंजनों को जोड़ कर बनाने की सूचना देने से पूर्व ही ये लाइसैंस दे दिये गये थे ।

इसके अतिरिक्त पता चला है कि भारत में बने इंजिनों का मूल्य बाहर से आये हुए इंजिनों की अपेक्षा अधिक है ।

आर्थिक अन्वेषकों का चयन

*११७०. **श्री नानादास**: क्या **योजना** मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) संघ लोक सेवा आयोग ने सामुदायिक योजना प्रशासन के लिए दो आर्थिक अन्वेषकों (श्रेणी १) का चयन कार्य समाप्त कर दिया है, जिनके लिए अगस्त सन् १९५२ में विज्ञापन प्रकाशित किया गया था ?

(ख) कुल कितने प्रार्थना पत्र आये तथा अनुसूचित जातियों और अनसूचित वन जातियों के कितने प्रार्थना पत्र आये ?

(ग) कितने प्रार्थियों को मौखिक परीक्षा के लिए बुलाया गया तथा कितने व्यक्ति चयन किये गये ?

(घ) क्या कोई अनसूचित जाति का प्रार्थी भी चयन किया गया ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी): (क) जी ।

(ख) और (ग). इस मामले में संघ लोक सेवा आयोग से पत्रव्यवहार जारी है ।

(घ) नहीं ।

अमरीका में गांधी स्मारक

*११७१. **श्री भीखाभाई**: क्या **प्रधान मंत्री** बतलाने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि अमरीका सरकार ने भारतीय राजदूत के नाम ६ एकड़ भूमि अमरीका में गांधी स्मारक बनाने के लिए नियत कर दी है ?

(ख) यदि यह ठीक है तो क्या यह भूमि निश्शुल्क मिली है अथवा किन्हीं अन्य प्रकार से ?

(ग) गांधी स्मारक बनाने के लिए अमरीकी सरकार क्या कोई आर्थिक सहायता देगी ?

(घ) गांधी स्मारक बनाने के लिए भारत सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): (क) वाशिंगटन में भारतीय राजदूत के नाम कोई भूमि नियत नहीं की गई। भारत सरकार समझती है कि संभवतः ऐसा प्रस्ताव है कि अमरीका म भारतीय संघ को गांधी स्मारक बनाने के लिए ५ एकड़ भूमि दे दी जाय ।

(ख) जहां तक सरकार को पता है, सम्भवतः यह भूमि निश्शुल्क दी जायगी।

(ग) सरकार के पास इसकी कोई जानकारी नहीं है ।

(घ) सरकार का इसके साथ कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है । अमरीका के भारतीय संघ ने ही स्मारक बनाने का कार्य चलाया था । भारत सरकार से सहायता करने की कोई प्रार्थना नहीं की गई ।

काफ़ी तथा काफ़ी से बनी वस्तुएं (आयात)

*११७२. **श्री बलवन्त सिंह मेहता**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५१-५२ तथा १९५२-५३ में कितनी मात्रा में काफ़ी तथा काफ़ी से बनी हुई वस्तुएं विदेशों से भारत आई तथा उनका मूल्य क्या था ?

(ख) उक्त आयात करने देने का क्या कारण है ?

(ग) क्या सरकार काफ़ी के आयात पर किसी प्रकार के प्रतिबन्ध लगाने का विचार कर रही है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख). वर्ष १९५१-५२ में कोई आयात नहीं हुआ । वर्ष १९५२-५३ के पहिले ११ महीनों में २ हन्ड्रेडवेट काफ़ी का (भूनी हुई और कच्ची के अतिरिक्त) जिसका मूल्य १००० रुपये था, कृषि संचालक मद्रास ने प्रयोगात्मक उद्देश्यों के लिए आयात किया था।

(ग) आयात पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है, अतः उत्पन्न ही नहीं होता ।

सरकारी क्वार्टरों में अनधिकृत किरायेदार

११७३. **श्री बहादुर सिंह** : क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५२ में जिन्हें अधिग्रहण तथा अर्जन अधिनियमों के अनुसार अधि-निष्कासित किया गया था क्योंकि उन्होंने अनधिकृत रूप से सरकारी क्वार्टरों पर अधिकार कर लिया था उनकी संख्या कितनी है ?

(ख) ३१ जनवरी १९५३ तक अभी कुल कितने ऐसे क्वार्टर हैं जिन पर अनधिकृत रूप से अधिकार है ?

(ग) क्या १ अगस्त १९४८ से पूर्व अवशिष्ट के रूप में अथवा तोड़-फोड़ के रूप में कुछ रुपया देना शेष रह गया था ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था, तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) सरकारी क्वार्टरों से अनधिकृत रूप से अधिकार करने वालों को सरकारी क्षेत्र (निष्कासन) अधिनियम १९५० के आधार पर निष्कासित किया गया था न कि अधिग्रहण तथा अर्जन अचल सम्पत्ति अधिनियम के अनुसार। वर्ष १९५२ में दिल्ली तथा नई दिल्ली से इस अधिनियम के अनुसार १५३३ परिवारों को निष्कासित किया गया था।

(ख) २६२।

(ग) जी हां। १५ अगस्त १९४७ से ३१ जुलाई १९४८ तक ३,६६,१०३ रुपया विस्थापित व्यक्तियों से जिन्होंने अनधिकृत रूप से सरकारी जगहों पर अधिकार कर रखा था लेना था ; बड़ी कठिनाइयों के उपरांत तथा बड़ी जांच के उपरांत हम इस निष्कर्ष पर आये हैं।

उद्योगों के लाभ

११७४. **श्री के० के० बसु** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) युद्धोपरांत सन् १९४५-४६ से अब तक, कपड़ा मिल, चीनी, सीमेंट, चाय, जूट, कोयला खदान उद्योगों में वार्षिक लाभ (दोनों सम्पूर्ण, तथा खाली नफा) कितना कितना हुआ ?

(ख) इन वर्षों में भिन्न भिन्न उद्योगों की अवमूल्यन तथा रक्षित निधि में कितना कितना धन निश्चित किया गया ?

(ग) इन वर्षों में लाभांश की औसतन दर जो घोषित की गई वह क्या थी ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) से (ग). उपलब्ध सूचना से शरित तीन विवरण सदन पटल पर प्रस्तुत हैं **[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्य ७]**।

आसाम की फौजी टुकड़ियों का पुनर्संगठन

११७५. **श्री गोहेन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या अगले वर्ष तक आसाम की फौजी टुकड़ियों का पुनर्संगठन हो सकेगा ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): जी हां ।

वैधानिक बोर्ड, आयोग, और समितियां

११७६. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके मंत्रालय के अंतर्गत बनाये गये आयोग और समितियों का उद्देश्य क्या है ?

वाणिज्य तथा उद्योगमंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : सदन पटल पर विवरण प्रस्तुत है [**देखिए परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या १०**]

अखिल भारतीय हस्तशिल्प कला मंडल

११७७. **श्री एम० एल० अग्रवाल** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अखिल भारतीय हस्तशिल्प कला मंडल ने अपने दायित्वों तथा कार्यसंचालन के लिए कितने व्यक्तियो को सेवा कार्य के लिए रखा है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : सदन पटल पर विवरण प्रस्तुत है [**देखिये परिशिष्ट १०, अनुबंन्ध संख्या ९**]

अखिल भारतीय हस्तशिल्प कला मंडल

११७८. **श्री एम० एल० अग्रवाल**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय हस्तशिल्प कला मंडल जिसको वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के प्रस्ताव संख्या ५१ क्रमशः सूची (१) १९५२ दिनांक ५ नवम्बर १९५२ के अनुसार स्थापना हुई थी उसके सदस्यों की योग्यता तथा वास्तविक अनुभव कुटीर उद्योगधन्धों के उत्पादन करने में क्या क्या रहा है ?

(ख) क्या यह अखिल भारतीय हस्तशिल्प कला मंडल भी अखिल भारतीय खादी तथा ग्राम कुटीर उद्योग मंडल जिसकी स्थापना सरकारी प्रस्ताव संख्या ४५ क्रमशः सूची (५) १९५२ दिनांक १४ जनवरी १९५३ के अनुसार हुई है उसी की भांति प्रशासन सम्बन्धी अधिकार भी रखता है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) सरकार के विचार से हस्तशिल्प कला मंडल के सभी सदस्य जिन्हें कार्य करने के लिए चुना गया है वे सभी मंडल का कार्य सुचारु रूप से करने के लिए उपयुक्त हैं।

(ख) हस्तशिल्प कला मंडल और खादी तथा ग्राम उद्योग मंडल का प्राथमिक कार्य परामर्श देना है । किन्तु नियमानुसार जहां कहीं भी सरकार इन मंडल के विचारों से मतभेद रखती है, वे उन विषयों पर जहां मतभेद है सम्बन्धित मंडल से विचार विमर्श करते हैं।

विदेशी औषधियां

११७९. **प्रो० डी० सी० शर्मा**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १९५२ में भारत में आयात की गई विदेशी औषधियों के मूल्य बताने की कृपा करेंगे ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): लगभग १३ करोड़ रुपये ।

क्रोम चमड़ा बनाने के केन्द्र

११८०. **श्री बादशाह गुप्त:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में क्रोम चमड़ा बनाने के मुख्य केन्द्र कहां कहां हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): भारत में क्रोम चमड़ा बनाने के मुख्य केन्द्र हैं कलकत्ता, कानपुर तथा मद्रास ।

ब्रिटिश उपनिवेशों में भारतीय

११८१. **श्री रघुनाथ सिंह:** (क) क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि भिन्न भिन्न ब्रिटिश उपनिवेशों में कितने भारतीय आबाद हैं ?

(ख) उन्हें उन उपनिवेशों में नागरिकता के पूर्ण अधिकार प्राप्त हैं अथवा नहीं ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): (क) भिन्न भिन्न ब्रिटिश उपनिवेशों में बसे भारतीयों की संख्या जहां तक उपलब्ध हैं, इस प्रकार है:—

ऐडन	—	९,४५६
ब्रूनी	—	४३६
ब्रिटिश उत्तरी बोर्नियो	—	१,२९८
ब्रिटिश सुमाली लैण्ड	- -	५५०
ब्रिटिश गियाना	—	१९०,८८०
सिप्रस	—	४०
फिजी	—	१४८,८०२
जिब्राल्टर	—	४१
गोल्ड पोस्ट	—	२५०
हांग कांग	—	१,५००
जमेका	—	२५,०००
केनिया	—	९०,५२८
मलाया	—	५७७,०००
मालटा	—	३७
मौरीसस	—	२७१,६३६
नाईजीरिया	—	५०
उत्तरी रोडेशिया	—	२,६००
नयासालैण्ड	—	४,०००
सरावक	—	२,३००
सीयरा ल्योने	—	५०
सिंगापुर	—	७२,०००
दक्षिणी रोडेशिया	—	४,१५०
तंगनाईका	—	५६,४९९
युगण्डा	—	३३,७६७
ज़ंज़ीबार और पेम्बा	—	१५.८१२
ब्रिटिश वेस्ट इण्डीज़	—	२२७ ३९०

(ख) इस विषय में सरकार को कोई सूचना नहीं मिली है। इन बस्तियों में दीर्घकालीन तक रहने तथा वहां रुचि प्राप्त कर लेने के कारण, भारतीय इस योग्य हो गये हैं कि वे सयुंक्त साम्राज्य तथा इन बस्तियों के नागरिक बन जायें।

जहां तक मलाया का संबंध है, उस उपनिवेश सरकार ने स्वयं अपने नागरिकता नियम बनाये हैं जो १५ सितम्बर १९५२ को लागू हुए। उन भारतीयों की सम्पूर्ण संख्या, जिन्हें ३१ अगस्त १९५२ को मलाया की नागरिकता के अधिकार प्राप्त हुए, अनुमानतः २००,००० है।

मिस्र में भारतीय चाय बाज़ार

११८२. **श्री रघुनाथ सिंह:** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या लंका से मिस्र को चाय का निर्यात होने के कारण भारतीय चाय बाज़ार पर, विशेष रूप से मिस्र में, बुरा प्रभाव पड़ा है ?

(ख) वर्ष १९५१-५२ में मिस्र में कितनी भारतीय तथा लंका की चाय का आयात किया गया ?

(ग) जनवरी से मार्च १९५३ तक की अवधि में मिस्र में कितनी भारतीय तथा लंका की चाय का आयात किया गया ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) यदि प्रश्न पूछने का तात्पर्य यह है कि मिस्र को भारतीय चाय का निर्यात लंका से स्पर्धा होने के कारण प्रभावित हो चुका है तो उत्तर नकारात्मक है ।

(ख)

	भारत	लंका
	१००० पांऊडों में	१००० पांऊडों में
१९५१	४,०४३	२३,६४८
१९५२	४,२०५	२५,६५३

(ग) आंकड़े एकत्रित किये जा रहे हैं और सदन पटल पर रखे जायेंगे ।

रेडियो व्यापारी सघ द्वारा दिये गये सुझाव

११८३. **श्री रघुनाथ सिंह** : (क) **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को ज्ञात है कि अखिल भारतीय रेडियो व्यापारी संघ की ९ अप्रैल, १९५३ को दिल्ली में हुई एक सभा में भारतीय प्रसारण को अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए कितने ही सुझाव रखे गये थे ?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इन सुझावों पर विचार करेगी ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर): (क) हां, श्रीमान्, समाचार पत्रों द्वारा ।

(ख) कुछ सुझावों पर सरकार विचार कर चुकी है और वे मानने योग्य न थे ।

Par. S. 18. IV. 1. 53
285

अंक ४ — ५ बुधवार

संख्या १ २२ अप्रैल, १९५३

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha

संसदीय वाद विवाद

लोक सभा

तीसरा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

Preservation Unit
1-4-92
Fumigated
On 7.11.83
Parliament Library

——:o:——

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

विषय-सूची

अनुपस्थिति की अनुमति [पृष्ठ भाग ३८२१-३८२२]

उद्योग (विकास तथा विनियमन) संशोधन विधेयक—
प्रवर समिति को भेजा गया [पृष्ठ भाग ३८२२— ३९०४]

445 PSD

(मूल्य ६ आने)

लोक सभा

बुधवार, २२ अप्रैल, १९५३

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिये भाग १)

९-१५ पू० म०

अनुपस्थिति की अनुमति

सभापति महोदय : मुझे माननीय सदस्यों को यह सूचना देनी है कि सरदार जोगेन्द्र सिंह सं० सं० २० अप्रैल १९५३ तक पूरे ६३ दिन अनुपस्थित रहे हैं और २१ अप्रैल, १९५३ को उन्होंने संसद् की बैठक में भाग लिया। अब उन्होंने ६३ दिन की अनुपस्थिति की अनुमति के लिये प्रार्थना पत्र भेजा है। वह बीमारी के कारण सदन की बैठकों में भाग नहीं ले सके हैं।

क्या सदन की यह इच्छा है कि सरदार जोगेन्द्र सिंह की १७ फरवरी से २० अप्रैल, १९५३ तक ६३ दिन की अनुपस्थिति क्षमा कर दी जाये, जसाकि उन्होंने अपने पत्र में प्रार्थना की है ?

अनुपस्थिति क्षमा कर दी गई

श्री बी० एस० मूर्ति (एलूरू) : श्रीमान्, मैं सूचना के हेतु पूछना चाहता हूं कि यदि माननीय सदस्य बीमार थे तो उन्होंने पहिले प्रार्थना पत्र क्यों नहीं भेज दिया ?

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत मामूली बात है। आशा है सदस्यगण भविष्य में इसका ध्यान रखेंगे।

उद्योग (विकास तथा विनियमन) संशोधन विधेयक

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ में संशोधन का विधेयक निम्नलिखित सदस्यों की प्रवर समिति को, २९ अप्रैल, १९५३ तक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का अनुदेश दे कर, सौंप दिया जाये :

श्री एन० वी० गडगिल, प्रो० दीवान चन्द शर्मा, श्री बलवन्तसिंह मेहता, श्री गोविन्द हरि देशपांडे, श्री फूलसिंह जी, बी० दाभी, श्री उपेन्द्रनाथ बर्मन, डा० जयन्तीलाल नरभेराम पारिख, श्री अब्दुरसत्तार, श्री एस० सी० देव, श्री भूपेन्द्रनाथ मिश्र, श्री भगवत झा आज़ाद, श्री राधेलाल व्यास, श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा, श्री के० जी० देशमुख, श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा, श्री राघवेन्द्र राव, श्री निवासराव दीवान, श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा

[श्री० टी० टी० कृष्णमाचारी]

श्री जी० आर० दामोदरन्, श्री सी० आर० बासप्पा, श्री रणबीर सिंह चौधरी, श्री त्रिभुवन नारायणसिंह, श्री श्रीचन्द सिंहल, श्री बैजनाथ कुरील, श्री चतुर्भुज वी० जसानी, श्री विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी, श्री बहादुरसिंह, श्री दुर्गा चरण बनर्जी, श्री मंगलगिरि नानादास, श्री कमल कुमार बसु, श्री जी० डी० सोमानी डा० इन्दु भाई बी० अमीन, श्री कन्डाला सुब्रह्मण्यम्, श्री चोइथराम पी० गिडवानी, श्री त्रिदिव कुमार चौधरी, श्री बी० राजगोपाल राव और प्रस्तावक।

मैं प्रारम्भ में यह बतला देना चाहता हूं हूं कि यह विधान जो कि १९५१ में काफी वाद विवाद और गर्मा गर्मी के बाद पारित किया गया था अब लगभग एक वर्ष से कार्य कर रहा ह। इसके क्रियान्वित होने का सबसे पहिला प्रमाण उद्योग मंत्रणा परिषद् का गठन है। परिषद् की सब से पहिली बैठक मई १९५२ में हुई थी और इसकी दो बैठकें हो चुकी हैं। समिति ने दी हुई अनुज्ञप्तियों की पड़ताल करवाने के लिये एक उपसमिति बनाई थी। इस उपसमिति की एक बैठक हो चकी है।

इस वधान का दूसरा पहलू अर्थात्, उपक्रमों के लिये पंजीयन की अनुज्ञप्तियां देने का काम भी काफी अच्छी प्रकार चल रहा हूं। इस सम्बन्ध में कितना काम हुआ है यह मैं सदन को बतला चुका हूं। वास्तव में सरकार ने यह देखा है कि यद्यपि कई उद्योगों को इस अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन करवाने की आवश्यकता नहीं है, किन्तु फिर भी वे अपना पंजीयन करवाने के लिये उत्सुक ह, यहां तक कि सरकार को बहुत से आवेदन पत्र लौटा देने पड़े क्योंकि सरकार को उन उपक्रमों का पंजीयन करने का अधिकार नहीं है।

इस विधान का दूसरा पहलू विकास परिषदों का गठन था। आरम्भ में यह सुझाव दिया गया था कि हमें छै परिषदें बनानी चाहियें। अन्य देशों में ये परिषदें कैसी चल रही थीं इस बात का अध्ययन करना पड़ता सौभाग्य से हमें एक ऐसा विशेषज्ञ मिल गया जो ब्रिटेन में इस प्रकार की परिषदों के कार्य से परिचित था और उसने कुछ थोड़ा सा प्रारम्भिक काम कर दिया है और सरकार को यह बता दिया कि उसे इन विकास परिषदों को कैसे चलाना चाहिए। इसके साथ ही इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जिस देश में ये विकास परिषदें पहिले पहल बनाई गई थीं वहां इन का इतिहास बहुत पुराना है, मैंने निजी रूप से यह अनुभव किया कि सरकार को इस विषय में सावधानी से काम करना चाहिए हम ने दो विकास परिषदें बनाई हैं, एक डीज़ल इंजिनों के सम्बन्ध में और दूसरी उर्वरकों के सम्बन्ध में। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता होती है कि इस सदन के एक माननीय सदस्य के सहयोग से जो कि डीज़ल इंज़िन परिषद् के सभापति हैं, दो दिन पूर्व इस की पहिली बठक हुई थी। उर्वरक विकास परिषद् की बैठक बहुत शीघ्र ही होगी। और विकास परिषदों को बनाने से पहिले सरकार इन परिषदों का काम देख लेना चाहती है।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष पद पर आसीन थे]

इस अधिनियम को क्रियान्वित करने में कुछ कठिनाइयां हुई हैं जिन्हें मैं इस समय बतलाऊंगा। अधिनियम के उपबन्धों से, अर्थात् धारा १५, १६ और १७ से भी हमें कम कठिनाई नहीं हुई। धारा १५ से सरकार को कुछ कारणों के होने पर किसी भी उद्योग की जांच का अधिकार मिल गया

है । इन कारणों का आधार अधिकतर उद्योगों का यह भय था कि क्योंकि सरकार को उद्योगों की जांच की काफी सुविधा मिली हुई है, अतः सरकार उद्योगों के मामले में बहुत हस्तक्षेप करेगी ।

जब से मैंने इस मंत्रालय का कार्य भार सम्भाला है, मैं उद्योगों को यह आश्वासन देता रहा हूं कि सरकार इस विधान का प्रयोग दण्ड देने के लिए नहीं करेगी अपितु अधिकतर विकास के लिये ही करेगी । प्रायः ऐसा होता है कि जो उद्योग अच्छी प्रकार नहीं चल रहे होते उन से सम्बन्धित लोग जो कि उन में काम नहीं करते इस बात को अनुभव करते हैं कि अमुक उद्योग ठीक प्रकार नहीं चल रहा है और सरकार को उसे ठीक करवाने में सहायता देनी चाहिए । तथापि हम देखते हैं कि धारा १५, १६ और १७ के अधीन सरकार को जो अधिकार मिले हुए हैं वे बहुत अपर्याप्त हैं । वास्तव में सरकार को किसी उद्योग की स्थिति की जांच करवाने का जो अधिकार मिला हुआ है वह अधिक व्यापक नहीं है । माननीय सदस्यगण सदन में इस प्रकार के जिज्ञासात्मक प्रश्न पूछते हैं कि अमुक उद्योग में उत्पादन क्यों घट गया और यह क्यों नहीं चल रहा है । वर्तमान धारा १५ के अधीन कुछ अधिकार तो मिले हुए हैं, किन्तु वे पर्याप्त विस्तृत नहीं हैं । और फिर इस में कुछ निश्चित प्रक्रिया दी हुई है जिससे कि सरकार आपातिक स्थिति में कार्यवाही नहीं कर सकती । पहिले हमें जांच करवानी पड़ती है, तब हम उस जांच के परिणाम के आधार पर किसी उद्योग विशेष को निदेश दे सकते हैं और उस के पश्चात् यदि उन निदेशों का पालन न किया जाये तो सरकार उस उद्योग को अपने हाथ में लेकर चला सकती है ।

इस प्रक्रिया में कई मास लगते हैं और जब उद्योग पर अधिकार किया जाता है, ऐसी कोई प्रक्रिया ज्ञात नहीं की गई है कि सरकार इसे कैसे चला सकती है । उस में निजी पार्टियों की रुचि है । उन में अंशधारियों की रुचि, प्रबन्धकर्ता प्रतिनिधियों की रुचि तथा करारों से उत्पन्न होने वाले उनके अधिकार हैं । इन परिस्थितियों में सरकार के लिए यह अति कठिन है कि वह उद्योग पर अधिकार करे और उसे उद्योग में सुधार करने के लिए या देश की साधारण अर्थ-व्यवस्था के हित में चलाये ।

इस सदन के माननीय सदस्य पूछ सकते हैं कि इस दिशा में में आप ने क्या अनुभव किये हैं, और ऐसा क्यों विचार करते हैं कि इन अधिकारों में अब संशोधन होना चाहिये ? मैं केवल एक उदाहरण बता सकता हूं जिसमें सरकार ने धारा १५ के अन्तर्गत पूर्व सूचना दी थी । यह इन्दौर स्थित एकवस्त्र निर्माणशाला है । परन्तु मुझे यह स्वीकार करने में कोई हिचकिचाहट नहीं कि जब किसी इकाई को पूर्व सूचना दी जाती है, सरकार को सम्पूर्ण स्थिति पर ध्यान देना पड़ता है । पूर्व सूचना के जो परिणाम होंगे, क्योंकि एक बार जांच पड़ताल हो जाने पर, यदि हम निदेश दे देते हैं और उनका पालन नहीं किया जाता, तो हमें उद्योग को अपने हाथ लेने तथा चलाने के लिये तैयार होना चाहिये । यह सरकारी कार्यवाही को क्षेत्र सीमित करता है । उस उद्योग को अपने हाथ में लेने में कोई बुद्धिमानी नहीं है जो प्रत्यक्षतः अधिक व्यय वाली है और चलाई नहीं जा सकती और जिसमें सरकार को अधिक मात्रा में धन लगाना पड़े और जहां तक इसके वैधानिक रूप का सम्बन्ध है, ऐसा करने में सरकार की वैत्तिक परिस्थिति अत्यन्त असुरक्षित है । अतः हम उन्हीं उद्योगों के सम्बन्ध में पूर्व सूचना दे सकते हैं जिनके

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

बारे में हमें विश्वास हो उद्योग का आधार दृढ़ है परन्तु उसे बुरी प्रकार चलाया जा रहा है, और हमें उन परिणामों की अनिवार्यता का भी विश्वास हो जो उसके होंगे, तो सरकार को उद्योग अपने हाथ में लेना पड़ेगा। हम इन हालतों में —चाहें राज्य सरकार हो या हम स्वयं हों—उद्योग चला सकेंगे। कदाचित् एक इकाई को पूर्व सूचना देने का यही कारण है, और जैसे कि यह हुआ, इकाई का आधार दृढ़ था। उद्योगपतियों ने विचारा कि इस सम्बन्ध में उन्हें सरकार के साथ अपनी शक्ति नहीं नापनी चाहिये, और मिल पुनः चालू किया गया। गत ग्यारह मासों के इन सब अनुभवों ने हमें यह प्रत्यक्ष रूप में दिखा दिया है कि कुछ संशोधन करने पड़ेंगे।

इस सदन के बहुत से माननीय सदस्य जो पहिले वहां थे और जो पुराने अधिनियम के बारे में सब कुछ जानते हैं, अवश्य ही सरकार के प्रति उसके वर्तमान प्रयत्न में सहानुभूति प्रदर्शित करेंगे। क्योंकि माननीय मन्त्रियों ने जो मुझ से पहिले इस कार्यालय में थे—मैं डा० एस० पी० मुखर्जी और श्री एच० के० महताब का निर्देश कर रहा हूं—इस विशेष व्यवस्था पर इतना ध्यान दिया था और मैं जानता हूं कि अब मैं क्रियात्मक रूप से ठीक उसी स्थान पर लौट रहा हूं जहां मेरे माननीय मित्र डा० एस० पी० मुखर्जी ने आरम्भ किया था, और केवल इस कारण प्रयत्न नहीं किये गये हमें विभिन्न रुचियों का भी यथोचित ध्यान रखना था। अब हम महसूस करते हैं कि न्यूनतम अधिकार जिन्हें सरकार इस विशेष व्यवस्था को सफल बनाने के लिए चाहती है वे हैं जो सदन में प्रस्तुत संशोधन विधेयक में दिये गये हैं।

में यह कहना चाहता हूं कि मुझे हर्ष है कि मैंने इस व्यवस्था को पुनर्स्थापित करने में वास्तव में हड्डों का छत्ता खड़ा नहीं किया है। वास्तव में मैं अपने आप मियां मिट्ठू बन सकता हूं कि जनता और रुचि रखने वाले व्यक्ति मेरे साथ डा० एस० पी० मुखर्जी की अपेक्षा जो मुझ से पहिले इस कार्यालय में थे कुछ अधिक सज्जनता का व्यवहार करते रहे हैं। हमें केवल तीन विरोधात्मक पत्र प्राप्त हुये हैं, एक भारतीय व्यापार तथा उद्योग मण्डलों की फैडरेशन से और अन्य दो औद्योगिक मन्त्रणा परिषद् के दो सदस्यों से स्वभावतः फेडरेशन को बड़े दृढ़ शब्दों में विरोध करना पड़ता है, और दो निजी सदस्यों से जिन्होंने अपने विरोधात्मक पत्र भेजे हैं उन्हें बड़ी सावधानी से लिखा है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि अपना विरोध प्रकट करने में उन्होंने तथ्य का उल्लेख किया है कि आजकल एक ऐसा वातावरण है कि व्यक्ति तथा देश महसूस करता है कि सरकार जल्दी में कोई ऐसी कार्यवाही नहीं करेगी जो उद्योग तथा उत्पादन में वृद्धि को प्रभावित करे। सौभाग्य से आजकल का लगभग यह क्रम है। यह वह प्रमाणपत्र है जिसके लिये यहां माननीय सदस्य कहेंगे कि हमें यह नहीं चाहिये, परन्तु यह वर्तमान परिस्थितियों का यह परिचय है उसका मैं अवश्य ही स्वागत करता हूं, और मैं यह तुरन्त कहना चाहता हूं कि मेरी इच्छा यह है—और मैं समझता हूं कि यही सरकार की इच्छा है—कि हम विचारों की उस स्थरता का बिगाड़ना नहीं चाहते जो अब उन व्यक्तियों के मस्तिष्क में है जिन पर उद्योग विकास का दायित्व है। मैं एक बार फिर उस आश्वासन को दुहराता हूं कि जो मैंने पहिले दिया था कि सरकार बिना आवश्यकता के उद्योग-प्रक्रिया में हस्ताक्षेप नहीं करेगी। क्योंकि, हमारे पास आवश्यक व्यक्ति नहीं हैं और इसके अतिरिक्त उस इकाई में सरकार द्वारा हस्ता-

क्षेप करने में कोई बुद्धिमानी नहीं है जिसका उत्पादन ठीक हो, जहां उत्पादन में वृद्धि हो रही हो, जहां मजदूरों के साथ अच्छा व्यवहार होता हो, और मजदूरों तथा मालिक बीच सम्भाव हों ? इस प्रकार के किसी भी उद्योग में सरकार के किसी भी सदस्य द्वारा हस्ताक्षेप करना उसका केवल पागलपन है । अतः मैं एक बार फिर कहता हूं कि इस संशोधन से हमारी इच्छा अपने अधिकारों को बढ़ाना नहीं है ताकि मैं हाथ बढ़ा कर उन व्यक्तियों को गरदन से पकड़ सकूं जो यहां वहां सरकारी नीति के प्रति विरोध प्रकट करते हैं । हमारी इच्छा राजनीतिक या सरकारी अधिकारों का इस दृष्टि से प्रयोग करने की नहीं है कि उद्योगों के ढांचे में भारी परिवर्तन कर दिये जायें । यह केवल प्रगति करते हुए देश की अर्थ व्यवस्था को सुधारने और एक लोकहितकारी राज्य के उद्देश्यों को प्राप्त करने की है।

इस सिलसिले में मैं उद्योग सम्बन्धी पत्रिका 'कामर्स' से कुछ पंक्तियां पढ़ कर सुनाना चाहता हूं, चुनाचि मेरा यह अनुभव है कि उक्त पत्रिका विशेष रूप से सरकारी नीतियों का जहां तक उद्योगों और वाणिज्य का सम्बन्ध है, के पक्ष में नहीं कही जा सकती क्योंकि इस में यह अनुभूति प्रकट की जाती है कि हम पर कदाचित् समाजवादी मित्रों का प्रभाव पड़ा है । इस पत्रिका के १८ अप्रैल वाले अक में एक लेख छपा है जो पूर्णतया सरकारी नीति का समर्थन नहीं करता, और इस में कहा है :

"वह किसी भी रूप में हो, उक्त विधेयक का यह नया खण्ड केन्द्रीय सरकार को इस बात का अधिकार प्रदान करता है कि वह अड़ियल औद्योगिक उद्यमों की व्यवस्था और नियंत्रण सम्भाले ताकि वर्तमान विधि की एक त्रुटि दूर हो जाय । वैधानिक उपबन्धों की अनुपस्थिति में सरकार के समक्ष दो कठिनाइयां हैं, जो इस प्रकार हैं : (१) अनुदेश जारी किये बिना और उसके पालन की प्रतीक्षा किये बिना ही एक ऐसी स्थिति में जहां आपातकालीन कार्य की आवश्यकता हो, सरकार व्यवस्था सम्भालने का असामर्थ्य, और (२) सरकार द्वारा व्यवस्था सम्भाले जाने के परिणामस्वरूप वर्तमान विधि की बारीकियों की कमी ।"

मेरा विचार है कि इस में न्यूनाधिक रूप में संशोधक विधेयक के प्रमुख उपबन्ध स्पष्ट किये गये हैं । जैसा मैं बतला भी चुका हूं, जहां तक मेरा सम्बन्ध है इस से एक ऐसी स्थिति प्रकाश में आ जाती है जो बहुत ही सुखद है और जहां सदन के बाहर, उद्योगपतियों में विश्वास पैदा करने अथवा इस सदन के माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाने का, जिन्हें इस सम्बन्ध में सरकार की नेकनीयती पर कुछ सन्देह हो रहा हो, प्रश्न आता है, मुझे यह कहने में हर्ष हो रहा है कि पत्रिका में कही गई बात से अधिक शब्द कहने का मेरा अभिप्राय नहीं, यद्यपि इस पत्रिका की नीति सरकारी नीतियों का अनवरत समर्थन नहीं करती ।

अब मैं, उन उपबन्धों के सम्बन्ध में जो इस विधेयक में आ चुके हैं, संक्षेप में कुछ एक शब्द कहूंगा । इन उपबन्धों पर जोर देने की कोई भी आवश्यकता नहीं क्योंकि ये बहुत ही सीधे-सादे हैं, किन्तु मुझे इसलिये इनकी व्याख्या करनी पड़ रही है कि कहीं इन का निर्देश किये बिना मुझ पर अशिष्टता का दोष न मढ़ा जाय । इस विधेयक के खण्ड २ में जो परिभाषा दी गई है उस से यही स्पष्ट होता है कि यह बात "existing industrial undertakings" ("वर्तमान औद्योगिक उद्यमों") पर लागू होगी । इस अधिनियम में कई जगहों पर इस प्रकार की शब्दावली आई है, और इसीलिये परिभाषा की आवश्यकता

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

है। खण्ड २ (ii) "new article" ("नई वस्तु") की परिभाषा देता है। यह एक ऐसा विषय है जिस से किसी हद तक ग़लत-फहमी हो सकती है, किन्तु हम अनुचित रूप से कोई भी ग़लत फहमी पैदा नहीं करना चाहते खण्ड २ के उपखण्ड (ii) में "new article" ("नई वस्तु") की परिभाषा देने का यत्न किया गया है। मैं माननीय सदस्यों को यह सुझाव दूंगा कि वे उक्त विधेयक के खण्ड ६ के साथ इस उपबन्ध को पढ़ लें, क्योंकि वही एक लागू खण्ड है। अधिनियम की वर्तमान धारा ११ के उपबन्धों से इस बात का स्पष्टीकरण नहीं होता कि "establish a new industrial undertaking" ("एक नये औद्योगिक उद्यम को स्थापित करें") शब्दावली में वस्तु निर्माण करने वाले वे उद्यम जो भिन्न अनुसूचित उद्योगों की श्रेणी में हैं, अथवा वे वस्तुयें जिन पर व्यापार चिन्ह अधिनियम की परिभाषा के अनुसार कोई न्या चिन्ह लगा है, अथवा वे वस्तुयें जो नये एकस्व में आती हैं, भी समा जाते हैं। अतः यह उपबन्धित हुआ है कि अनुज्ञप्ति या आज्ञा प्राप्त की जानी चाहिये, अथवा इस प्रकार की कोई वस्तु तैयार करने से पहले उस उद्यम को मौजूद अनुज्ञप्ति या आज्ञा में उचित संशोधन कराना चाहिये, और इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये इन्हें नई वस्तुओं की संज्ञा दी गई है। मैं एक उदाहरण दे कर इस सम्बन्ध का स्पष्टीकरण करूंगा। हमारे इस देश में देशी और विदेशी कई ऐसे कारखाने हैं जो कोई भी नई वस्तु अथवा नये ढंग की नये नाम की वस्तु बनाने से नहीं रोके जा सकते। भले ही दांत का मंजन, दंतलेप या दंतपिष्टि हो। उसका कोई नया नाम दिया गया हो, और वे अनुज्ञप्ति ले कर, विदेशी निर्माता की वह वस्तु बेचें। यदि इस में किसी प्रकार का विदेशी विनिमय होगा तो उन्हें सरकार से आज्ञा मांगनी पड़ेगी। किन्तु प्रायः ऐसी बात भी सरकार के ध्यान में न लाई जाय, क्योंकि वे शायद ऐसा कहें कि "हम कोई भी पैसा नहीं देना चाहते।" अधिकार शुल्क की अदायगी से सम्बन्धित मात्र करार सरकार के समक्ष नहीं आता, करार की बात तभी होती है जब पैसा देना पड़ता है। हम चाहते हैं कि ऐसे मामले भी अनुज्ञप्ति देने वाली समिति के समक्ष रखे जायें, और हम यह भी चाहते हैं कि वे हमें यह बतायें कि वे किस प्रकार का अधिकार शुल्क देंगे, उस के अनुसार किस प्रकार की और कितनी अदायगी करनी होगी ताकि अनुसूची के क्षेत्र में आने वाले औद्योगिक उद्यम को जब विस्तार मिले तो सरकार को उसका पता चले और सरकार विशेष रूप से उसकी आज्ञा दे। मेरे विचार हैं कि इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए कि हम औद्योगिक क्षेत्र की प्रगति पर पूरा पूरा नियंत्रण रखना चाहते हैं, यह एक महत्वपूर्ण उपबन्ध है।

खण्ड ३ में धारा ४ के लोप का उल्लेख है। माननीय सदस्य इस बात से नहीं डरें। जब हम धारा ४, जो विशिष्ट पूंजी के उद्योगों तक ही अनुज्ञप्ति देने वाली समिति की गतिविधियों का क्षेत्र सीमित करती है, का लोप करते हैं, तो हमारा ऐसा अभिप्राय नहीं कि हम प्रत्येक उद्योग को, वह चाहे कितना भी छोटा हो, शामिल करना चाहते हों। प्रायः ऐसा हो सकता है कि पूंजी कम हो, किन्तु चालू पूंजी बहुत अधिक हो सकती है। अतः एक, हम ने यह अनुभव किया कि उचित रूप से इन सभी परिस्थितियों की परिभाषा दी जानी चाहिये, और हम उस धारा द्वारा यह काम कराना चाहते हैं जो विमुक्तियों के मामलों के सम्बन्ध में है। इस सिलसिले में, मैं सदन से क्षमा मांगना चाहता हूं कि उद्देश्य तथा कारण

विवरण में विमुक्ति सम्बन्धी धारा २९ बी के बदले भूल से धारा २८ छपा है। चुनांचि प्रस्तुत धारा २९ बी धारा २८, जो मौलिक रूप से विमुक्ति सम्बन्धी धारा है, का संशोधित रूप है, और इससे वे ही मामले निपटाये जायेंगे जो धारा ४ के लोप हो जाने पर प्रस्तुत होंगे।

खण्ड ४ (क) वास्तव में विस्तृत रूप से कोई बात समझाता है। अधिसूचित किये जाने वाले पंजीयनकाल से इसका सम्बन्ध है, और माननीय सदस्य इसे समझ भी सकेंगे।

इसी प्रकार खण्ड ४ (ख) में भी विस्तार और बारीकी की बात है।

खण्ड ५ में कई आवश्यक मामलों के पंजीयन के लोप का अधिकार दिया गया है। इस में कोई भी तुक नहीं कि समय-समय पर पैदा होने वाली परिस्थितियों में, पंजीयन के लोप अधिकार के बिना ही अनुज्ञप्ति देने वाले अधिकारी सार्थों का पंजीयन करें।

खण्ड ८ तो वर्तमान धारा १३ का संशोधित रूप है। ठोस विस्तारों की अनुज्ञप्ति भी दी जाती है। जैसा मैंने बताया, नई वस्तु के सम्बन्ध में ठोस विस्तार के प्रश्न पर हर बार विवाद किया जाता है। यह विशेष खण्ड ठोस विस्तारों की अनुज्ञप्ति के सम्बन्ध में है और यह दिखाता है कि सरकार की दृष्टि में ठोस विस्तार कौनसे हैं—यद्यपि हमारे पास इसके बाद एक और खण्ड आता है जो यह बताता है कि इन मामलों में सरकार की राय ही अन्तिम है।

खण्ड १० अनुसूचित उद्योगों की जांच करने का अधिकार प्रदान करता है। मेरा विचार है कि मुझे इस पर ज़रा सा विस्तारपूर्ण वक्तव्य देना पड़ेगा क्योंकि, जैसा मैंने बताया भी, धारा १७ में के परिवर्तनों को छोड़ कर यह ऐसा एक और खण्ड है जिस से जनता के मन में कदाचित् सन्देह पैदा होंगे। मैं माननीय सदस्यों का ध्यान धारा १५ की ओर आकर्षित करूंगा जिस में यह बताया गया है कि जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है किसी भी अनुसूचित औद्योगिक के उद्यम उत्पादन में कमी हुई है उसकी निर्मित वस्तु की बनावट में विशेष ह्रास हुआ है, अथवा मूल्य में बढ़ोतरी होने की सम्भावना है, आदि, वहां वे नोटिस जारी कर सकते हैं। सदन के माननीय सदस्य यह समझ लेंगे कि ऐसी बात बहुत हद तक वित्तीय आयोग की उन सिफारिशों, जो उद्योगों पर अंशतः सरकार द्वारा और संरक्षित उद्योगों पर अंशतः तट कर आयोग द्वारा बिठाये जाने वाले नियन्त्रण से सम्बन्धित है, पर आधारित है।

धारा १५ का दूसरा खण्ड २ (ख) है जिसका पाठ वर्तमान रूप में इस प्रकार है :

"जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि कोई औद्योगिक उद्यम इस प्रकार प्रबन्धित हो रहा है जिससे उन उपभोक्ताओं या उनकी ठोस संख्या जिन के लिये वे वस्तुयें या किसी भी प्रकार की वस्तुयें बनाई जाती हैं अथवा उत्पादित होती हैं, के हितों को भारी आघात या क्षति पहुंचने की संम्भावना है।"

निस्संदेह, अपने रूप में यह भी बहुत विशद है, किन्तु यह सिद्ध करना बहुत कठिन होगा कि उपभोक्ताओं को किस प्रकार हानि पहुंची है। यह एक ऐसा मामला है जिस में सरकार को इस बात का निश्चय करना चाहिये कि सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक है अथवा नहीं। इसीलिये, हम चाहते हैं कि उक्त उपधारा का निम्नलिखित रूप में संशोधन हो :—

"कोई भी औद्योगिक उद्यम जिसकी प्रबन्ध-व्यवस्था इस ढंग की हो कि वह सम्बद्ध अनुसूचित उद्योग अथवा सार्वजनिक

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

हित के लिए बहुत ही अधिक ध्वंसकारी हो।"

अस्तु, मैं इस बात से सहमत हूं कि यह बहुत विशद है। किंतु आपको यह जान लेना चाहिये कि इससे केवल जांच होगी। सत्य तो यह है कि समवाय अधिनियम जैसे इसी प्रकार के अन्य अधिनियम इस प्रकार के कई मामलों में अंशधारियों को अधिकार देते हैं--यद्यपि इस काम के चलाने में काफ़ी समय लग जाता है। सम्भवत: समवाय अधिनियम को संशोधित किया जाय ताकि नियंत्रण करने वाला सरकारी अधिकारी इस ढंग से काम करे जैसा यहां बताया गया है। मैं जानता हूं कि यही एक उपबन्ध है, जो उस दूसरे यानी धारा १७ के संशोधन को छोड़ कर जिस का मैं उल्लेख कर चुका हूं किसी हद तक भ्रान्त धारणा पैदा कर देता है। किन्तु इस बात में कोई तुक नहीं कि सरकार के पास ऐसे अधिकार हों जिन्हें वर्तमान उपधारा (ख) के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है; क्योंकि ऐसा करने से हम कहीं भी नहीं पहुंच पाते; व्यावहारिक दृष्टि से यह बिल्कुल बेकार पड़ चुका है। अत: एव, हम ने यह सोच लिया कि इस में संशोधन की आवश्यकता है।

खण्ड ११ धारा १७ को रद्द कर देता है। मैं इस विशेष मामले पर विचार कर चुका हूं। मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि यह नया अध्याय--अध्याय ३ ए वस्तुत: एक भिन्न रूप में धारा १७ का दूसरा रूप है। यह औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम में के तत्सदृश उपबन्धों का एक शब्दश: प्रतिरूप है। हो सकता है कि अनुकरण ही चापलूसी का सर्वश्रेष्ठ रूप हो, और इसके लिये मैं उन लोगों को श्रद्धांजलि भेंट करूंगा जिन्होंने इसे बनाया है; उस सारे का यह भाव है : औद्योगिक वित्त निगम उन उद्योगों को किस प्रकार चला सकता है जो उसके ऋणी हैं? केवल संभालने से हमारी स्थिति लगभग वही है। वहां उन्हें उन उद्योगों को सम्भालना पड़ता है क्योंकि वे साहूकार हैं। और यहां मुझे इसीलिये ऐसा करना पड़ रहा है क्योंकि मैं आसधारी हूं। मैं इसी बात पर जोर दूंगा कि सरकार की स्थिति एक आसधारी से अधिक की नहीं। मैं निषिद्ध क्षेत्र की ओर नहीं जाना चाहता न तो राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में या इसके विपक्ष में कोई बात कहना चाहता हूं; हां ठेठ शब्दों में इतना तो बता देना चाहता हूं कि कभी भी इस उपबन्ध को उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के लिये प्रयोग में नहीं लाया जाएगा निहित हित वाले यदि वे चाहें तो इस बात का आश्वासन प्राप्त कर सकते हैं। जब भी हम उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करेंगे, हम बहुत ही स्पष्ट और सीधे ढंग से करेंगे। किन्तु ये विशेष उपबन्ध जैसा मैं सदन में अनेक बार कह चुका हूं, उद्योगों को चालू रखने के लिये ही बनाये गये हैं। और आसधारी के रूप में काम करना ही हमारा अभिप्राय है। साधारणतया हम न्यायालय के समक्ष यह मांग करेंगे कि किसी को वसूली पर नियुक्त किया जाय। किन्तु हम वे सभी बातें इसी समय नहीं कर सकते क्योंकि एक ओर तो हमारे पास उतना समय नहीं है, और दूसरी ओर उन व्यक्तिक हितों, जो इस प्रकार की कार्यवाही से संगत निश्चयों के सम्बन्ध में संदेहों, आशंकाओं और खतरों को जन्म देंगे, का न्यायनिर्णय भी नहीं हो सकेगा। तो ऐसी परिस्थिति में सरकार को ही इस बात का एकमात्र निर्णय करना चाहिये कि देश की अर्थ नीति के लिये कौनसा विशेष उद्योग ठीक रहेगा और उसी को चालू रखना चाहिये। श्रमिकों और प्रबन्धकों के बीच भिड़न्त हो; और प्रबन्धक कहें : हम उद्योग को ही बंद कर देंगे--क्योंकि वे श्रमिकों को उकसाना

चाहते हैं। समय समय पर इस प्रकार की स्थिति पैदा हो सकती है मैं इस बात का उल्लेख भी करना चाहता हूं कि अध्याय ३ ए का संविधि पुस्तक में होना ही--हां यदि सदन इस प्रकार की अनुमति दे तो--किसी प्रकार का दुराचरण न होने की प्रत्याभूति है।

कुछ मामलों में हम इस का प्रयोग कर सकते हैं। मैं इस बात को चाहता हूं कि सरकार के पास ऐसे अधिकार हों कि वह यह देख सके कि औद्योगिक इकाइयां भली प्रकार से कार्य करती हैं यह बात दूसरी है हम उन अधिकारों का प्रयोग चाहे न करें। मैं इन उपबन्धों के सम्बन्ध में जो कि सदन के औद्योगिक वित्तीय निगम अधिनियम के सिलसिले में पारित कर दिये हैं, अधिक नहीं कहूंगा।

अब मैं अध्याय ३ (ख) को लेता हूं। इस सम्बन्ध में मैं सदन के सदस्यों को इस बात का आश्वासन देता हूं कि हमारा विचार सरकार के अधिकार बढ़ाने का नहीं है। सारभूत प्रदाय (अस्थाई अधिकार) अधिनियम जिन का व्ययगमन सन् १९५४ में होगा इस के अन्तर्गत आजकल सरकार द्वारा मूल्य नियंत्रण का प्रयोग किया जाता है और राज्य परिषद के सहयोग से वस्तुओं का प्रदाय तथा मूल्य अधिनियम का प्रतिवर्ष नवकरण किया जाता है। हम देखते हैं कि अनुसूचित उद्योगों के सम्बन्ध में सरकार के उत्तरदायित्व इतन विस्तृत हैं कि मूल्य नियंत्रण अधिकार के बिना उत्तरदायित्व की पूर्ति नहीं हो सकती। मैं जानता हूं कि सदन के माननीय सदस्यों ने कई बार पूछा है कि यह "मूल्य नियंत्रण क्यों है। जब आपने इस में एक दिशा में इस में छूट दे दी है तो दूसरी ओर भी इस में छूट क्यों नहीं दे देते।" मूल्य नियंत्रण में छूट का प्रश्न अथवा इसके प्रयोग का मामला तो किसी विशेष उद्योग की आवश्यकताओं तथा इस की वस्तुओं के संभरण के द्वारा निर्धारित होना चाहिए। उस दिन श्री तुलसीदास किलाचन्द ने एक प्रश्न किया था कि कुछ कपड़ों के मूल्य नियंत्रण के सम्बन्ध में तो छूट दे दी गई है; अन्य कपड़ों, के बारे में सरकार कब छूट देगी ?

श्री तुलसीदास (मेहसाना पश्चिम) : मेरा अभिप्राय मूल्य नियंत्रण से नहीं अपितु उत्पादन नियंत्रण से है।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : वह बहुत से प्रश्न करते हैं कि कभी कभी मूल्य तथा उत्पादन के विषय में भ्रान्ति हो जाती है। मैं जानता हूं कि वे मूल्य नियंत्रण तथा तत्सम्बन्धी विषय के बारे में बहुत से प्रश्न लाये हैं। मैं समझता हूं कि उन का उत्तर मुझ अगले दिन देना होगा। यही कारण है कि मेरे मन में भ्रान्ति उत्पन्न हुई है।

यह बहुत ही उचित प्रश्न है। मूल्य नियंत्रण केवल नियंत्रण के लिए ही लागू नहीं किया जाता; इस से होने वाली कठिनाइयों को मैं जानता हूं। कभी कभी ऐसा होता है कि मूल्य जिसे हम अधिकतम समझते हैं वह न्यूनतम मूल्य का कार्य करता है और उपभोक्ता को जिसे कि हम लाभ पहुंचाना चाहते हैं बाजार में उस वस्तु के मूल्य में प्रति स्पर्द्धा न होने के कारण निश्चय ही उसे अधिक मूल्य देना पड़ता है। ऐसा आजकल कपड़ा उद्योग में हुआ है। वितरक व्यापार में विभिन्न इकाइयों के लिए हमें मूल्य की सीमा निर्धारित करनी पड़ती है और यह स्वाभाविक ह कि सरकार को काफ़ी उदार होना पड़ता है किन्तु फिर भी उस पर कृपणता का आरोप लगाया जाता है। आज ऐसा हो गया है कि उन क्रय वस्तुओं की, जिन पर से मूल्य नियंत्रण उठा लिया गया है, व्यापार की सीमा कम हो गई है। बहुत कुछ अंशों में इस का लाभ उपभोक्ता को मिलता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि सरकार द्वारा नियंत्रण करने से ही लाभ होता हो। उद्योगों के भविष्य में विकास के बारे में दूसरी बात भी है :

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

जैसा कि वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अनुदानों की मांगों के बारे में उत्तर देते हुए मैं ने सदन में कहा था कि सरकार को उद्योगों को बढ़ाने तथा संस्थाओं के स्थापन में प्रोत्साहन देने के क्षेत्र में सक्रिय रूप से प्रवेश करना होगा । यदि सरकार ऐसा करती है तो सरकार तभी इन्हें लाभदायक बनायगी; अथवा यह देखेगी कि इन्हें किसी भी प्रकार से कोई हानि न हो और इसके लिए मूल्यों पर नियंत्रण करना पड़ेगा । दूसरी ओर यदि यह विवरणी की प्रत्याभूति देती है, जैसा कि सम्भवतः भविष्य में हम कुछ चुने हुए उद्योगों में करें तो प्रत्याभूति न मांगने का एक ही रास्ता है और वह है दिये हुए मूल्य ऐसे हों जिन में प्रत्याभूति मांगन की कोई संभावना ही न हो । अतएव मूल्य नियंत्रण को इस प्रकार की आर्थिक नीति का आन्तरिक अंग होना पड़ेगा और उस सरकार का भी जो भविष्य में बनेगी । यह केवल इतनी अधिक परवाह जो कि उस विधान के संशोधन करने में जिसे कि मैं सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, करने से है; चाहे यह उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम हो अथवा चाय नियंत्रण अधिनियम अथवा अन्य कोई दूसरा अधिनियम हो, अब हम मूल्य नियंत्रण करने के अधिकार लेते हैं, क्योंकि मैं उस समय की बात सोच रहा हूं जब कि मुझे यहां नहीं आना पड़ेगा मेरे सदन से वस्तुओं के प्रदाय तथा मूल्य अधिनियम का जीवन बढ़ाने के लिए और समय के बारे में भी कहना होगा, जब कि संभवतः सारभूत प्रदाय (अस्थाई अधिकार) की यह गड़बड़ तथा वे युद्धकाल की आवश्यकताओं को देखते हुए सरकार को—और उस सरकार को जो कि सर्वप्रिय सरकार नहीं थी—मिले हैं, अधिक दिन तक नहीं रहेंग, और उस समय हमें उचित रूप से आयोजित मूल्य नियंत्रण का एक नया ढंग बनाना होगा जो कि यह देखेगा कि बुराइयां अधिक से अधिक दूर की गई हैं । मैं इस समय विशेष विषय पर अधिक कहना अच्छा नहीं समझता ।

परिभाषा के प्रश्न के सम्बन्ध में जैसा कि मैंने पूर्व में कहा था—वास्तविक विकास क्या है, नई वस्तु क्या है इत्यादि, इस मामले म सरकार की स्थिति न्यूनाधिक अन्तिम होगी और खंड १३ का सम्बन्ध इस विशेष विषय से है ।

दूसरी चीजें तो न्यूनाधिक अनुवर्ती हैं । हम ने बहुत सी धाराओं को—धारा २३ से आगे वाली कई धाराओं को पूर्ण रूप से बदल दिया है । खंड १६ तथा उसके पश्चात् के खंडों का सम्बन्ध परिभाषा के प्रश्न से है—अधिकारों का प्रत्यायोजन, आदेश निगम करने का अधिकार, अपराधों का हस्तक्षेप्य, प्रमाणभार, अदालतों के क्षेत्राधिकार आदि ये खंड वास्तव में उन अधिकारों का दूसरा रूप है जो अभी सारभूत प्रदाय (अस्थाई अधिकार) अधिनियम के अन्तर्गत सरकार को प्राप्त है, तथा मूल्यनियंत्रण के कामों के लिए अवश्यक है ।

मैं ने नियुक्ति खंड की ओर निर्देश किया है जिस के सम्बन्ध में उद्देश्य और कारणों के विवरण में छपाई की भूल हो गई है । यह २९ (ख) होनी चाहिए ना कि २८ वर्तमान खंड मूलधारा की अपेक्षा थोड़ा अधिक विस्तृत है, जैसा कि हम उसे निकाल रहे हैं अथवा किसी भी दशा में खंड ४ को निकालना चाहते हैं ।

संशोधन के उपबन्धों का यह संक्षिप्त वर्णन है । एक बार फिर मैं यह बतला देना चाहता हूं कि संशोधन यद्यपि स्वयं बड़े महत्वपूर्ण हैं फिर भी इनका उद्देश्य न तो क्रांतिकारी है और न सरकार को ऐसी गोपनीय शक्तियां

देता है कि जिन का प्रयोग उद्योगों को हानि पहुंचान के लिए किया जा सके। अधिनियम को जिसे सदन ने पारित किया था और उस के निर्देशों के अनुसार एक वर्ष तक क्रियान्वित करने के उपरान्त हम देखते हैं कि ये संशोधन आवश्यक हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ "कि उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम १९५१ में संशोधन करने का विधयक निम्नलिखित सदस्यों की प्रवर समिति को २९ अप्रैल १९५३ तक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का अनुदेश देकर सौंप दिया जाय :

श्री एन० वी० गाडगिल, प्रो० दीवानचन्द शर्मा, श्री बलवन्त सिंह महता, श्री गोविन्द हरी देशपांडे, श्री फूलसिंह जी, बी० दाभी, श्री उपेन्द्रनाथ बर्मन, डा० जयन्तीलाल नरभेराम पारीख, श्री अब्दुस सत्तार, श्री एस० सी० देव, श्री भूपेन्द्रनाथ मिश्र, श्री भगवत झा अजाद, श्री राधेलाल व्यास, श्री सत्येन्द्रनरायण सिन्हा, श्री के० जी० देशमुख, श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा, श्री राघवेन्द्र राव, श्री निवास राव दीवान, श्री राजेन प्रसाद सिन्हा, श्री जी० आर० दामोदरन, श्री सी० आर० बासप्पा, श्री रनवीरसिंह चौधरी, श्री त्रिभुवन नारायन सिंह श्री श्रीचन्द सिंहल, श्री बैजनाथ कुरील, श्री चतुर्भुज वी० जसानी, श्री विशम्भरदयाल त्रिपाठी, श्री बहादुरसिंह, श्री दुर्गाचरन बनर्जी, श्री मंगला गिरी नानादास, श्री कमल कुमार बसु, श्री जी० डी० सोमानी, श्री इन्दुभाई बी० अमीन, श्री कंडासा सुब्रह्मण्यम्, श्री चोइथराम पी० गिडवानी, श्री त्रिदीव कुमार चौधरी, श्री वी० राजगोपालाराव और प्रस्तावक ।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता–उत्तर-पूर्व) : माननीय मंत्री ने कहा है कि आजकल की प्रचलित स्थिति में सरकार बहुत अधिक हस्तक्षेप नहीं करेगी और वह इस देश में आर्थिक व्यवस्था का जो संतुलन है उस को बिगाड़ना पसन्द नहीं करती। मेरा विचार है कि इस राज्य में जो अपने लोक-कल्याण राज्य कहने का दावा करता है संतुलन नाम की कोई वस्तु मुझे आजकल नज़र नहीं आती। मैं अनुभव करता हूं कि माननीय मंत्री उन स्वार्थों को, निहित स्वार्थों को, सान्त्वना के लिए अपने विषय से कुछ दूर चले गये हैं। उन्हों ने बताया था कि दो वर्ष पूर्व मुख्य अधिनियम अत्यन्त आवश्यक था। मुझे सन्देह है कि माननीय मंत्री ने अपना प्रस्ताव रखते और उस का समर्थन करते समय कुछ ऐसी बातें कही हैं जिन से हमारा सन्देह इस प्रकार के विधान के बारे में सरकार के इरादों के प्रति और भी दृढ़ हो गया है। हम यह बात नहीं कहते कि हमारे देश में एकदम सीधे रूप में राष्ट्रीयकरण हो सकता है; किन्तु मैं यह नहीं समझ सका कि माननीय मंत्री को निहित स्वार्थों के बारे में आश्वासन क्यों देना चाहिए ? उन्हों ने कहा था कि यदि निहित स्वार्थ कोई आश्वासन चाहते हैं तो वे आश्वासन अब ले लें किन्तु, यह पग न तो अब ही और न भविष्य में ही उद्योगों के राष्ट्रीय करण के बारे में होगा। इस से तो यह प्रकट होता है कि हवा किधर को बह रही है। इस से प्रकट होता है कि हम किस प्रकार उन समस्याओं से दूर हट रहे हैं जो कि देश के सामने हैं जैसा कि १९४८ के औद्योगिक नीति सम्बन्धी वक्तव्य से प्रकट होता है जो किसी प्रकार भी क्रांतिकारी नहीं कहा जा सकता ।

श्री टी० टी० कृष्णामचारी : स्पष्टीकरण के हेतु मैं कहना चाहता हूं कि यह प्रयोग में आने वाला हथियार नहीं है। मैं वास्तव में सरकार की किसी नीति में परिवर्तन नहीं कर रहा हूं। जो कुछ मैं ने कहा वह यह था कि यह वह हथियार नहीं है जिस का कि मैं प्रयोग करूंगा ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : जो कुछ माननीय मंत्री कहते हैं उसे मैं स्वीकार करता हूं किन्तु जब से औद्योगिक नीति वक्तव्य १९४८ जारी किया गया है तब से सरकार की कार्यवाही इस प्रकार की रही है कि जनता के दिल में सन्देह उत्पन्न हो गया है कि हमारी आर्थिक व्यवस्था को नया रूप देने का कोई वास्तविक विचार नहीं है; अपनी आर्थिक व्यवस्था को नया रूप देने के सरकारी निश्चय के आधार पर ही हम इस विधेयक का, जो कि सदन के सामने है स्वागत करने को तयार हैं।

हम जानते हैं कि यह विधयक बहुत महत्वपूण है क्योंकि योजना आयोग ने स्पष्ट रूप से निर्देश कर दिया है कि मुख्य साधन जो कि इस बात को देखने के लिए कि उद्योगों के गैर सरकारी क्षेत्र इस के द्वारा बनाये गये विकास कार्यक्रम को सुचारू रूप से कार्यान्वित कर पाते हैं अथवा नहीं, वह है उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम और इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि यह उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम को और भी कड़ा बना दिया जाय। जहां तक कि इस अधिनियम को इस संशोधन के द्वारा कठोर बनाने की बात है वहां तक हम इस का स्वागत करते हैं जब हम देखते हैं कि एक ओर विधेयक को फिर से मान्यता दी गई है कि यथेच्छा कारिता अर्थ व्यवस्था वास्तविक एवं सच्चे रूप से की गई है, किन्तु दूसरी ओर हम सरकार का विचार आर्थिक व्यवस्था को अच्छा बनाने के लिए तीव्रतर एवं प्रभावशाली पग उठाने का नहीं देखते। उदाहरण के लिए मैं कहूंगा कि उद्योगों के लाभ के बारे में कोई सीमा नहीं है जिस का कि कांग्रेस सरकार ने सन् १९४८ के उद्योग विधेयक में प्रस्ताव किया था। यदि उस विधयक के अनुसार उचित रीति से कार्य किया गया होता तो योजना के लिए प्रतिवर्ष २०० करोड़ रुपया इकट्ठा किया जा सकता, इस में भी सन् १९५१ के विधेयक को कठोर बनाने के लिए कुछ प्रयत्न किये गये हैं, अतएव उन अंशों तक मैं इस का स्वागत करता हूं।

सरकार का ध्यान मैं इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि यह बहुत ही आवश्यक है कि राज्यों द्वारा व्यापार करने का क्षेत्र बढ़ाया जाय। उदाहरण के लिए हम चीन को लेते हैं यह स्पष्ट है कि वहां राज्यों द्वारा व्यापार, एवं औद्योगिक धंधे बहुत ही महत्व के हैं, और अतएव यह सिद्ध हो गया है कि हम को अब निजी क्षेत्रों पर और अधिक आश्रित नहीं रहना चाहिए। योजना में यद्यपि यह स्पष्ट कर दिया गया है कि गैर सरकारी क्षेत्रों के अनुसूचित कार्यक्रम को

कार्यान्वित करने की योग्यता पर हम निर्भर करते हैं, और समस्त योजना में, तथा सरकार की साधारण नीति में हम गैरसरकारी क्षेत्रों के प्रति उदारता की नीति देखते हैं। मेरी समझ में यह नहीं आता कि गैर सरकारी क्षेत्रों के प्रति इतनी उदारता क्यों बरती जा रही है जब कि उन का बर्ताव किसी भी रूप में प्रशंसनीय नहीं रहा है। उदाहरण के लिए लोहा तथा इस्पात उद्योग के विकास की ही कहानी ले लीजिए। यह भी एक गैर सरकारी क्षेत्र है। इस ने स्थिति पर इस प्रकार से प्रभाव जमा लिया है कि हमारे देश में मूल उद्योगों के विकास में कोई उन्नति नहीं हो सकी है।

सन् १९४९ में उद्योग मंत्रालय ने एक वक्तव्य जारी किया था जिस में कहा था कि सरकार का विचार एक नई व्यवस्था चालू करने का है जिस के द्वारा स्वदेशी इस्पात उत्पादन को बढ़ाकर १० लाख टन करने का है।

दो वैकल्पिक योजनाएं विचाराधीन हैं—एक तो १० लाख टन शक्ति की इकाई की स्थापना करना, तथा दो संयंत्र चालू करना जिन में से प्रत्येक की शक्ति ५–५ लाख टन हो। अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति की तीन इंजीनियरिंग फर्म की सेवाएं इस सम्बन्ध में शीघ्रतम जांच करने के लिए प्राप्त कर ली हैं और उन्होंने कार्यों की प्रणाली के विषय में जो कि वहां स्थापित की जायेंगी उस के सम्बन्ध में अपना प्रतिवेदन सरकार को दे दिया है। तथा वे वहां वास्तव में कार्य कर रही है। उन्होंने जांच का कार्य समाप्त कर दिया है। सरकार तीन महीनों में इस के बारे में निर्णय करेगी।

ऐसा सन् १९४९ में कहा गया था। मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा में दो कारखानों की योजनाएं पूरी कर दी गईं। उन के लिए स्थान का चुनाव भी हो गया किन्तु तीन वर्षों तक वहां कुछ नहीं हो सका क्यों कि गैर सरकारी क्षेत्र इस बीच में आ गये और उन्होंने आभ्यावेदन किया कि सरकार इस क्षेत्र में कुछ न करे और इस प्रकार गैर सरकारी क्षेत्रों को जो लाभ होते हैं उन्हें न बांटा जाय।

हम जानते हैं कि विकास परिषदों के बहुत से काम हैं। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री उन से इस प्रकार का व्यवहार करते होंगे कि वे अपना कार्य अच्छी तरह करें।

विकास परिषदों के दो मुख्य कार्य-उत्पादन में विकास करना होगा। इस संबंध में मैं माननीय मंत्री का ध्यान उन के विभाग के पिछले वर्ष के प्रतिवेदन की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिस में वर्ष १९५१ तथा १९५२ के भारतीय उद्योगों के उत्पादन के विषय में हवाला दिया गया है। इस प्रतिवेदन से पता चलता है कि सन् १९५२ में २७ कारखानों की वृद्धि हुई है जब कि उत्पादन में कमी हुई है। यह बहुत ही असंतोषजनक बात है। इस प्रतिवेदन से पता चला है कि कृषि सम्बन्धी औजारों के बनाने की हालत भी बड़ी असंतोषजनक है। उन्नति और कृषि सम्बन्धी औजारों के उत्पादन को बढ़ाने को दृष्टि में रखते हुए जो महत्व दिया गया है वह हमारे देश के लिए बहुत ही आवश्यक है किन्तु उत्पादन और वर्ष १९५१–५२ में भारतीय उद्योगों की संस्थापित शक्ति में जो मतभेद है वह बहुत ही गम्भीरता के साथ विचारणीय विषय है। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री इस का ध्यान रखेंगे और देखेंगे कि विकास परिषदें वास्तव में उत्पादन के विकास के लिए कार्य करती हैं।

विकास परिषदों का दूसरा उद्देश्य उद्योगों के लिए स्थिति तै करने का है। इस मामले में भी हम उद्योगपतियों पर निर्भर रहते हैं और यहां तक कि कभी कभी बहुत ही विचित्र बातें हो जाया करती हैं। गैर सरकारी क्षेत्रीय उद्योगपतियों की विचित्र नीति जो कि उद्योगों की स्थिति के सम्बन्ध में उन्हों ने अपनाई थी उसका हवाला एक माननीय सदस्य ने सदन में दिया था। उदाहरण यह है कि त्रावणकोर में तथा आसनसोल के निकट अलमोनियम का एक एक कारखाना है। ये दोनों कारखाने कनाडियन अलमोनियम कम्पनी लि० के अन्तर्गत कार्य कर रहे हैं। अलमोनियम के बनाने में मुख्य वस्तु विद्युत है जो कि त्रावणकोर कारखाने में १/८ आना प्रति यूनिट मिलती है जबकि आसनसोल कारखाने में इस के चार गुने दाम पर मिलती है। आसनसोल का कारखाना कोयला क्षेत्र में है और वहां वितरण संस्थाएं नहीं हैं और अतएव वहां विद्युत का खर्चा ०·२ आना यूनिट से अधिक नहीं होना चाहिए।

इस कम्पनी को औद्योगिक वित्त निगम ने ५० लाख रुपये का ऋण दिया। अब आप ज़रा इस कम्पनी के काम के बारे में सुनिये।

[श्री एच० एन० मुकर्जी]

त्रावणकोर फैक्टरी कच्चा माल बिहार से मंगाती थी और वहां से उसे त्रावणकोर लाकर अलुमीनियम तैयार किया जाता था; फिर बर्तन बनाने के लिये वह कलकत्ता भेजा जाता था। बिहार से त्रावणकोर और त्रावणकोर से कलकत्ते का रेलवे का भाड़ा ही ६०० रुपये प्रति टन से अधिक पड़ता है। हमारी सरकार इसे बराबर ४०० रुपये प्रति टन के हिसाब से आर्थिक सहायता देती रही थी। इस से पता चलता है कि यदि हम गैर सरकारी उद्योग क्षेत्र पर सारा काम छोड़ देंगे तो क्या हालत होगी। यदि हम उद्योगपतियों पर ही निर्भर करेंगे और विकास परिषदों का कार्य स्वतन्त्र रूप से नहीं चलायेंगे तो इन परिषदों से कोई लाभ नहीं निकल सकता।

आज उद्योगपति हमारी योजना से बहुत खुश हैं। सरकार की नीति इस प्रकार की है कि उद्योग धन्धों के क्षेत्र से आम लोगों का कोई विशेष सम्बन्ध नहीं रहता। 'ईस्टर्न इकानामिस्ट' ने अपने एक सम्पादकीय लेख में लिखा है कि योजना के बारे में जनता से उत्साहित होने के लिये कहना बेकार है क्योंकि वास्तव में इस को उद्योगपति ही क्रियान्वित करेंगे। श्री जी० डी० बिड़ला ने भी यही विचार प्रकट किया है कि निकट भविष्य में देश की अर्थ-व्यवस्था का पूरा नियंत्रण और संचालन उद्योगपतियों द्वारा ही किया जायेगा। उन का कहना था कि गैर सरकारी क्षेत्र ही इस भारी काम को अपने ऊपर ले सकता है। आप ने स्वयं ने कहा है कि लोगों से अपील करना आवश्यक नहीं; यह काम गैर सरकारी क्षेत्र पर ही छोड़ा जा रहा है। मैं समझता हूं इस प्रश्न पर बड़ी गंभीरता से विचार किया जाना चाहिये। उद्योगपतियों की जो नीति रही है और उन्होंने जिस तरह से काम किया है उस को देखते हुए हम अपनी अर्थ-व्यवस्था का नियंत्रण व संचालन उन के हाथ में नहीं सौंप सकते। यदि हम अपनी विकास परिषदों को कुछ प्रभावपूर्ण बनाना चाहते हैं तो हमें विभिन्न उद्योगों में लोगों के प्रतिनिधियों का सहयोग प्राप्त करना चाहिये। निस्सन्देह, इस विधेयक में कर्मचारियों व उपभोक्ताओं के प्रतिनिधियों का उपबन्ध है परन्तु हम समझते हैं कि यह काफ़ी नहीं। मैं चाहता हूं कि इन परिषदों की संख्या बढ़ाई जाये और इन्हें जगह जगह स्थापित किया जाये।

कुछ स्वार्थी पक्षों को यह आपत्ति है कि चूंकि विकास परिषद् के काम को बड़ी कुशलता के साथ चलाया जाना आवश्यक है और चूंकि सरकार इन्हें नहीं चला सकेगी इसलिये अन्ततः सारा काम इन उद्योगपतियों पर ही छोड़ना होगा। मैं समझता हूं कि यह चीज़ ग़लत है। हमारे देश में कार्य कुशल लोगों की कमी नहीं और यदि हम इन का सहयोग प्राप्त करने का प्रयत्न करें तो हम अपनी अर्थ-व्यवस्था सुचारू रूप से चला सकने में पूर्णतः सफल हो सकते हैं।

मैनेजिंग एजेन्सियों के प्रति सरकार का जो उदार व्यवहार है, मैं उस का विरोध करना चाहता हूं। इन मैनेजिंग एजेन्सियों ने आम तौर पर जिस तरह से काम किया है, वह उन्हें इस प्रकार के विशेष व्यवहार का पात्र नहीं बनाता। मैं विशेष रूप से ब्रिटिश मैनेजिंग एजेन्सियों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं जिन्होंने कलकत्ते में अपना सिक्का पूरी तरह जमाया हुआ है। बहुत सी ब्रिटिश कम्पनियां एक दूसरे से मिल गई हैं और अब वे और अधिक शक्तिशाली हो गई हैं। आंकड़े देखने से हमें पता चला है कि ये कम्पनियां लाखों और करोड़ों रुपया लाभ में कमाती हैं। यदि हम वास्तव में अपने देश का विकास

चाहते हैं तो हमें इन मैनेजिंग एजेन्सियों पर विशेषत: इन ब्रिटिश मैनेजिंग एजेन्सियों पर निगरानी रखनी होगी ।

कुछ दिन हुए इस सदन में काल्टेक्स और उस के द्वारा विशाखापटनम् में तेल साफ़ करने का कारखाना स्थापित करने के बारे में एक प्रश्न का उत्तर दिया गया था । उस से पता चलता था कि सरकार ने काल्टेक्स को यह विश्वास दिलाया है कि लगभग २५ वर्ष तक उस का राष्ट्रीयकरण नहीं होगा । उत्तर से कुछ ऐसा भी पता चलता था कि वह कम्पनी उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधि-नियम, १९५१ की १५ से १८ तक की धाराओं से मुक्त रखी गई है । मैं इस सम्बन्ध में कुछ खास बात कहना नहीं चाहता परन्तु इतना ज़रूर कहूंगा कि यदि सरकार उसे कुछ रियायत देना सोचती है तो साफ़ साफ़ कहे और अपनी स्थिति स्पष्ट करे ।

इस विधेयक का हम स्वागत करने के लिये तैयार हैं क्योंकि इस में १९५१ के अधिनियम के उपबन्धों को कुछ सख्त बनाया गया है; परन्तु साथ ही मैं इतना भी कहूंगा कि इस में उद्योपतियों पर बहुत सारी बातें छोड़ी गई हैं जो कि हमारे देश के लिये बहुत अहितकर हैं ।

मैं चाहता हूं कि अनुसूची में चाय जैसे उद्योगों को भी रखा जाये । मुझे मालूम है कि चाय के बारे में एक विधेयक विचाराधीन है फिर भी हमारा ख्याल है कि चाय बागीचों के प्रबन्धकों के कुर्व्यवहार के बारे में सरकार ने समुचित व्यवस्था नही की है ।

हम चाहते हैं कि सरकार साहस के साथ आगे बढ़े और जनता के कल्याण को ध्यान में रख कर देश की अर्थ-व्यवस्था का पुनर्निर्माण करे । जहां तक इन उद्देश्यों की पूर्ति का प्रश्न है हम सरकार की सहायता करने के लिये तैयार हैं; परन्तु हम यह जानना चाहते हैं कि सरकार वास्तव में सही रास्ते पर है या नहीं । यदि हमारा इस विषय में सन्देह दूर हो जायेगा तो हम सरकार को यथा सम्भव सहयोग देने के लिये तैयार हैं ।

श्री के० के० देसाई (हालर) : इस विधेयक पर हमें अपने देश की स्थिति और यहां के वातावरण को ध्यान में रख कर विचार करना चाहिये । सरकार की औद्योगिक नीति १९४८ में घोषित की गई थी और इस नीति के साथ देश की प्रजातन्त्रात्मक व्यवस्था के आधार पर योजना आयोग ने आर्थिक विकास के बारे में कुछ सिफ़ारिशें रखी ह । औद्योगिक अथवा कृषि सम्बन्धी विकास के बारे में किसी विधान पर बहस करते समय हमें अपने देश की स्थिति को ही ध्यान में रखना चाहिये । दूसरे देशों में क्या हो रहा है और क्या किया गया है उस पर हमारे विचार करने से लाभ नहीं । हमें अपना स्तर ऊंचा करना है, अपनी आर्थिक व्यवस्था ठीक करनी है और अपने यहां की हालत सुधारनी है इसलिये हमें अपने यहां की स्थिति को ही ध्यान में रख कर समस्याओं पर विचार करना चाहिये ।

जहां तक वर्तमान विधेयक का सम्बन्ध है मेरा निवेदन है कि १९५१ के अधिनियम में जो संशोधन किया जा रहा है वह ठीक है । उद्योगपतियों को अपना रवैया बदलना होगा; यदि वे ऐसा नहीं करते तो हमें कानून बना कर उन के साथ और भी अधिक कड़ाई बरतनी होगी । वर्ष १९५१ के बाद जो स्थिति हुई है उसी के कारण इस विधेयक का लाना आवश्यक हुआ है । माननीय मंत्री ने कहा कि उद्योगपति इस विधेयक के बारे में बेकार चिन्ता न करें । उन्हें इस प्रकार सामान्य रूप से आश्वासन क्यों दिया जाये ? उन उद्योगपतियों

[श्री के० के० देसाई]

को इस कानून से डरने की ज़रूरत नहीं जो ठीक तरह से काम कर रहे हैं परन्तु कुछ, ऐसे लोग हैं जो शायद अपना रवैया न बदलें और यह क़ानून उन पर नियंत्रण रखने के लिये ही लाया गया है। मैं समझता हूं सरकार धारा १५ तथा संशोधित धारा १८ क के अन्तर्गत कार्यवाही करने का विचार रखती है। धारा १८ क उस समय लागू होगी जब सरकार समझेगी कि कोई विशेष उद्योग या फैक्टरी ठीक तरह से काम नहीं कर रही है। इस धारा के अन्तर्गत सरकार उद्योग को अपने कब्ज़े में ले सकती है। यदि सरकार जांच करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचेगी कि फैक्टरी का प्रबन्ध ठीक नहीं हो रहा है और वह लोक-हित में काम नहीं कर रही है तो इस विधेयक के अन्तर्गत उस के लिये उस फैक्टरी या उद्योग का ले लेना आसान हो जायेगा। पहले की तरह उसे एक विशष विधयक लाने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

संशोधित धारा १५ के अन्तर्गत यदि सरकार यह समझेगी कि कोई फैक्टरी या उद्योग लोक-हित में कार्य नहीं कर रहा तो वह उसमें जांच कराये जाने के आदेश दे सकती है। मुझे अहमदाबाद, बम्बई और राजस्थान की कई कपड़ा मिलों के बारे में मालूम है जिन का प्रबन्ध ठीक नहीं चल रहा है। एक आयोजित अर्थ-व्यवस्था में जब उत्पादन का लक्ष्य निश्चित कर दिया गया है तो किसी मिल-मालिक द्वारा बुरे प्रबन्ध के या अन्य किसी बात के कारण उत्पादन में कमी करना जनता के हित में कड़ा अहितकर है। इन परस्थितियों में सरकार का ये अधिकार लेना आवश्यक है और इस विधेयक के द्वारा उसे यह अधिकार दिये जाते हैं।

मैंने केवल धारा १५ व १७ के बारे में विचार प्रकट किये हैं जो मेरी राय में इस कानून की सब से महत्वपूर्ण धारायें हैं। मैं जानता हूं कि स्वार्थी पक्ष यह कहेंगे कि सरकार ज़रूरत से ज्यादा आगे जा रही है। परन्तु उन्हें जान लेना चाहिये कि अब समय बदल गया है और ये लोग अपनी मनमानी नहीं कर सकते। मैं आशा करता हूं कि धारा १५ व १७ के अन्तर्गत सरकार जो अधिकार ले रही है, आवश्यकता पड़ने पर वह उन का अवश्य प्रयोग करेगी।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री तुलसीदास : मैं इस विधेयक के बारे एक दो बातें कहना चाहूंगा। इस में जो व्यापक संशोधन रखे गये हैं, माननीय मंत्री उन्हें न्यायोचित नहीं ठहरा सके। मेरा अभिप्राय यह नहीं कि मैं इस विधेयक के सब खंडों के विरुद्ध हूं। कुछ खंडों की आवश्यकता हो सकती है।

मूल विधेयक १९५१ में पारित किया गया था और इसे लागू हुए अभी केवल एक वर्ष हुआ है। मैं नहीं समझ सका कि इतने थोड़े समय के बाद इस संशोधक विधेयक को लाने की कैसे आवश्यकता पड़ गई है। यह विधेयक अधिनियम की ३२ धाराओं में से लगभग १५ को संशोधित करता है। इसके अतिरिक्त दो नये अध्याय और भी ह। मुझे इस तरह सारे अधिनियम को बदल देने का कोई कारण नहीं दिखाई देता, क्योंकि उत्पादन तो बढ़ रहा है। माननीय मंत्री का उद्देश्य यह है कि भविष्य में जब भी वह विकास या नये उद्योग स्थापित करने के लिए योजनायें बनायें, तो इस विधेयक के अन्तर्गत उन्हें इन योजनाओं को कार्यान्वित करने के अधिकार प्राप्त हों।

अब मैं विधेयक के कुछ खंडों की ओर निर्देश करूंगा। अब तक कुछ मामलों में उद्योगों को नई मशीनरी लगा कर या नया लाइसेंस

लेकर विकास के लिये सरकार की अनुमति लेनी पड़ती थी। पहले इस उद्योग की जिसकी पूंजी एक लाख रुपये से अधिक होती थी, मंत्रालय से प्रार्थना करनी पड़ती थी। अब यह उपबन्ध हटा दिया गया है। इसके फलस्वरूप हर उद्योग को जिसकी पूंजी ५०,००० रुपये हो या २५,००० रुपये हो, हर अवस्था पर सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी कम पूंजी वाले उद्योग इस पेचीदा विधान को नहीं समझ सकेंगे और इससे विकास होने की अपेक्षा घबराहट बढ़ेगी। इस विधेयक में दंड की व्यवस्था भी की गई है। हम नहीं जानते कि सरकार किस प्रयोजन के लिये ये स्थायी अधिकार लेना चाहती है, जबकि उत्पादन बढ़ रहा है और किसी प्रकार का दुरुपयोग नहीं हो रहा।

मैं माननीय मंत्री से यह भी पूछना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय मंत्रणा परिषद् से परामर्श किया गया था और क्या उसने इन संशोधनों को स्वीकार किया था।

नया अध्याय ३ क, विभिन्न समवायों को जांच के बाद ले लेने के बारे में है। अब सरकार ने कुछ मामलों में हिदायतें देने की प्रक्रिया को हटा देने के लिए अधिकार ले लिए हैं। सरकार अब हिदायतें दिये बिना हस्तक्षेप कर सकेगी। इस नये अध्याय को ध्यान में रखते हुए, अधिनियम की धारा ५ की उप-धारा ४ (ख) में संशोधन करने की आवश्यकता है। एक और कठिनाई इस बात से पैदा होगी कि एक संशोधन के द्वारा, लाइसेंस जारी करने के लिए ६ मास की अवधि हटा दी गई है। एक और नये अध्याय ३ ख में सरकार ने कुछ वस्तुओं के पदायवितरण, मूल्य आदि पर नियन्त्रण करने के लिए अधिकार ले लिए हैं। मैं नहीं जानता कि अब इन असाधारण अधिकार लेने का प्रयत्न क्यों किया जा रहा है। यद्यपि ये अधिकार असाधारण हैं, तथापि एक कारण से केन्द्रीय सरकार के इस प्रयत्न का समर्थन किया जा सकता है और वह यह है कि कोई राज्य किसी उद्योग के मामले में या उस के द्वारा उत्पादित वस्तुओं के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकेगा। एक सहयोगी निकाय द्वारा उद्योग के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पर और उसके उत्पादन पर नियन्त्रण रखा जा सकेगा, चाहे वह उद्योग किसी राज्य में हो। इस हद तक मुझे सरकार से इन असाधारण अधिकारों के लेने पर आपत्ति नहीं है।

नई धारा २३ के अन्तर्गत कुछ मामलों में, उदाहरणतया पर्याप्त विकास आदि के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार का निर्णय अन्तिम होगा। मेरे विचार में सरकार को निर्णय करने से पूर्व मामला केन्द्रीय मंत्रणा परिषद् की उप-समिति को निर्दिष्ट करना चाहिए।

दण्ड के बारे में मैं यह सुझाव दूंगा कि जब ये दंड टेकनिकल मामलों के सम्बन्ध में दिया जाये, तो उन व्यक्तियों को उत्तरदायी ठहराया जाये, जो इन के प्रभारी हों। टेकनिकल मामलों का दण्ड टेकनिकल कर्मचारियों तक ही सीमित होना चाहिये।

मैं आशा करता हूं कि प्रवर समिति मेरे सुझावों पर विचार करेगी और इस बात के लिए प्रयत्न करेगी कि बहुत से स्वच्छन्द अधिकार सरकार द्वारा न लिए जायें। यदि इन अधिकारों को लेना अनिवार्य है, तो अपील के लिये अवश्य व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि लोग यह न समझें कि सरकार उन्हें किन्हीं बातों पर बाधित करने के लिए इन अधिकारों का प्रयोग करना चाहती है।

[**श्रीमती अम्मू स्वामी नाथन** अध्यक्ष पद पर आसीन **थीं**]

डा० एस० पी० मुकर्जी : इस संशोधक विधेयक का मुख्य उद्देश्य क्या ह ? इसक

[डा० एस० पी० मुकर्जी]

प्रयोग तब किया जायेगा, जब सरकार के लिए किसी औद्योगिक समवाय को अपने हाथ में ले लेने का अवसर उत्पन्न होगा। जिन परिस्थितियों में सरकार कार्रवाई कर सकेगी, वे अधिनियम में और संशोधक उपखंड में स्पष्ट कर दी गई हैं। जो अधिकार सरकार लेना चाहती है, वह भी बतलाये गये हैं। यद्यपि सरकार किसी समवाय को ले लेने के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकती है, उस को क्रिया कार्य रूप में काम करने के लिए वैधानिक कठिनाइयां पेश आयेंगी। इस संशोधक विधेयक में अधिकार लेकर इन वैधानिक कठिनाइयों को दूर करने का प्रयत्न किया गया है। सरकार केवल उस औद्योगिक समवाय के मामले में हस्तक्षेप कर सकेगी, जिसे अच्छी तरह चलाया जा सकता है और जिसकी वित्तीय स्थिति अच्छी है किन्तु जिसका प्रबन्ध उचित रूप से नहीं हुआ या जिस पर उल्लिखित उपखंडों में से कोई उप-खंड लागू होता है। और यह हस्तक्षेप भी जांच के बाद किया जा सकता है। यदि जांच के बाद यह सिद्ध हुआ कि प्रबन्ध ठीक नहीं है और काम नहीं चल सकता है किन्तु स्थिति को सुधारा जा सकता है, तो नया प्राधिकारी जो सरकार की ओर से नियुक्त किया जायेगा ऐसा कर सकेगा। परन्तु मान लीजिये कि एक समवाय के मामले में आप देखते हैं कि उसे आर्थिक रूप से नहीं चलाया जा सकता, उसके पास पूंजी नहीं है और इस ने जान बूझ कर कोई बेपरवाही भी नहीं की। तब आप क्या करेंगे? विधेयक में इस समस्या का हल निकालने के लिए कोई उपबन्ध नहीं है। आज हम देख रहे हैं कि देश में बहुत से औद्योगिक समवाय किसी न किसी कारण बन्द हो रहे हैं। इसमें मालिक का दोष हो सकता है या श्रम का दोष हो सकता है। यह भी हो सकता है कि इन दो में से किसी का भी दोष न हो। केवल संयत्र आदि बहुत पुराने हों और समवाय के पास पैसा न हो। क्या इस प्रकार के औद्योगिक समवायों के प्रति भी सरकार का उत्तरदायित्व है? माननीय मंत्री ने स्वयं इस बात की ओर निर्देश किया है। यह देश के लिए एक बड़ी समस्या है। मैं चाहता हूं कि सरकार के नियन्त्रण में एक औद्योगिक प्रबन्ध निगम स्थापित किया जाये, जिस के पास पर्याप्त धन या पूंजी और कर्मचारी हों और जो उन सब औद्योगिक समवायों को, जो कि अकुशल प्रबन्ध या किसी अन्य कारण से बन्द करते जा रहे हैं, अपने हाथ में ले सके।

हमें इस विधेयक को अधिक विस्तृत दृष्टिकोण से देखना चाहिए। मैं इसका विरोध नहीं वरन् समर्थन कर रहा हूं, क्योंकि विधेयक में इस संशोधन की आवश्यकता है। मंत्री ने यह आश्वासन ठीक ही दिया है कि सरकार गैर सरकारी उद्योग में बाधा नहीं डालना चाहती, जब तक कि वह उद्योग उचित रीति से चलता रहे। परन्तु यह बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। सरकार अपने आप को परीक्षा में डाल रही है। वह यह नहीं कह सकती कि धन के अभाव के कारण अथवा प्रबन्ध सम्बन्धी अनुभव न होने के कारण वह असफल रही है। उद्योग के उत्पादन की वृद्धि के लिए राष्ट्रीय सरकार द्वारा ऐसा करने पर उद्योगपतियों को प्रसन्नता होनी चाहिये।

निस्संदेह इस अधिनियम का सारा आधार सहयोग है। न तो सरकार ही और न ही उद्योगपति अथवा श्रमिक अपनी शर्तों के लिए आग्रह कर सकते हैं। इस की सफलता सहयोग पर निर्भर है।

प्रबन्धक अभिकर्ताओं के सम्बन्ध में एक प्रश्न उत्पन्न होता है। उपक्रम के उत्तरदायित्व को प्रबन्धक अभिकरण को दे देने के सम्बन्ध में

विचार किया गया है। मैं निजी तौर पर इस से सहमत हूं। परन्तु इस में कुछ कठिनाइयों का सामना करना होगा। अभिकर्ता को चुनने के लिए सरकार को बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। क्योंकि यदि इस में गलती हुई तो योजना सफल नहीं होगी।

मैं चाहता हूं कि मंत्री इस के दूसरे पक्ष को देखें। प्राय : प्रबन्धक अभिकरण असफल हो जाता है। समवाय के वे हिस्सेदार जो निहित स्वार्थ नहीं रखते, दरिद्र और मध्य वर्ग के लोग होते हैं। प्रबन्धक अभिकर्ता उन्हें धोखे में रख कर उपक्रम को असफल कर दिया करते हैं। इस स्थिति के लिए क्या साधन हो सकता है ? मैं इस बात का समर्थन करूंगा कि हिस्सेदारों को एक और अभिकरण चुनने का अवसर दिया जाए जो उपभोक्ताओं और जनता के हित के लिए संस्था को चला सके। मैं जानता हूं कि इस में बहुत कठिनाइयां हैं। यहां फिर वित्त का प्रश्न होगा कोई भी अन्य के भार को उठाने के लिए तैयार नहीं होगा। मैं सामान्य सिद्धान्तों का समर्थन करते हुए सरकार से प्रार्थना करता हूं कि वह इस प्रश्न पर अधिक गम्भीरता से विचार करें।

इन दो बातों पर भी विचार करना चाहिये। सरकार को केवल वर्णित श्रेणियों तक सीमित नहीं रहना चाहिये। निस्संदेह सार्वजनिक हित की बात कही गई है। सार्वजनिक हित में सभी कुछ आ जाता है। यदि आप देखें कि श्रमिकों का ठीक ध्यान नहीं रखा जा रहा तो आप को हस्तक्षेप करना चाहिये।

परन्तु फिर वित्त सम्बन्धी प्रश्न है और मैं मंत्री से जानना चाहूंगा कि वे इस के सम्बन्ध में क्या सोच रहे हैं। इस समय सरकार को यह आश्वासन देना चाहिये कि वह औद्योगिक उपक्रमों को कार्य बन्द करने की अनुमति नहीं देगी। यदि फिर भी वे कार्य बन्द करेंगे तो सरकार स्वयं उनका संचालन करेगी।

वितरण का नियंत्रण और मूल्य निर्धारण की योजना भी अत्यावश्यक है।

मैं मंत्री से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि ऐसी सख्त कार्यवाही करने से पूर्व मंत्रणा परिषद् का परामर्श लेने का उपबंध होना चाहिये। इससे सरकार उद्योगपतियों पर उत्तरदायित्व डाल सकेगी।

मैं इस बात से कुछ चिन्तित हुआ हूं कि विधेयक में से १ लाख रुपये की सीमा निकालने का प्रस्ताव किया जा रहा है। इस की तुलना वित्त मंत्री द्वारा आय-कर लगाने की न्यूनतम सीमा बढ़ायी जाने से की जा सकती है। उन्होंने प्रगट रूप से कहा था कि इस से विभाग का कार्य भी कम होगा और सारे देश के ७०,००० व्यक्तियों को सहायता भी मिलेगी। परन्तु निश्चित सीमा के न होने से बहुत कठिनाई होगी। तो भी मैं समझता हूं कि सम्भवत: मंत्री विमुक्ति सम्बन्धी खण्ड के आधार पर कार्य करेंगे।

इस सम्बन्ध में मैं अपने अनुभव के आधार पर कहता हूं कि इसका यशापयश सरकार के कार्य में शीघ्रता सदाचार और पटुता पर अधिक निर्भर रहता है। सरकार पर महान् उत्तरदायित्व आ पड़ेगा। राष्ट्रीयकरण में तो सरकार के प्रत्यक्ष नियन्त्रण में कार्य होता है। परन्तु यहां गैर सरकारी उद्योग को प्रोत्साहन भी देना है। सरकार यदि इस उत्तरदायित्व में असफल रही तो उद्योगपति इन उलझनों और अपनी असफलताओं के लिए इसे ही अपराधी ठहरायेंगे।

यह बहुत संकट का युग है। बहुत से औद्योगिक उपक्रम कार्य बन्द कर रहे ह। अब यदि सरकार उत्साह, पटुता और दृढ़ निश्चय से कार्य करेगी तो देश को तबाही से बचाया जा सकता है।

श्री अलगू राय शास्त्री : मैं इस बिल पर कुछ बोलना आवश्यक नहीं समझता था। लेकिन एक बात यह खटकी कि सरकार यह जो हमारे उद्योग धंधे हैं उनके बढ़ाने के लिए और उनकी उन्नति के लिए सरकार क्या करना चाहती है इस बात का इस बिल में कोई बहुत स्पष्ट उत्तर नहीं मिलता। ऐसा तो दिखाई पड़ता है कि जैसे म्युनिसिपैलिटीज़ इक्के और तांगों को लाइसेंस देती है और अगर कोई शिकायत हो तो वह लाइसेंस रद्द कर देती है। यह चीज़ तो दिखायी देती है। लेकिन उद्योगधंधों को वास्तव में कुछ विकास देने के लिये और उनकी तरक्की करने के लिये और उनकी उन्नति के लिये उनका क्या ऐक्टिव हाथ होगा यह इस बिल में कुछ नहीं दिखाई पड़ता है। जिस तरह से बिल्ली चूहे के साथ खेलना चाहती है उस तरह का खेल कूद तो इसमें दिखायी पड़ता है, छेड़खानी तो आप करते हुए मालूम पड़ते हैं। अगर कोई शिकायत होती है तो उसके मामले में गवर्नमेंट फ़ौरन अपने इंसपैक्टरों के ज़रिये से और अपनी मेशीनरी के ज़रिये से आ कूदेगी यह तो सही बात है। और यह भी कर सकती है कि अगर कहीं कोई ज्यादा खराबी नज़र आवे तो उस काम को अपने हाथ में ले ले। उस काम को वह अपने हाथ में किस तरह ले लेगी और क्या उसके पास उन उद्योग-धंधों को चलाने के लिए मैशीनरी है? उसकी मैशीनरी में कोई ऐक्सपीरिऐंस्ड हैंड्स नहीं होंगे। जो पुराने आई० सी० एस० के लोग थे वह हर मर्ज़ का इलाज थे। जैसे ही सरकार ने एक सैक्रेटरी को रखा और उन्होंने अपने हाथ में चार्ज लिया और उसी दिन मजदूरों की सारी दिक्कतें दूर हो गईं और उद्योग धंधे उसी परिमाण में चलते रहेंगे। यह तरीका तो सफाई के साथ दिखाई नहीं पड़ता। गवर्नमेंट ने चन्द दिनों से यह बिल बनाया है। उसका कहां कहां उपयोग हुआ है, कहां क्या सफलता मिली है और कितने परिमाण में नहीं मिली है, इसका कोई अनुभव नहीं है। इसके अतिरिक्त पहले ऐक्ट में जो एक सीमा थी, उसमें यह लिखा था कि अगर बिजनेस एक लाख से ज्यादा होगी तो उसी मामले में सरकार कुछ हस्तक्षेप या देख रेख करेगी। अब उस सीमा को हटा दिया है। अब उद्योग-धंधों में पूंजी की कोई लिमिट नहीं रही है। और अब तक निरीक्षण में आने वाले जो उद्योग-धंधे थे उनकी सीमा अलबत्ता और बढ़ गयी है। कुछ सिल्क इंडस्ट्री इसमें आ गयी हैं, कुछ काटन का काम आ गया है और कुछ और चीज़ें आ गयी हैं। तो पांच-छै इंडस्ट्रीज़ इसमें और जोड़ दी गयी हैं। काम का विस्तार दोनों तरफ से कर दिया गया है। एक तरफ छोटी छोटी पूंजी लगा कर जो इंडस्ट्रीज़ चल रही हैं उन में भी सरकार निरीक्षण करने के लिए, नियंत्रण करने के लिये और मदाखिलत बेजा करने के लिए, इस विचार से हाज़िर है कि हम जनता के हित में यह कर रहे हैं। जनता के हित में काम करने का जोश तो आज बहुत है मगर इस बात को भी देखना आवश्यक है कि फ़ाइव ईयर प्लान में आपने प्राइवेट सैक्टर को एक महत्व दिया है और यहां पर इस तरह के बिल वगैरह पास करके हम उस प्राइवेट सैक्टर को पनपने ही नहीं देते हैं। उनके मन से यह शंका जाती ही नहीं कि गवर्नमेंट यहां आ टपकेगी। दो विचारों के लोग इस भवन में बैठे हुए हैं। एक का दिल यह कहता है कि हर चीज़ में परिवर्तन हो जाय, हर चीज़ का राष्ट्रीयकरण हो जाय। हर चीज़ के ऊपर शासन व्यवस्था का पूरा अधिकार हो जाय। ऐसे विचार के लोगों को इंस्पिरेशन और प्रेरणा मिलती

है बाहर के कुछ ऐसे देशों से जहां पर सरकार ने सब चीज़ों पर अपना अधिकार कर लिया है और वही उद्योग-धंधों को चलाती है, वही कृषि उद्योग को चलाती है। तो वहां से उनको वह प्रेरणा मिलती है। लेकिन हमने अपना एक संविधान बनाया है। उस संविधान में और अपनी पंचवर्षीय योजना में, जिस पंचवर्षीय योजना को आज व्यापारी वर्ग ने भी समर्थन दिया है, हमने जो कुछ लिखा है उसकी आज बिल्कुल उपेक्षा की जा रही है और ऐसी योजना लाते हैं जिसमें यह लगे कि आप क्या समझते हैं कि क्या हम कोई प्रतिक्रियावादी हैं, क्या हम उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करने में सब से आगे चलने वाले नहीं हैं। इस जोश में हम व्यावहारिकता की उपेक्षा करते हैं और उन्हीं नारों से हम भी प्रेरणा लेने लगते हैं जो नारे हमारे इधर बैठे हुए कुछ भाई देते हैं। कल जब हवाई जहाजों की कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण का बिल आया था तो मैं उस पर केवल एक बात को सामने रख कर कुछ कहना चाहता था। इस दल में जितने लोग बैठे हैं उनमें मैं श्रीमती रेणु चक्रवर्ती को अधिक विचारशील पाता हूं। उनके भाषण को मैंने बड़े ध्यान से सुना उन्होंने कहा कि कम्पेन्सेशन की बात कैसे आती है। कम्पेनसेशन की बात ऐसे आती है कि संविधान में जहां पर मौलिक अधिकारों का प्रश्न आया है, जहां पर सम्पत्ति से सम्बन्ध रखने वाली धारायें हैं उन धाराओं में साफ तौर से लिखा है कि अगर हम किसी चीज़ को, किसी इंडस्ट्री को ले लें या किसी और सम्पत्ति को ले लें तो उसके लिए कोई न कोई क्षतिपूर्ति का प्रबन्ध किया जायगा, बिना क्षतिपूर्ति के वह नहीं ली जायगी। हम सब ने यहां पर संविधान के प्रति लायल रहने की शपथ ली है। संविधान में जो बातें मान ली गई हैं अगर उनकी उपेक्षा करके हम भाषण दें तो उससे यही प्रतीत होगा कि हम ने शपथ जो खायी है वह एक कागज़ के पुलिन्दे के प्रति खायी है उस के प्रति हमारी कोई आस्था नहीं है। लेकिन हम को इस बात का ख्याल रखना चाहिये कि उसमें क्या लिखा है। हमारी सोसाइटी का ढांचा क्या है, और उस ढांचे के प्रति हमारी कुछ आस्था है या नहीं।

चाहे यह हमारा दोषपूर्ण सामाजिक जीवन हो, राजनीतिक जीवन हो, और आर्थिक जीवन हो, लेकिन यह बातें हम कह चुके हैं कि हम यहां पर प्राइवेट सैक्टर को भी मानते हैं। लोग अपने उद्योग-धंधे व्यक्तिगत रूप से एक कम्पनी बना कर संघ बना कर, सोसायटी बना कर चला सकते हैं और उन को उस के करने का अधिकार होगा। तो सरकार उस में कितना प्रोत्साहन देती है, कितना उस के बढ़ाने के लिये काम करती है इस चीज़ को हम देखना चाहते हैं। तो इस तरह के उद्योग धंधों को विकास देने वाले विधेयक को हम पढ़ें तो उसकी झांकी हम को मिलनी चाहिए। मैं समझता हूं कि सरकार इसम असमर्थ है कि वह छोटे से छोटे उद्योग धंधों को अपने कंट्रोल में और नियन्त्रण में लेकर उनका प्रबन्ध कर सके। उन के प्रबन्ध में कोई कमी पावे तो उन पर अपना अधिकार जमा ले और उसका प्रबन्ध फौरन हो जाय, यह मुश्किल होगा अगर सरकार के बीच में और उद्योग-धंधों के चलाने वाले के बीच में झगड़े होते तो यह आसान होता और सरकार अधिकार करती। उद्योग-धंधों को नष्ट करने वाली दूसरी जमातें भी मौजूद हैं, चाहे काम वहां अच्छा भी चलता हो, क्योंकि क्रान्ति का नारा देने वाले और मजदूरों को चैन से न बैठने देने वाले, सरकार के काम को उलझाने वाले लोग मौजूद हैं। उस के लिये वे स्ट्राइक करवाते हैं। छोटी-छोटी बातें रख कर लोगों

[श्री अलगू राय शास्त्री]

को भड़का देते हैं। तो फिर उस के आधार पर सरकार के पास शिकायतें आवेंगी और इन आधारों के होते हुए सरकार को उस में हस्तक्षेप करना पड़ेगा। मैं नहीं समझता कि सरकार के पास आज इतनी बड़ी योजना है कि इन सारे कामों को हाथ में ले कर वह चला सके। और फिर इससे तो उत्पादन ही घटेगा, बढ़ेगा नहीं, इस का मुझे भय है। इसलिये धारा ४ की समाप्ति की व्यावहारिकता और उस का महत्व मेरी समझ में नहीं आया। क्योंकि यह विधेयक प्रवर समिति के सामने जायगा, इसलिये मैं इस आशा और विश्वास से बोल रहा हूं कि वहां पर इस के ऊपर अच्छी तरह विचार कर लिया जायगा। कि सरकार कितनी बड़ी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रही है।

मैं सरकार के लिये समझता हूं कि वह रक्षण दे, शिक्षण दे, और पालन पोषण की व्यवस्था करे। ये तीन तो उसके मुख्य काम हैं। मगर सारे व्यापारिक उद्योग धंधों के काम को अपनाकर एक बनिया गवर्नमेंट बनने की वह चेष्टा करे यह बात मुझ को कुछ बहुत मुनासिब नहीं मालूम होती। मैं जो शासन का रूप समझता हूं उस में यह नहीं समझता कि यह हर चीज़ को अपने हाथ में कर ले। यातायात की बात दूसरी है। रेल का मामला अलग है, हवाई जहाज़ की बात अलग है। उस पर तो सरकार अधिक से अधिक कंट्रोल और उसका राष्ट्रीयकरण करे। लेकिन एक तरफ प्राइवेट सैक्टर की बात भी कहते जाना और दूसरी तरफ उस के रास्ते में हर जगह छेड़खानी करना, यह कहां तक ठीक है। और वह छेड़खानी भी कहां तक कि पहले तो बिल्ली खेलती थी घूस के साथ या बड़े बड़े मोटे चूहों के साथ कि जिनकी लिमिट एक लाख रुपये से कम नहीं थी, और आज अब वह नन्हीं नन्हीं चुहियों के साथ खेलने के लिये भी आमादा है। तो इस से उद्योग धन्धे चलाने वालों को कहां तक प्रोत्साहन होगा कि वह पैसा लगावें, सर मग्ज़ करें और हर क़दम पर इंस्पैक्टर साहब मौजूद हैं। वे हर जगह शिकायत सुनने को मौजूद हैं। ऐसा करने के क्या मानी हैं, कि लोगों को बिदकाना।

मुझे याद है कि बचपन में मधुमक्खी अपना छत्ता लगाने के लिये आती थी। पहले रानी बैठी और उस ने ज़रा हरकत की और थोड़ा सा छत्ता लगाया। वह हमें दिखाई पड़ा कि हम मसखरे लोग उस पर छेड़खानी करते और वह वहां से भाग जाती थीं। बरैया का छत्ता हो तो मैं समझ सकता हूं कि उस से शहद भी कुछ मिलेगा। लेकिन एक जरा सा छत्ता लगा है, उस के साथ इस तरह से मसखरापन करना कहां तक उचित है कि जरा सा भी शहद नहीं बनने दिया जाय। हम जानते हैं कि पुरानी साम्राज्यशाही में कोई कैपिटल फ़ार्मेशन नहीं हुआ। यहां की जनता में कोई अर्थ संग्रह नहीं हुआ। कोई बड़ी पूंजी बन नहीं पाई और अब यह धीरे धीरे पनपने की जो बातें शुरू हुईं तो उस पर हम ने प्रारम्भ में ही खेल शुरू कर दिया। उस के साथ प्रारम्भ में ही छेड़खानी शुरू कर दी। इस तरह से हम न तो अपने राष्ट्र की सम्पत्ति में इज़ाफ़ा करते हैं और न ही हम अपने क्लीयरमाइन्डेडनैस का सबूत देते हैं। क्या हम सचमुच इस तरह से तानाशाही में विश्वास करते हैं या हम विश्वास करते हैं प्रजातन्त्र में। यदि हम प्रजातन्त्र में विश्वास करते हैं तो हमें लोगों को जीवित रहने का अधिकार देना चाहिये। आप उन

के साथ हर क़दम पर छेड़खानी न कीजिये। और यह छेड़खानी कम से कम कीजिये। और फिर यदि तानाशाही में विश्वास है तो एक बार खुले तौर पर हम को आना चाहिये। आज जनता में और लोगों में धीरे धीरे अविश्वास सा बढ़ता जाता है। गवर्नमेंट की स्पष्ट नीति उन के सामने नहीं आती। वह अर्द्धजली लकड़ी की तरह है, आधी लकड़ी जली है और आधी लकड़ी क़ायम है। आज लोगों के समझ में नहीं आता कि हमारी सरकार हम को आगे बढ़ने देगी या नहीं। हम जो उद्योग-धंधे चला रहे हैं उस में हमारे लिये सरकार कुछ सहायता करेगी या नहीं। उस के लिये जो सरकारी कर्मचारी हैं वे हाकिम बन कर और अधिकारी बन कर खाली रोब जमाने के लिये और कुछ आतंक जमाने के लिये हैं या किसी और काम के लिये हैं। यदि केवल रोब जमाना और आतंक जमाना ही काम है तो मैं नहीं समझता कि इस से उद्योग धंधों का कोई विकास हो सकता है।

मैं अभी माननीय मंत्री से पूर्वी जिलों के बारे में ज़िक्र कर रहा था कि वहां उत्तर प्रदेश में कोई उद्योग-धंधे नहीं चलते। कोई पूंजीपति वहां इनवैस्ट नहीं करता। वहां रेह काफी मिलती है तो वहां इस तरह पर कोई सोप बनने का ही कारखाना अगर बन जाय तो भी कुछ काम चले। वहां उस क्षेत्र में कोई पूंजी कैसे लगावे उसकी जांच करने की आवश्यकता है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि एक बार वे उत्तर प्रदेश के उन पूर्वी ज़िलों का दौरा करें और वहां की परिस्थिति को देखें कि वहां क्या आवश्यकता है, क्या चीजें वहां पनप सकती हैं, कौन से उद्योग धंधे वहां पनप सकते हैं। उनके पनपने के लिये वह कोई काम करें। यदि यह काम वह इस ऐक्ट के मुताबिक कर सकें, इस विधेयक के मुताबिक कर सकें तो मैं उन को बधाई दूंगा। महज एक चेतावनी के रूप में मैंने कहा कि ऐसा न हो कि हम जो उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले रहे हैं वह बहुत भारी साबित हो और दूसरे लोग जो इंटरैस्टैड पार्टी हैं उद्योग धंधों को पैरैलाइज करने में, इस में जिनकी दिलचस्पी है और जो सरकार के रास्ते में कठिनाइयां पैदा करना अपना परम कर्त्तव्य मानते हैं और जो मजदूरी बढ़ाने के नारे देकर और दूसरे नारे देकर लड़ाई के क्षेत्र को और व्यापक न बना देवें, यह भय है। इस से केवल बड़े बड़े उद्योग धंधे ही समाप्त नहीं हो जावेंगे, छोटे छोटे उद्योग धंधे भी अब समाप्त हो जावेंगे। इस लिये मेरा विश्वास है कि माननीय मंत्री इस बात पर अवश्य विचार करेंगे मैं केवल इसी भावना से प्रेरित हो कर यह कह रहा हूं, क्योंकि मैं जब देखता हूं कि संविधान की मौलिक धाराओं की उपेक्षा कर के ऐक्सप्रोप्रियेशन की तरफ़ हमारा ध्यान जाता है, सम्पत्ति को छीन लेने की तरफ़ हमारा ध्यान जाता है, जो केवल राष्ट्रीयकरण तक ही सीमित नहीं है, राष्ट्र के हाथ में अधिकार देने की ही भावना नहीं है, तो मैं यह निवेदन कर रहा हूं। कुछ लोगों के इस प्रकार के विचार हैं, कुछ लोगों की ऐसी भावना है कि जिसका ओरीजिन बिलकुल बाहर का है। उस को लेकर हम अपने राष्ट्रीय विचारों के अनुसार समाज को रहने देना नहीं चाहते तो यह चेतावनी देना मेरे लिये आवश्यक हो गया है, वरना इस बिल पर मुझे बोलने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

तो यह दो बातें मैंने कहीं। हमारे पूर्वी ज़िलों की हालत को देखना और वहां उद्योग धंधों को पनपने देने के लिये आवश्यक है कि वहां सरकार क्या क्या उस के लिये

[श्री अलगू राय शास्त्री]

योग दे सकती है। उत्तर प्रदेश के उन पूर्वी जिलों में करोड़ों लोगों की आबादी है हमारे वहां कोई मुख्य उद्योग धंधा है तो केवल हैंडलूम के चरखे का उद्योग है। तो उद्योग धंधों को विकसित करने का जो इस विधेयक का उद्देश्य है, इसलिये वहां भी उद्योग-धंधों को विकसित करने की माननीय मंत्री चेष्टा करें, यह मेरा निवेदन है।

पंडित के० सी० शर्मा (ज़िला मेरठ-दक्षिण) : मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि मेरे मित्र पंडित अलगूराय जी ने बहुत सी ऐसी बातें उठाईं जिनका इस से कोई सम्बन्ध नहीं है। मुझे यह भी आश्चर्य है कि अलगू राय जी, अब जबकि बीसवीं सदी का आधा हिस्सा पूरा हो चुका है, यह समझ बैठे हैं कि यदि किसी आदमी के नाम बैंक में तीन करोड़ रुपये हैं तो मान लिया जाय कि वह आमदनी और वह रुपया आसमान से उस के घर में आ टपका है। मैं तो समझता हूं कि यह समाज के बल पर काम करने से एक आदमी के हाथ में आता है और समाज का यह अधिकार है कि समाज के हित के लिये उसका इस्तैमाल किया जाय। यदि कोई मनुष्य ऐसा नहीं करता तो वह समाज के प्रति पाप करता है। और यदि कोई सरकार उस को बरदाश्त करती है तो वह उस पाप में हाथ बंटाती है। हमारे देश में जबकि लाखों आदमी बेरोज़गार हैं, जबकि औरतों को पहिनने के लिये कपड़ा नसीब नहीं होता हो, जब कि लोगों को खाने के लिये रोटी न मिलती हो, जबकि बीमारों को दवा मुयस्सर न हो, उस हालत में यह सोचना कि एक आदमी इस तरह पैदा कर के इतना धन कमा ले और उस को दाद-इलाही जायदाद समझ लिया जाय, यह पाप से कुछ कम नहीं है।

श्री अलगू राय शास्त्री : बस, सरकारी इंसपैक्टर के सुपुर्द कर दिया जाय ?

पंडित के० सी० शर्मा : सरकारी इंस्पैक्टर सरकार का एक नुमायन्दा है और वह सरकारी इंस्पैक्टर व्यक्तिगत रूप से उस काम को नहीं करता, बल्कि आप के हुक्म के मातहत जनता के हित में काम को देखता है। किसी न किसी मनुष्य पर तो आप को एतबार करना ही पड़ेगा। आप यहां कैसे नुमायन्दे बन कर बैठे हैं, हम सब लोग यहां कैसे बैठे हैं ? कांग्रेस का प्रैसीडेंट हम को नामिनेट करता है। जनता पंडित जवाहरलाल नेहरू में विश्वास रखते हुए और हमारे कारनामों को देखते हुए हमें यहां भेजती है। हमारा कौन फिर अधिक हक़ हो जाता है।

इंसपैक्टर को उसकी कैपिसिटी और उसकी क़ाबलियत के आधार पर नौकरी मिल जाती है। तो जो बात मैं कह रहा था वह यह कि यदि यह उसूल मान लिया गया कि जो उद्योग धंधे हैं इनको जनता के हित में चलाना है और यदि कोई ऐसी फ़ैक्टरी या मिल है जो जनता के हित में नहीं चल रही है, और इन्तज़ाम की ख़राबी या दूसरे अन्य झगड़ों की बिना पर टूटी जा रही है और उसका सुधार नहीं हो सकता है तो सरकार का यह कर्त्तव्य है कि उसको अपने हाथ में ले ले। पहले जो क़ानून था उसमें ऐसा कोई अख़्तियार व अधिकार नहीं था ताकि सरकार द्वारा उस मिल या फ़ैक्टरी को अपने हाथ में ले कर ठीक से उस को क़ायम किया जा सके। और चलाया जा सके। पहले कानून में जो यह कमी उस को इस नये बिल में पूरा किया गया है। इस के अलावा इसमें कोई और नई चीज़ नहीं बढ़ायी गयी है, बल्कि उस पहले क़ानून का जो आशय था

उसकी पूर्ति के लिये इस मौजूदा बिल में कुछ अधिकार दिये गये हैं। पहले के क़ानून में जो कमी थी, वह दूर हो सके, इसके अलावा इस बिल में और कोई नयी चीज़ नहीं रक्खी गयी है। मूल सिद्धान्त यह मान लिया गया है कि अगर किसी व्यक्ति विशेष के पास कोई सम्पत्ति हो तो आज वायु मंडल ऐसा बन गया है कि जिसमें उस सम्पत्ति का इस्तेमाल जनता के हित में ही हो सकता है, उसको इस बात का अधिकार नहीं है कि उस सम्पत्ति का वह जनता के अहित में इस्तेमाल कर सके। यह मूल सिद्धान्त स्वीकार कर लिया गया कि कोई भी कारोबार हो वह जनता के हित में होना चाहिये और जिस परिस्थिति में आज हम रह रहे हैं, उस परिस्थिति में यह अत्यावश्यक है कि ज्यादा से ज्यादा हम काम करें और ज्यादा से ज्यादा पैदा करें और अधिक से अधिक सुन्दर वस्तु पैदा कर सकें, ज्यादा पैदा करें और ज्यादा अच्छी पैदा कर सकें और अगर कोई उद्योग ऐसा नहीं करता तो सरकार को वहां हस्तक्षेप करने का अधिकार हो जाता है। पहले कानून में ऐसी गुंजायश नहीं थी। वह चीज़ इस नये बिल में की गई है और इसके अलावा इस में और कोई नयी बढ़ोतरी नहीं है।

दूसरे जहां तक क़ीमत मुक़र्रर करने का सवाल है, मैं समझता हूं कि क़ीमत मुक़र्रर करने का अधिकार अत्यावश्यक है। इसके विरुद्ध यहां पर यह तर्क पेश किया गया है कि एसेंशियल सप्लाई ऐक्ट के अन्दर हम को क़ीमत नियत करने का अधिकार मिला हुआ है और इसलिए इस बिल में यह अधिकार रखने की ज़रूरत नहीं है। मैं उनको बतलाऊं कि एसेंशियल सप्लाई ऐक्ट में जिन मूल सिद्धान्तों के आधार पर यह चीज़ की जाती है वे दूसरे हैं और जिन मूल सिद्धान्तों के आधार पर यह अधिकार इस बिल में दिया जा रहा है, वे दूसरे हैं। दूसरे एसेंशियल सप्लाई ऐक्ट के मातहत एक चीज़ जो ज़रूरी हो और जिसकी कमी हो और आम ग़रीब आदमी उस को खरीद नहीं सकता हो, तो जनता के इस्तेमाल के लिए उसकी क़ीमत मुक़र्रर कर दी जाती है, लेकिन उस में यह सवाल नहीं उठता कि वह चीज़ पैदा होगी या नहीं होगी, और वह चीज़ एक एकोनामिक प्रापोजीशन है या नहीं (आर्थिक दृष्टि से ठीक है अथवा नहीं)। इस क़ानून के मातहत एक चीज़ की क़ीमत इसलिए मुक़र्रर की जायगी ताकि उसका डवलपमेंट, बढ़ोत्तरी और उस का ज्यादा प्रोडक्शन कायम रह सके। मान लीजिये कि कुछ फ़ैक्टरीज़ हैं, वे मिल कर एक क़ीमत मुक़र्रर कर लेती हैं, और थोड़ा पैदा करती हैं तो जहां उनकी आमदनी बराबर बढ़ती रहेगी और नफ़ा मिलता रहेगा, वहां जनता का नुक़सान होता रहेगा और देश को हानि पहुंचेगी, इसलिए कि माल कम आयगा। मान लीजिए कुछ मोटर बनाने वाली फैक्टरी यह तय करें कि हमको पन्द्रह हज़ार कम से कम क़ीमत रखनी है, तो नतीजा यह होगा कि कम पैदा करने पर भी फैक्टरीज़ को बराबर नफ़ा होता रहेगा, लेकिन जनता के हाथ में उतनी चीज़ें नहीं आयेंगी, उतनी मोटरें नहीं आयेंगी जितने की जनता को आवश्यकता है और इस तरह जनता और देश को हानि पहुंचेगी। इसलिए इस क़ानून में जिन मूल सिद्धान्तों के आधार पर यह अधिकार लिया गया है वे दूसरे हैं, और इसका लिया जाना बहुत ज़रूरी था। और जैसा कि डाक्टर श्यामा प्रसाद मुकर्जी ने कहा, यह अधिकार अत्यावश्यक था। मैं उन से पूर्ण रूप से सहमत हूं।

एक सवाल, जैसा कि श्री अलगूराय ने कहा, यह है कि छोटे छोटे उद्योग धंधे भी

[पंडित के० सी० शर्मा]

हम अपने हाथ में ले लेंगे, मैं समझता हूं कि हम लोगों को यह समझ लेना चाहिए कि जो लोग काम कर रहे हैं उन के दिमाग़ में भी कुछ अक्ल बाक़ी है। कोई भी मिनिस्टर दस, बीस या पचास हज़ार का धंधा अपने हाथ में नहीं लेगा। सरकार तो बड़ी बड़ी फैक्टरियों और मिलों में ही हस्तक्षेप करेगी, छोटे छोटे उद्योग धंधों में वह हस्तक्षेप नहीं करेगी और मैं समझता हूं कि हमारे जो उद्योग मंत्री हैं उनमें काफ़ी सूझबूझ है और उस बारे में किसी को सन्देह करने की ज़रूरत नहीं है।

एक सवाल के बारे में मुझे और कहना है और वह यह कि इस में जो मुकदमा चलाने के सम्बन्ध में धारा रक्खी गयी है वह यह है कि सरकारी कर्मचारी ही मुकदमा चला सकता है और अदालत में वही पेश कर सकता है कि इस क़ानून के विरुद्ध कोई जुर्म हुआ ? मैं समझता हूं यह ग़लत है। फैक्टरीज़ या मिलों में जो जुर्म होते हैं और जो क़ानून के विरुद्ध कार्रवाई होती है उन्हें ज्यादातर वही लोग जानते हैं जो फैक्टरी में काम करते हैं और उन से मिले-जुले रहते हैं। सरकारी कर्मचारियों का बहुत ज़माने से यही काम समझा गया है कि अगर पब्लिक आर्डर में, रोज़ के अमनोअमान में, खलल या झगड़ा न पड़े तो वे बहुधा हस्तक्षेप नहीं करते। इसलिये यदि आप इसके मुताबिक काम करना चाहते हैं तो आप को यह अधिकार देना पड़ेगा कि जनता का हर एक आदमी इस क़ानून के खिलाफ जो कार्रवाई की गयी हो, उसके खिलाफ अदालत में मुकदमा चला सके ताकि लोगों को यह मालूम हो कि वह जो कुछ करते हैं आम आदमी उसको देखता है और उसकी जवाबदेही भी उन को करनी पड़ेगी। इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं।

श्री दामोदर मेनन (कोझिकोडे) : मैं इस विधेयक का सामान्य समर्थन करता हूं। श्री तुलसीदास किलाचन्द ने मज़दूरों के व्यवहार की आलोचना की थी और कहा था कि हमारे उद्योगों के निजी भागों में बहुत सी बुराइयों का कारण मज़दूरों का नियम विरोधी व्यवहार तथा उन के द्वारा अपनाये गये असहायक ढंग हैं। मैं स्वयं कुछ समय तक मज़दूर कार्यकर्ता रहा हूं और अपने देश के उद्योगपतियों से पूछना चाहता हूं कि क्या उन्हों ने मज़दूरों के प्रति अपने उत्तरदायित्व को उचित रूप में निभाया है ? बहुत से मामलों में वे मज़दूरों का बड़ा ही विवेकशून्य ढंग से शोषण करने का प्रयत्न करते रहे हैं।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बसीरहाट) : नहीं, नहीं।

श्री दामोदर मेनन : क्या वे उन के साथ लाभों के विभाजन के लिए तैयार हैं ? यदि नहीं तो आप मज़दूरों से अपना कर्तव्य उचित रूप में पूर्ण करने की आशा नहीं कर सकते।

धारा १८ क के सम्बन्ध में माननीय सदस्य डा० श्यामाप्रसाद मुकर्जी ने कहा था कि इन उद्योगों को चलाने के लिये सरकार जो एजेंसी नियुक्त करती है उस के बारे में उसे बड़ा ही सावधान रहना चाहिये। क्योंकि यदि एजेंसी दोषयुक्त होगी तो जनता साधारणतः सरकार को दोष देगी, और नियन्त्रण नीति को भी। यह आलोचना हो चुकी है कि इन में अपव्यय, पक्षपात तथा कार्य-अकुशलता है। इस में सत्यता है और प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है। परन्तु मुझे यह जान कर अचम्भा होता है कि उद्योगपति इन का इस रूप में उदाहरण देते हैं जैसे कि यह एक कारण है जो यह बताता है कि इस देश में सरकार को कोई उद्योग अपने आधिपत्ति में नहीं लेना चाहिये।

इस सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री से आग्रह करता हूं कि वह इस का ध्यान रखें कि प्रबन्ध कर्त्ताओं में उन का उचित प्रतिनिधित्व हो। वह स्वयं यह कह चुके हैं कि यदि कोई मज़दूर झगड़ा ऐसा है जो उद्योग को अवगति की ओर ले जाता है तो सरकार के लिये उसे अपने तत्वावधान में लेना आवश्यक हो जायेगा। इन सब मामलों में, यदि हम मज़दूरों तथा कारीगरों पर विश्वास करें, मुख्यकर उन टैक्निशियनों पर जो उद्योग चलाते हैं, तो सरकार के लिए ऐसे व्यक्ति पाना सम्भव होगा जो वास्तव में सरकार की ओर से उद्योग को चलाने का उत्तरदायित्व ले लेंगे। ऐसा करने का कारण यह है कि निजी उद्योग-पति सरकार की नीति में विश्वास नहीं करते। वे चाहते हैं कि प्रत्येक बात उन के प्रबन्धकों पर छोड़ दी जाये। इन परिस्थितियों में ऐसा करना और भी अधिक आवश्यक है।

सरकारी प्राधिकारी सदन में बड़े गर्म वक्तव्य देते हैं और कहते हैं कि सरकार यह ध्यान रखेगी कि औद्योगिक निर्माणशालायें मुख्यकर गैर सरकारी निर्माणशालायें सम्पूर्ण रूप में राष्ट्र के हित के लिए चलाई जाती हैं। इन सब के होते हुए भी वे उन अधिकारों का प्रयोग करने में बहुत झिझकते हैं जो उन्हें प्राप्त हैं। अतः मैं माननीय मंत्री से आग्रह करता हूं कि वे इस संशोधन विधेयक के परिणाम-स्वरूप प्राप्त होने वाले अधिकारों का यह पता लगाने की दृष्टि से पूर्ण प्रयोगकरें कि ग़ैर-सरकारी उद्योग हमारे राष्ट्रीय जीवन में उचित भाग लेते हैं या नहीं।

मैं माननीय मंत्री का ध्यान कुछ विशेष उदाहरणों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। हम ने कुछ विदेशी उद्योगों को यहां स्था-पित तथा विकसित होने की अनुमति दे दी है। मैं यह जानना चाहता हूं कि उन मामलों में जहां विदेशी उद्योग सरकारी निर्देशों का पालन करने में तथा बड़ी संख्या में भारतवासियों को काम देने में चें मैं करते हैं, क्या सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने पर विचार करेगी? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या ऐसे मामलों में सरकार यह ध्यान रखेगी कि ये विदेशी उद्योग आदि राष्ट्रीय हित के अनुकूल काम करते हैं या नहीं, और वे भारतवासियों को काम करने के ढंग आदि जानने का अवसर देते हैं या नहीं।

सभापति महोदय: माननीय मंत्री सवा बारह बजे उत्तर देंगे। शेष समय अधिक नहीं है। मैं समस्त माननीय सदस्यों से यथासम्भव संक्षिप्त वक्तव्य देने का निवेदन करता हूं।

श्री बंसल (झज्जर-रिवाड़ी): इस्पात उद्योग पर बोलते हुए श्री मुखर्जी ने कहा था कि स्वयं उद्योगपति ही उस का विकास नहीं होने देते। मैं यहां और अब कहता हूं कि उद्योग अत्याधिक इच्छुक रहा है और सरकार को बार बार कहता रहा है कि इस्पात का उत्पादन बढ़ाने के लिए देश में नये यंत्र अवश्य लगाये जान चाहियें। इस उद्योग के थोड़े उत्पादन के लिये सरकार उत्तरदायी है। क्या हम नहीं जानते कि सरकार ने इन निर्माणशालाओं को अपने अधीन करने का निश्चय कर लिया है। इसी प्रकार उन्हों ने अलोमूनियम उद्योग के बारे में तथ्यहीन बातें कहीं। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य ने डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भाषण सुना था जिस में उन्हों न बड़े ही स्पष्ट शब्दों में यह बताया था कि इस विधेयक का उद्देश्य क्या है। यह पूर्णतः स्पष्ट है कि इस विधेयक का उद्देश्य राष्ट्रीयकरण से सर्वथा भिन्न है। यह उचित था कि मंत्री इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य देते और उन व्यक्तियों की शंकाओं को दूर करते जो इसी भ्रम में हों कि इस का उद्देश्य राष्ट्रीयकरण करना है।

डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी न कहा था कि सरकार को इस विधेयक द्वारा या भारतीय

[श्री बंसल]

समवाय अधिनियम में संशोधन करके उन उद्योगों को अपने अधीन करने का अधिकार प्राप्त करना चाहिये जिन का उत्पादन कम हो रहा हो। मैं यह समझ सकता हूं कि उन का ऐसा कहना तथ्यपूर्ण है या नहीं। बहुत से ऐसे उद्योग हैं जिन के उत्पादन में मांग के कारण वृद्धि व कमी होती रहती है। क्या हम नहीं जानते कि सरकारी युद्धास्त्र निर्माणशालायें भी पूर्ण क्षमता पर काम नहीं कर पातीं? मैं उन से इस बात पर सहमत हूं यदि वह यह कहें कि मांग अवश्य उत्पन्न करनी चाहिय। तब मैं उन के तर्क को समझ सकता हूं।

श्री एच० एन० मुकर्जी ने कहा था कि इस विधयक में कुछ ऐसी बात होनी चाहिये थी जिस से सरकार की कार्यवाही में वृद्धि होती। सरकार को यह देखने के लिए अधिक अधिकार प्राप्त हो जाते कि राष्ट्रीयकरण यथाशीघ्र होता है। इस सदन म हम पंच वर्षीय योजना स्वीकार कर चुके हैं और उस में राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में जो कहा गया है उसे प्राप्त करने के लिये ही इस विधेयक में प्रयत्न किया गया है।

माननीय मंत्री ने कहा था कि जहां गैर-सरकारी उद्योग उचित रूप में काम नहीं कर रहे हैं वहां समस्त सम्भाव्य आकस्मिकताओं से बचने के लिए हमें उन पर अधिकार करने का अधिकार प्राप्त करना पड़ रहा है। मैं उन के इस मत से सहमत नहीं हूं फिर भी मैं इस का विरोध नहीं कर रहा हूं अपितु उन के विचार करने के लिये एक या दो बात रखूंगा। पहिली बात धारा १८ क (ख) के सम्बन्ध में है जहां यह कहा गया है :—

"एक औद्योगिक निर्माणशाला जिस के सम्बन्ध में धारा १५ के अन्तर्गत एक जांच-पड़ताल हो चुकी है (क्या धारा १६ के अनुसार निर्माणशाला को कोई निर्देशन दिये गये हैं या नहीं) का प्रबन्ध ऐसे ढंग से हो रहा है आदि आदि।"

इस संशोधन का उद्देश्य यह है कि वह उद्योग पर जो उचित रूप में न चल रहा हो, सरकार अधिकार कर सकती है। मैं यह अधिक पसन्द करता यदि उद्योग में सुधार करने का एक अवसर, उस पर सरकारी अधिकार होने के पूर्व, उसे दिया जाता। मैं सरकार द्वारा यह अधिकार प्राप्त करन का कारण नहीं समझ पाता हूं। इस से बहुत से भ्रम उत्पन्न हो गय हैं। देश में हजारों छोटे छोटे उद्योगपति हैं जो छोटे छोटे कारखाने चलाते हैं। एक बिजली के करघे का स्वामी भी उद्योगपति है और कुछ हज़ार रुपये की पूंजी वाला प्लाइ-वुड का निर्माता भी उद्योगपति है। मेरा यह कहना है कि इन छोट छोट लोगों को ही सरकारी विभागों से कुछ करवाने में अधिक कठिनाई होती है। बड़े बड़ उद्योगपतियों के सम्पर्क अधिकारी तो तुरन्त पदाधिकारियों और मंत्रियों से मिल कर अपनी कठिनाइयां दूर करवा लेते हैं। किन्तु इस नये संशोधक विधेयक से तो छोटे छोटे लोगों की कठिनाई और बढ़ जायेगी।

इसी प्रकार से एक और संशोधन किया जा रहा है जिस से एक लाख से कम पूंजी वाले कारखानों को भी पंजीयन और अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन पत्र देना होगा। इस में भी छोटे छोटे उद्योगपतियों को वही कठिनाई होगी। मुझे निश्चय है कि माननीय वाणिज्य मंत्री छोटे और मध्यम श्रेणी के उद्योगपतियों के भय को दूर करने के लिये अवश्य कुछ करेंगे।

एक और बात है। नई धारा १८ क में यह लिखा हुआ है कि सरकार किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय को प्रबन्ध सम्भालन का अधिकार दे सकती है। परन्तु इस से

ऐसा प्रतीत होता है कि प्रबन्ध सम्भालने से पूर्व के सभी अधिकारी, जिस में उस औद्योगिक उपक्रम के प्रबन्धक और संचालक भी सम्मिलित हैं, पदत्याग कर देंगे। मेरी सम्मति यह है कि सारा ढांचा बदलने के स्थान पर सरकार को अपनी मनमर्जी का एक प्रबन्ध संचालक या संचालक मण्डल में एक संचालक नियुक्त कर देना चाहिए जैसा कि उन्हों ने सिंधिया कम्पनी के सम्बन्ध में किया है। माननीय वाणिज्य मंत्री से मेरी यह प्रार्थना है कि वे इस पर खुले दिल से विचार करें और एक ऐसा खण्ड प्रस्तुत करें जिस से सरकार को और अधिक शक्ति मिल जाये और उद्योगपतियों की बेचनी दूर हो जाये।

नई धारा १८ क के सम्बन्ध में मैं एक और सुझाव देना चाहता हूं। इस में यह दिया हुआ है कि सरकार की किसी व्यक्ति को औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध सम्भालने का अधिकार देने की शक्ति आदेश में निर्दिष्ट अवधि तक सीमित होगी। मान लीजिये कि अवधि समाप्त होने के पश्चात् भी सरकार उस पर नियंत्रण रखना आवश्यक समझ, तो क्या स्थिति होगी? मेरा यह सुझाव है कि प्रवर समिति को इस पर विचार कर के या तो इस सम्बन्ध में यहां कोई संशोधन कर देना चाहिए या सरकार को इस प्रकार की अधिसूचना का समय बढ़ाने पर सदन के समक्ष एक संकल्प रखने का अधिकार दे देना चाहिय।

इस के अतिरिक्त कुछ दण्डात्मक खण्ड हैं जो इस संशोधक विधयक में अधिक कठोर हैं। मेरा यह सुझाव है कि जब कोई व्यक्ति बार बार अपराध करे तो उसे अवश्य कठोर दण्ड मिलाना चाहिए, किन्तु छोटी-मोटी भूलों के लिए बहुत हल्का दण्ड मिलना चाहिए और कम से कम किसी का दायित्व किसी अन्य पर नहीं डालना चाहिए।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि गत दो वर्षों से उद्योगपति सरकार से बहुत सहयोग पूर्वक कार्य करते रहे हैं, अतः इस प्रकार के प्रतिकूल प्रभाव वाले विधानों से सारे वायुमण्डल को दूषित करना अच्छा नहीं। यदि माननीय वाणिज्य मंत्री मेरे संशोधन को स्वीकार कर लें तो इस से इस विधेयक के इन संशोधक खण्डों की कठोरता दूर हो जायेगी।

श्री आर० डी० मिश्र (जिला बुलन्दशहर) : मैं खद्दर बिल पर बोलना चाहता था, पर मौका नहीं मिला। आज इस बिल पर बोलने का मौका मिला तो मैं अपने माननीय मंत्री जी की तवज्जह दो चार बातों की तरफ दिलाना चाहता हूं। जहां तक हमारे देश का ताल्लुक है, विदेशियों के आने से हमारे देश की तमाम दस्तकारी खत्म हो गई और हमारा देश दिन ब दिन गरीब होता चला गया। इस में हम सभी सहमत हैं। जब इस देश के अन्दर राजनीतिक आन्दोलन उठा और अपने देश की आर्थिक अवस्था को हम ने संभालना चाहा तो सब से पहले स्वदेशी की आवाज़ इस देश में उठाई गई। हर एक विचार के आदमी ने अपने देश की उन्नति के लिय स्वदेशी की भावना का प्रचार किया और आज तक कांग्रेस की हिस्ट्री में स्वदेशी की भावना को फैलाया गया। पूजनीय महात्मा गांधी जब मैदान में आये तो उन्हों ने उस प्रचार के अलावा कुछ अमली सबक भी हम को दिया और बतलाया कि हम लोग केवल प्लैटफार्म पर लैक्चर न दें, बल्कि अपन देश की दस्तकारी की उन्नति करने के लिये देश में से गरीबी को निकालने के लिये हमें अपने घरेलू उद्योग धन्धों को बढ़ाना चाहिये। और वे तब बढ़ सकते हैं जब उन के लिये हम कोई बाज़ार तैयार करें। जब तक किसी चीज़ के लिये कोई बाज़ार तयार नहीं होता है, उस की मांग नहीं बढ़ती है, और

[श्री आर० डी० मिश्र]

वह उद्योग धंधा तरक्की नहीं कर सकता है । पूज्य महात्मा जी ने कांग्रस के सब सदस्यों पर यह शर्त लगाई थी कि वह सब खद्दर पहिनें ताकि इस देश में कपड़े की दस्तकारी बढ़े । उन्होंने देश और जनता का ध्यान ग्रामोद्योग की तरफ दिलाया और हर क्षत्र में स्वदेशी अपनान की भावना का प्रचार किया । काटज इंडस्ट्रीज और दूसरे देशी घरेलू धंधों को देश में बढ़ाने पर उन्होंने सदा जोर दिया । लेकिन मुझे यह कहते हुए बहुत दुख होता है कि हम ने उन पर पूरी तरह अमल नहीं किया, नहीं तो आज हमारे देश की हालत और ही होती । यह मैं मानता हूं कि आज सब जगह कांग्रेस की अक्सरियत है, लेकिन यह हकीकत है कि कांग्रेस की अक्सरियत होते हुए भी आज तक कांग्रस जिस नीति पर चलती रही है, उस नीति को हम यहां गवर्नमेंट में पावर में आ कर चला नहीं पा रहे हैं । इस का कारण क्या है , इसके बारे म हमें और आप को सोचना है । जितनी भी पार्टियों के मेम्बर आज इस सभा में हैं, इन में से बहुत से पहले कांग्रेस में भी थे और पुराने कांग्रेस नेताओं के साथ उन्हों ने सदा स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करने पर जोर दिया, लेकिन अब वह भावना देश भर में अमल में नहीं आ पा रही है इसलिय इस सदन में जितनी भी पार्टियां हैं उन सब को मिल कर अपन देश के अन्दर स्वदेशी की भावना को फैलाना चाहिये । क्योंकि यह बात निश्चित है कि जब तक स्वदेशी की भावना देश में नहीं फैलती है, हम इस मुल्क से गरीबी, बेकारी, और भुखमरी को नहीं निकाल सकते हैं । इसलिये मेरा कहना यह है कि यह ठीक है कि आप इस तरह का बिल ला रहे हैं और यह सोच रहे हैं कि फलां, इंडस्ट्री पर किस का कंट्रोल रहे और किसका न रहे, या कौन सी दस्तकारी अच्छी है, कौन सा कारखाना ज्यादा माल पदा कर रहा है और कौन सा ज्यादा पैदा नहीं कर रहा है, या किस कारखाने में मालिकों और मजदूरों के बीच लड़ाई है और किस में नहीं है, यह सब बात आप के लिये जानना और करना आवश्यक है । लेकिन सब से बड़ी आवश्यक बात यह है कि जब तक देश के अन्दर स्वदेशी की भावना नहीं फैलती है, तब तक ग्रामोद्योग और कारखाने तरक्की नहीं कर सकते हैं ।

मैं आप को बतलाऊं कि हम आज यहां क्या देखते हैं । हम यहां इस पार्लियामेंट के मैम्बर चुन कर आयें तो, हम ने यहां एक नई चीज देखी कांग्रेस के जितने मेम्बर्स हैं वह सब तो खद्दर पहिन कर यहां आते हैं और अमली तौर पर देश की उन्नति करने में लगे हुए हैं लेकिन हमारे राजभोज सरीखे भाई जो आये दिन अछूतों के वास्ते शोर मचाते हैं कि उन को रोटी चाहिये, कपड़ा चाहिये, मकान चाहिये, और नौकरी चाहिये, तो उन तथा-कथित नेताजी से यह पूछा जाय कि जनाब आप शोर तो उन के लिये इतना मचाते हैं, लेकिन आपने उन की क्रय शक्ति बढ़ाने के लिये अमली काम क्या किया । अगर आप खद्दर पहिनें तो उस से आप के जो गरीब भाई चर्खा चलाते हैं और कपड़ा बुनते हैं उन को काम मिलेगा और उन के काम की तरक्की होगी । इसी तरह अगर आप देशी जूता पहिनगे तो आप ही के भाई लोग जो जूता बनान का व्यवसाय करते हैं उन का काम चलेगा और वह पैसा उन को मिलेगा । यह सब जो करना उन को उचित है वह तो करते नहीं, उल्टे कांग्रेस की जिस ने अछूतों के लिय शुरू से प्रयत्न किया और उन को ऊंचा उठाया और अब तक उन के सुधार में लगी हुई है, खिलाफत करते हैं और विरोध करते हैं और कहते हैं कि कांग्रेस ने अछूतों के लिये

कुछ नहीं किया। आप अछत भाइयों के नुमाइन्दे बनने का दावा तो करते हैं, लेकिन आप में मैं स्वदेशी का सर्वथा अभाव पाता हूं। आप के ऊपर अंग्रेजी तहजीब का असर है, टाई, कालर, पतलून और सूट बूट, धारण करते हैं। विदेशी वेष-भूषा और विलायती कपड़े पहिन कर आप अछतों का उद्धार करने चले हैं, और कांग्रेस वालों को मुफ्त में बदनाम करते हैं। आप हमें क्या कहते हैं। हमारा तो शुरू से ही यही ध्येय रहा है कि गरीबों की भलाई क , अछुतोद्धार करें और हम तो सिर से पैर तक सब देशी कपड़ा पहिनते हैं और हमारी कुल पोशाक का एक एक पैसा गरीब भाइयों को जाता है और देश से गरीबी के दूर करने में काम आता है। इसलिये आप के लिय यह किसी तरह से शोभा नहीं देता कि आप हम पर इस तरह का लांछन लगायें। (अन्तर्बाधा)

श्री पी० एन० राजभोज (शोलापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : मुझ बोलने का मौका दिया जाये।

सभापति महोदय : शान्ति, शान्ति। मैं हिन्दी अच्छी प्रकार समझती नहीं हूं किन्तु मुझे आशा है कि माननीय सदस्य विषय पर ही बोल रहे हैं और सभापति को सम्बोधित कर के ही बोल रहे हैं, सदन के किसी अन्य सदस्य को नहीं।

श्री आर० डी० मिश्र : मैं इस के लिये माफी चाहता हूं कि मुझे कुछ अपने लायक दोस्त के बारे में यहां पर ज़िक्र करना पड़ा। अब मैं अपने माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि आप अगर प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट को देखेंगे तो उस में साफ तौर पर यह लिखा हुआ है कि प्रजातन्त्र में गवर्नमेंट क्या है? उस में बतलाया गया है कि गवर्नमेंट के दो हिस्से हैं, एक पालिसी मेकिंग पार्ट होता है और वह गवर्नमेंट का चुना हुआ हिस्सा होता है जिस को पोलीटिकल एक्जीक्यूटिव कहते हैं, जिस में हमारे मिनिस्टर और कैबिनेट वगैरह होते हैं। गवर्नमेंट का दूसरा हिस्सा वह होता है जिस में परमानेंट सिविल सर्वेन्ट्स होते हैं। गवर्नमेंट के चुने हुए हिस्से का काम पालिसी बनाना होता है और इस परमानेंट एक्जीक्यूटिव का उस पालिसी को अमल में लाने का काम है। और इलेक्टेड पार्टी का पालिसी बनाने के साथ साथ यह भी देखना काम है कि जो पालिसी उन्हों ने बनाई है, उस पर दूसरा हिस्सा ठीक ठीक तरह अमल भी कर रहा है या नहीं, और उन स्कीमों को कार्यरूप में परिणित भी कर रहा है या नहीं जो उन्हों ने चाक आउट की हैं। यहां मैं मिनिस्टर साहब की खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि वह यह भी देखें कि जो पालिसी वह फ्रेम करते हैं, उस पर एक्जीक्यूटिव यकीन करती है और ईमानदारी से उस पर अमल करती है या नहीं। आज हम देखते हैं कि कानून और पालिसी तो ठीक और अच्छे बनाये जाते हैं, लेकिन वह पालिसी अमल में नहीं आ रही है। आज हम चाहते हैं कि देश में काटेज इंडस्ट्री बढ़े, इस देश से बेरोजगारी जाये और लोगों को रोजगार मिले और आजकल पढ़े लिखे लोगों में जो काम से जरा एक घृणा सी पैदा हो गई है, वह दूर हो जाय और वह उद्योग धन्धों में लग जायें। हम यहां पर अपने लिये कपड़ा बनाने लगें, जूते तैयार करने लगें और दूसरे काम धन्धे भी करने लगें। इस के साथ ही मिनिस्टर साहब का यह फर्ज हो जाता है कि वह यह देखें कि उन की जो एक्जीक्यूटिव है वह पूरी तरह उन की स्कीम पर अमल करती है और उन की पालिसी पर उस को पूरा विश्वास है। मैं आज देखता हूं कि हमारी एक्जीक्यूटिव को कांग्रेस की बेसिक पालिसी के ऊपर एतबार नहीं है। हमारी कांग्रेस की पालिसी क्या थी? खद्दर, लेकिन उन का ऐतबार खद्दर

[श्री आर० डी० मिश्र]

में नहीं। गवर्नमेंट के सुप्रीम हेड पंडित जवाहर लाल नेहरू जो प्राइम मिनिस्टर हैं खद्दर पहिनते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के सेक्रेटरीज और क्लर्कस आदि पर कोई असर नहीं, वह वही विलायती कपड़े और वेष भूषा धारण करते हैं।

पंडित डी० एन० तिवारी (सारन दक्षिण) : एक औचित्य प्रश्न के हेतु मैं पूछना चाहता हूं कि इस का इस विधेयक सम्बन्ध है ?

श्री आर० डी० मिश्र : मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप इस बिल के दौरान में स्वदेशी की बात नहीं सुनना चाहते हैं तो यह बिल बेकार है।

डा० जाटववीर (भरतपुर-सवाई माधोपुर--रक्षित--अनुसूचित जातियां) : यह बेकार नहीं है, ठीक है।

श्री पी० एन० राजभोज : मुझे माननीय सदस्य के आक्षेपों का जवाब देने के लिये टाइम मिलना चाहिये।

सभापति महोदय : मैं माननीय सदस्य से फिर यह अनुरोध करती हूं कि वह विषय पर ही बोलें। मैं हिन्दी अच्छी प्रकार समझती नहीं हूं। माननीय सदस्य को विधेयक से भिन्न अन्य विषयों पर बोल कर व्यर्थ समय नष्ट नहीं करना चाहिये।

श्री पी० एन० राजभोज : मैडम क्या मैं बोल सकता हूं ? हम लोगों को भी जवाब देने के लिये टाइम मिलना चाहिये।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य ने अभी अपना भाषण समाप्त नहीं किया है। वह अपना भाषण जारी रखें।

श्री आर० डी० मिश्र : इस बिल के सिलसिले में मुझे एक, दो शुबह हैं जो मैं आप को बतलाना चाहता हूं। इस बिल के अन्दर अब तक एक लाख की मियाद रक्खी गयी थी कि एक लाख से ज्यादा मालियत वाले कारखाने के ऊपर गवर्नमेंट कंट्रोल रखेगी। मिनिस्टर साहब ने जो तकरीर की थी उस में उन्हों ने बतलाया कि एक कारखाने के सम्बन्ध में इस ऐक्ट का प्रयोग हुआ परन्तु अब यह तरमीम भी आ गई कि जो कारखाने व उद्योग धन्धे एक लाख से कम के भी हैं, उन के ऊपर भी यह बिल लागू हो सके। तो मुझे यह अन्देशा पैदा हो गया कि जो हमारे देश में छोटे छोटे उद्योग धन्धे हैं, काटेज इंडस्ट्रीज वगैरह हैं, उन पर भी यह बिल असर करेगा, और हमारी जो मंशा है कि हमारे देश में ये उद्योग धन्धे बढ़ें, वह पूरी न होगी और यह बिल उन की उन्नति में बाधा डालेगा।

कहीं ऐसा न हो कि इन छोटे छोटे उद्योग धंधों को खत्म करने के लिये यह बिल लागू हो जाये। मेरी गुजारिश यह है कि इस में जो आप दफा चार को निकाल कर यह अख्त्यार एक्जीक्यूटिव गवर्नमेंट को दे रहे हैं . . . .

श्री पी० एन० राजभोज : चमड़े के उद्योग के लिये भी कुछ बोलिये, खद्दर तो हो गया।

श्री आर० डी० मिश्र : चमड़ा भी इस में ही है, आप ने देखा होगा।

मैं यह कह रहा था कि जो दफा ४ आप निकाल रहे हैं उस दफा का इस्तेमाल इस तरह का न हो कि हमारी पालिसी तो छोटे छोटे उद्योग धंधों को मदद करने की है लेकिन एक्जीक्यूटिव गवर्नमेंट उस का इस्तेमाल किसी और तरह कर दे।

दूसरी बात यह है कि जहां आप ने न्य आर्टिकिल्स की तारीफ की है उस में

आप ने सूत, रेशम और ऊन शामिल किये हैं। साथ में सोप मेकिंग को भी शामिल किया गया है। हमारे ग्रामोद्योग धन्धों के अन्दर ये चीजें थीं। अब नये नये उद्योग धन्धे करने वाले नई चीजें बनायेंगे। तो कहीं ऐसा न हो कि बड़े बड़े पूंजीपति इन की उन्नति से कुढ़ कर इस बिल की आड़ में इस तरह की कोशिश न करें कि उन को सामान न मिले और उन का काम खत्म हो जाय। हम को तो ऐसा काम करना है, जिस से हमारे देश में छोटे-छोटे उद्योग धंधे और दस्तकारियां बढ़ें। मेरी गुजारिश यह है कि आप ऐसी कोशिश करें कि हमारी एक्जीक्यूटिव गवर्नमेंट को यकीन आ जाये कि हमारी सरकार हमारे घरेलू उद्योग धंधों की तरक्की करना चाहती है, ताकि वह खुद भी उस पर अमल करे और दूसरे भाइयों को यह तरगीब दें कि वह भी हमारे देश का ही बना सामान इस्तेमाल करने लगें ताकि यहां स्वदेशी वस्तुओं का मार्केट बढ़े, हमारे लोगों की पर्चेजिंग पावर बढ़े, देश की गरीबी का नाश हो और लोगों की हालत अच्छी हो।

श्री पी० एन० राजभोज : इस देश की इंडस्ट्री के बारे में मेरा कहना यह है कि देहातों में जो छोटे छोटे उद्योग धंधे हैं जैसे चमड़े का उद्योग है, शू मेकिंग, रोप मेकिंग आदि चमड़े के उद्योगों की स्मृद्धि होनी चाहिये मैं जापान गया था और वहां मैं ने इंडस्ट्रीज के बारे में काफी अध्ययन किया। इस वास्ते मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से जापान में कोआपरेटिव बेसिस पर इंडस्ट्रीज चलाई जा रही हैं और जिस प्रकार से वहां उन की उन्नति हो रही है उस प्रकार से हमारे देश में भी हो तो देश की बहुत समृद्धि होगी हमारे देश की पंचवर्षीय योजना में कई बातें लिखी हुई हैं, लेकिन आखिर वह अमल में कैसे आयेंगी ? जब तक आप मासैज विशेष कर दलित वर्ग के लोगों का कोआपरेशन नहीं लेंगे तब तक हम अपने उद्देश्य में कैसे सफल होंगे ? जब भी मैं कुछ बोलता हूं तो आप कहते हैं कि विरोधी पार्टी से बोल रहा है। श्री अल्गू राय शास्त्री ने कहा कि धंधे के बारे में तो यह बनिया गवर्नमेंट है। लेकिन नौकरी के बारे में ब्राह्मण गवर्नमेन्ट है। मैं ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं हूं। लेकिन मैं कहता हूं कि जो यहां के चमार हैं, महार हैं और दूसरे अछत जाति के लोग हैं उन सब को बराबरी का हक मिलना चाहिये। सन् १९५० में दस करोड़ का चमड़े का माल बाहर गया। हमारे देश में चमड़ा इतना ही इम्पार्टेंट है जितना कि खद्दर। मैं खद्दर के खिलाफ नहीं हूं, पर यह बात सत्य है कि खद्दर मंहगा हो गया लेकिन चमड़ा सस्ता हो गया। सिर्फ इसलिये कि यह हमारे देश की चीज़ है। इस को भी गांधी जी का आश्रय प्राप्त था और हमारे अछत भाई इस को बनाते थे। लेकिन अब हमारे भाई जो गांधी जी का नाम ले कर खद्दर पहिनते हैं वह मशीनों के लिये कहते हैं कि बिना इस के हमारा काम नहीं चल सकता। मेरी प्रार्थना तो यही है कि कम से कम जो छोटे छोटे धंधे हैं जैसे टेनिंग, रोप मेकिंग, शू मेकिंग आदि वे अपने देश के उद्योग हैं और मिनिस्टर महोदय को उन की सहायता करनी चाहिये। जो हमारे गवर्नमेंट के आफिसर्स हैं उन को भी इन्स्ट्रक्शन देना चाहिये कि वह ऐसा करें। जो हमारे आफिसर्स काला बाज़ारी करते हैं, पैसा लेते हैं, और करप्ट हैं और जो उद्योग धंधों के बढ़ाने में मदद नहीं करते उन को क्लियर इंस्ट्रक्शन देना चाहिये कि वह ऐफिशियेंट बनें और उद्योग धंधों की सहायता करें। साथ में उन से यह भी कहना चाहिये कि उन को पब्लिक के साथ अच्छी तरह से बर्ताव करना चाहिये। जब तक देश में छोटे छोटे उद्योग धंधे सहकारिता के आधार पर नहीं बढ़ाये जायेंगे तब तक गरीब

[श्री पी० एन राजभोज]

लोगों की कोई मदद नहीं हो सकेगी आज आप के साथ बिड़ला साहब और टाटा साहब हैं और वह हम लोगों को खत्म करने की सोच रहे हैं। लेकिन हम लोगों को गरीबों की मदद हर तरह से करनी चाहिये यह मेरी प्रार्थना है। आज हर एक आदमी को दो रुपये रोज मजदूरी मिलती है। अगर उस दो रुपये में से आप चार आना ले लें तो महीने में करीब आठ रुपये हो जाते हैं और वर्ष में करीब ९५ रुपय हो जाते हैं। अगर आप छोटे छोटे उद्योग धंधों को कोआपरेटिव बेसिस पर चलायें तो दस वर्ष में वह भी एक फैक्टरी के मालिक बन सकते हैं या कम से कम उस के शेयर होल्डर तो बन ही सकते हैं। आज कल जो स्कीमें बनती हैं वे कैपिटलिस्ट लोगों के लिये बनती हैं। लेकिन जो गरीब और श्रम जीवी लोग हैं अगर उन के लिये छोटे छोटे धंधों की स्कीमें हों और गवर्नमेंट उन को ज्यादा से ज्यादा मदद दे तो उस से गवर्नमेंट को ही लाभ होगा और लोगों का कोआपरेशन भी उस को मिल जायेगा। अभी तो बिल सिलैक्ट कमेटी में जा रहा है, अगर उस के लिये कोई सजैशन्स होंगे तो मैं भेजूंगा। लेकिन हाउस में मेरे बोलने का मतलब यह है कि चमड़े का जो बहुत बड़ा धंधा है उस को आगे बढ़ाने के लिये कम से कम चमड़े के काम करने वालों को सहायता देने की पूरी कोशिश की जायेगी। आज कूपर ऐंड एलेन कम्पनी और बाटा कम्पनी जैसी जो बड़ी बड़ी कम्पनियां हैं वे बहुत मुनाफा उठाती हैं और मजे करती हैं। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि जो हमारे देश के सच्चे नुमाइन्दे हैं, जो चमड़े का काम करने वाले देहातों में हैं उन को लाभ होना चाहिये। गांधी जी का कहना था कि इस देश में छोटे छोटे उद्योग धंधे होने चाहियें और उस में काम करने वाले गरीब लोगों को मदद मिलनी चाहिये। मैं भी पहले गांधी जी के आश्रम में था। आज हमारा और आप का मतभेद हो गया है लेकिन मैं जानता हूं कि वह क्या करते थे। अगर आप चाहते हैं कि देश की उन्नति हो तो आप को छोटे छोटे धंधों की तरफ ध्यान देना होगा।

सभानेत्री जी, आप ने कृपा कर के मुझे कुछ बोलने का समय दे दिया इस के लिये मैं आप को धन्यवाद देता हूं। अब मैं आप का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता क्योंकि आप ने मुझे केवल साढ़े बारह बजे से एक तक का समय दिया था।

मुझे उम्मीद है कि मैं ने हाउस के सामने जो दो एक सजैशन्स रक्खे हैं उन को कामर्स मिनिस्टर और कांग्रेस के लोग अमल में लाने की कोशिश करेंगे।

हमारे जिन भाई ने मेरे लिये कुछ शब्दों का उच्चारण किया है, उन से मेरी प्रार्थना है कि मैं तो यही कहता हूं कि जो लोग कामगर हैं, अच्छा काम करने वाले हैं उन की सहायता की जानी चाहिये। जब मैं कुछ कहता हूं तो आप कहते हैं कि क्रिटिसाइज करते हैं। मैं पूछता हूं कि हमारे देश का जो कच्चा चमड़ा है वह बाहर क्यों जाता है? उस को देश में रखिये, उस के लिये फैक्टरीज खोलिये। छोटे छोटे लोगों की पैसे से सहायता कीजिये। आप को यहां पर एक लाख रुपये की शर्त नहीं रखनी चाहिये। आज कल जो लोग स्कीमें बनाते हैं वह बड़े बड़े आई० सी० एस० आफिसर्स हैं। वह तो देहातों को देखने के लिये भी नहीं जाते हैं। बहुत हुआ तो डिस्ट्रिक्ट में चले गये और वहीं से रिपोर्ट बना कर भेज दिया करते हैं। उन को यह भी पता नहीं होता कि देहातों की परिस्थिति क्या है। उन को ऐसा नहीं करना चाहिये।

श्री गुरुपादस्वामी : मेरे विचार से यह विधेयक वेयक्तिक उपक्रम को नव जीवन

प्रदान करता है । इस विधेयक के उपबन्धों के अनुसार यदि किसी उद्योग का उत्पादन स्तर गिर जाये या उत्पादन खराब होने लगे, तो सरकार उस का प्रबन्ध अपने हाथों में ले सकती है और उसे ठप्प होने से बचा सकती है । अतः यह अप्रत्यक्ष रूप से, वैयक्तिक उपक्रम के ठप्प होने के विरुद्ध, सरकारी संरक्षण है । यह तो वैयक्तिक उपक्रम की सहायता और उस के बचाव के लिये ही है । इस विधेयक के सम्बन्ध में कुछ सदस्यगण व्यर्थ ही भयभीत हैं । विधेयक के उपबन्धों से यह बात स्पष्ट है कि जब कोई उद्योग, प्रबन्ध के लिये सरकार द्वारा ले लिया जाता है, तो कुछ कल के उपरांत उस की दशा सुधर जाने पर वह पुनः अपने असली स्वामी को लौटा दिया जाता है । सरकार उस का प्रबन्ध अपने हाथ में केवल उस की दशा सुधारने के लिये लेती है । इसीलिये मैं कहता हूं कि वह वैयक्तिक उपक्रम को नव जीवन प्रदान करता है । वास्तव में वह उस की रक्षा के लिये है । निश्चय ही यह राष्ट्रीयकरण की दिशा में एक कदम नहीं है । सच तो यह है कि यह उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के विरुद्ध है ।

भारत सरकार की औद्योगिक नीति अत्यन्त भ्रांतिपूर्ण है । हमें यह पता ही नहीं कि हमारी औद्योगिक नीति निश्चित रूप से क्या है । वह बहुत अस्पष्ट है । ऐसा प्रतीत होता है कि वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री और उन के मंत्रालय के सामने कोई सामाजिक उद्देश्य नहीं है । इस विधेयक से भारतीय उद्योगों में फैली हुई परिभ्रांति की झलक मिलती है ।

अब मैं मंत्री महोदय का ध्यान दो अन्य महत्वपूर्ण बातों की ओर आकर्षित करूंगा । इंगलैंड में एक व्यापार मंडल है । यह एक सर्वोच्च निकाय है और इस व्यापार मंडल का अध्यक्ष सरकारी सदस्य होता है । यह मण्डल इंगलैंड की सम्पूर्ण औद्योगिक व्यवस्था का निरीक्षण करता है । यह पूर्ण स्वतन्त्र है और इस के कार्य में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करता । उस देश में यदि कोई उद्योग ठीक से नहीं चलता है या उस का प्रबन्ध खराब होता है, तो उक्त व्यापार मण्डल अपने ही आप, बिना किसी की सलाह लिये, उस व्यवसाय को अपने अधिकार में ले सकता है । मेरे विचार से हमारे यहां के ढंग से यह ढंग अच्छा है । हमारे यहां की प्रक्रिया कुछ पेचीदा है । हमारे यहां यह पता लगाने के लिये कि अमुक उद्योग ठीक से चल रहा है या नहीं, सरकार को पहले परिषद् से इस मामले में जांच करने के लिये कहना पड़ता है । सरकार द्वारा नियुक्त जांच मण्डल के द्वारा पर्याप्त जांच हो जाने पर सरकार कार्यवाही कर सकती है । इस में बहुत समय नष्ट हो जाता है । परिस्थितियों को देखते हुए मैं समझता हूं कि यह ढंग अच्छा नहीं है । यदि हम इस विषय में ब्रिटिश तरीके का अनुसरण करें तो बहुत अच्छा होगा । इंग्लैंड में पर्याप्त संख्या में किसी भी उद्योग के भागीदारों द्वारा उस उद्योग के विरुद्ध कुप्रबन्ध की शिकायत किए जाने पर सरकार उस उद्योग को, बिना किसी मध्यस्थ निकाय की सलाह के, अपने अधिकार में ले सकती है ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष पद पर आसीन हुए]

ब्रिटिश कम्पनी अधिनियम में ऐसी किसी भी कम्पनी के विरुद्ध फौजदारी का मुकदमा चलाने की व्यवस्था है, जिस का प्रबन्ध खराब हो । इस के फलस्वरूप कम्पनी सतर्क रहेगी और अपने प्रबन्ध को ठीक करने का प्रयत्न करेगी । हमारे देश में भी ऐसे उपबन्ध की बहुत आवश्यकता है । इस से उद्योगपति

[श्री गुरुपादस्वामी]

अपने वास्तविक उत्तरदायित्व को जानेंगे और अपने उद्योग को ठीक से चलाने के लिये बाध्य होंगें । अतः यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है ।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि इस प्रकार प्रबन्ध सुधार आदि के लिये सरकार द्वारा किसी उद्योग के अपने हाथों में ले लिये जाने पर बाद में उस को इस के मालिकों को वापस नहीं लौटाना चाहिये । सरकार को उस का राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिये । तभी सही और प्रगतिशील आधारों पर देश में औद्योगीकरण का स्थिर विकास संभव हो सकता है ।

अन्त में मैं यह कहूंगा कि इस मामले में सरकार की नीति अत्यन्त दृढ़ होनी चाहये । उसे इस विधेयक को और प्रभावशाली तरीके से लागू करने के विषय में सोचना चाहिये । यह अधिनियम एक साल से लागू है । पर मैं इस परिणाम पर पहुंचा हूं कि सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों को क्रियान्वित करने में असमर्थ है । यद्यपि इस अधिनियम के अधीन सरकार को बहुत अधिक शक्तियां दी गई हैं, परन्तु वह इन शक्तियों का प्रतिक्रियावादी उद्योगपतियों के विरुद्ध उपयोग करने में असमर्थ है । आवश्यकता इस बात की है कि प्रभावशाली और दूरदर्शितापूर्ण कार्यवाही की जाये । अन्यथा इतनी शक्तियां व्यर्थ हैं । इस संशोधक विधेयक को उपयुक्त संशोधनों के साथ पारित करने के उपरांत सरकार को उक्त बात को ध्यान में रख कर देश के औद्योगिक संगठन को उचित और वैज्ञानिक आधारों पर विकसित करने के लिये और अधिक प्रभावशाली कार्यवाही करने के सम्बन्ध में सोचना चाहिये ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : वाद विवाद का उत्तर देने से पूर्व, मेरी आप से और सदन से एक प्रार्थना है, कि प्रवर समिति के सदस्यों में निम्नलिखित दो नाम और जोड़ दिये जायें :

(१) श्रीमती अनुसुइया बाई काले ।

(२) श्री पैड़ी लक्ष्मय्या ।

मुझे आशा है कि सदन इस से सहमत होगा ।

सामान्य वाद विवाद के सम्बन्ध में ग्यारह सदस्य बोले हैं । यह मानना पड़ेगा कि वाद विवाद बहुत ऊंचे स्तर पर हुआ था, जो इस प्रकार के विषय को निपटाने के समय बिल्कुल ठीक और उचित है । हमें उन माननीय सदस्यों की राय का लाभ मिला है, जिन्हों ने इस विषय पर खूब मनन किया है, और मैं इस पद पर अपने प्रख्यात पूर्वाधिकारी डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी के भाषण का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूं, जिन्हों ने मेरा प्रबल समर्थन किया ।

पहले मैं उन के द्वारा उठाई गई कुछ बातों के सम्बन्ध में कहूंगा । मुझे इस बात का अनुभव कर के बहुत प्रसन्नता होती है कि मैं उन के पदचिन्हों का अनुसरण कर रहा हूं । चूंकि जि स समय यह विधेयक पुरःस्थापित किया गया था मैं इस सदन का एक सदस्य था, इसलिये मैं ने यह अनुभव किया कि जो माननीय सदस्य उस समय इस विधेयक के भार साधक थे, उन्हों ने सही रुख अपनाया था, और मुझे इस से कुछ प्रसन्नता होती है कि यह वहीं पर वापस आ गया है जहां उन्हों नें प्रारम्भ किया था और यह कि जो परिवर्तन उन के मस्तिष्क में थे वे इस सदन में औपचारिक रूप से प्रस्तावित कर दिये गये हैं ।

डा० मुखर्जी ने कहा कि ऐसी कुछ औद्योगिक इकाइयों के प्रबन्ध को अपने

अधिकार में लेने के लिये जिन से हम अनुभव करते हैं कि, इस विशेष संशोधक विधेयक के उपबन्धों के आधीन निपटा जाये, किसी प्रकार के निकाय —उन्होंने उसे एक औद्योगिक प्रबन्ध निकाय कहा—की स्थापना पर हमें विचार करने की आवश्यकता हो सकती है । और उन्हों ने इस निकाय के लिये पर्याप्त धन प्राप्त करने की आवश्यकता पर ठीक ही जोर दिया । मैं मानता हूं कि गत कुछ काल से मेरे विचार इस दिशा में दौड़ते रहे हैं और मैं ऐसे किसी निकाय को बनाने के प्रश्न पर चर्चा करता रहा हूं जो राज्यों में, भू-सम्पदा के सम्बन्ध में व्यवहार करते समय, एक प्रतिपालक अधिकरण कहलाने वाले निकाय के समान हो । अर्थात्, या तो एक सम्पदा की अल्पवयस्कता या स्वामी की शारीरिक अथवा मानसिक दुर्बलता के काल में, सरकार सम्पदा को अपने अधिकार में ले लेती है और उस का प्रबन्ध करती है और अन्ततोगत्वा संबन्धित पक्षों को, वास्तविक स्वामियों को, वापस लौटा देती है । मैं ने अनुभव किया कि शायद हमें ऐसा ही कोई निकाय बनाना होगा । मैं ऐसे विभिन्न व्यक्तियों से इस विषय की जांच करने के लिये कह रहा हूं जो इस प्रकार के मामलों के ज्ञाता हैं । साथ ही साथ, यह बात भी है कि यदि कदाचित मैं ने इस प्रकार का एक सुझाव रखा होता, तो लोग और भी भड़क गये होते कि मैं न केवल इन उद्योगों को अपने अधिकार में लेना चाहता हूं, बल्कि मेरे पास इन उद्योगों को अपने चंगुल में रखने की एक नियमित व्यवस्था है । अतः शायद, यदि मेरे वर्तमान प्रस्ताव साकार हों, तो मैं किसी अन्य अवसर पर इसे सदन के सामने लाऊं । चूंकि हमारे संसाधन इतने थोड़े हैं कि हम उस के किसी भी भाग का अपव्यय नहीं होने दे सकते, अतः निश्चय ही वह आवश्यक होगा और यहीं पर मैं माननीय डा० मुखर्जी की सलाह को बहुत महत्व देता हूं ।

दूसरी बात उन्हों ने प्रबन्ध में परिवर्तनों के सम्बन्ध में कही । यदि किसी खास प्रबन्ध अभिकर्त्ता, या प्रबन्ध अभिकरण फर्म या प्रबन्ध निर्देशक ने ठीक से काम न किया हो, तो उस के लिये भागीदारों को क्यों दण्डित किया जाये ? हमें इस सम्बन्ध में क्या करना चाहिये ? यद्यपि वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय को किसी भी व्यवसायिक संस्था में भागीदारों के हितों की रक्षा करने में मुख्य रूप से रुचि रहती है, फिर भी यह प्रश्न इस विधान की सीमा के अन्तर्गत नहीं आता । भारतीय कम्पनी अधिनियम के द्वारा हम इस विषय में कार्यवाही करना चाहते हैं । इस समय इस अधिनियम का द्रुत गति से पुनर्निरीक्षण हो रहा है और अधिनियम के पुनर्निरीक्षण के लिये प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है । जो लोग इस योजना पर काम कर रहे हैं उन्हों ने भी मुझ से राय ली है । इस प्रकार का एक उपबन्ध ब्रिटेन के अधिनियम में है, और मैं आशा करता हूं कि जब प्रस्ताव अन्तिम रूप से एक विधेयक के रूप में आयेगा, तो हम उस में इस प्रकार का एक उपबन्ध रखेंगे जैसा कि मेरे माननीय मित्र डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बताया ।

एक प्रश्न उन्हों ने यह पूछा था कि क्या हम ने उद्योग परामर्श परिषद् से परामर्श किया था । मुझे कहना पड़ता है कि ऐसे मामलों में विशेषकर जब सरकार अपने ऊपर बहुत शक्तियां ले रही हैं जब इन निकायों में से अधिकांश केवल परामर्श देने वाले हो जाते हैं तब, इन निकायों का उचित उपयोग करने और उन को उत्तरदायित्व की भावना का विकास करने देने का दायित्व बहुत बड़ा है, जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, मैं इस उत्तरदायित्व को बहुत अच्छी तरह समझता हूं और यद्यपि प्रवधिक रूप से ये निकाय परामर्श देने वाले हैं, फिर भी मैं अपनी शक्ति भर, उन पर गंभीरतापूर्वक विचार करता हूं ।

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

वास्तव में यदि उन का कोई परामर्श रुचिकर नहीं होता है तो हम उस पर बहस करते हैं और किसी प्रकार का समझौता करने का प्रयत्न करते हैं ।

इसी कारण लाइसेंस पद्धति की जांच के लिये नियुक्त की गई उद्योग मंत्रणा परिषद् की इस उप-समिति के बारे में, मैं ने उन्हें कम अधिक अपीलीय मामलों सम्बन्धी मंत्रणा निकाय बना दिया है तथा मुझे सदन को बतलाते हुए कुछ गर्व होता है कि उस निकाय द्वारा प्रथम काल में की गई जांच के सम्बन्ध में दो मामलों को, जिनमें सरकार का लाइसेंस-पद्धति समिति से मतभेद हो गया था, उन्हें सौंपा गया है तथा मैं ने अपने विवेक से काम लेने की चेष्टा नहीं की है । मेरे पास दो अपीलें आई थीं तथा सरकार ने सोचा कि उन्हें उद्योग मंत्रणा परिषद् को निर्दिष्ट किया जाना आवश्यक है । एक के विषय में उन का विचार था कि लाइसेंस पद्धति का निर्णय ठीक है तथा दूसरे के विषय में गलत । सरकार ने उन की सिफारिशों को पूर्णतः स्वीकार कर लिया है । सरकार का विचार है कि जहां तक सम्भव हो, इन मंत्रणा निकायों को उस विशेष अधिनियम में जिस के अन्तर्गत वे काम करते हैं, उचित स्थान दिया जाये ।

मेरे सामने यहां उद्योग मंत्रणा परिषद् को भेजे गये दो पत्र पड़े हैं । एक २१ अक्तूबर, १९५२ की तिथि का है तथा इस में उस विधेयक के बारे में, जिसे मैं ने पुरःस्थापन के बाद वापस ले लिया था, कहा गया है कि उस का आम तौर पर समर्थन किया गया है । दूसरा पत्र १२ मार्च, १९५३ को लिखा गया था । दुर्भाग्य से इसे इतना समर्थन प्राप्त नहीं हुआ । मेरे पास छः पत्र हैं जिन में से एक तो इस प्रस्थापना का पूर्ण समर्थन करता है, जब कि दूसरे पत्र में सदस्य विशेष ने अपनी असहमति को विभिन्न सीमाओं तक प्रगट किया है तथा विभिन्न मात्रा तक जोर दिया है । जैसा कि मैं ने कहा है कुछ मामलों में संघ के प्रधान ने उचित सीमा तक स्पष्ट उत्तर दिया है तथा व्यक्तिगत रूप से सदस्यों ने व्यवहार-कुशलता से काम लिया है । निस्सन्देह अन्त में सभी यह आशा करते हैं कि सरकार उस वातावरण जो इस समय सरकार तथा निजी उपक्रम के परस्पर सम्बन्धों के वातावरण को खराब करने का कोई प्रयास नहीं करेगी ।

डा० एस० पी० मुखर्जी : एक लाख रुपये की न्यूनतम सीमा के बारे में स्थिति क्या है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं ने बतलाया कि उस प्रश्न के बारे में विमोचन उपबन्ध द्वारा कार्यवाही की जायेगी । बहुत सम्भव है कि हम लगाई गई पूंजी की कम से कम सीमा को १ लाख रुपये पर ही निश्चित किय रखेंगे । यह पूंजी प्रपुंज रूप से अथवा 'शेयरों' के रूप से अथवा रक्षित पूंजी के रूप से रखी जा सकती है । यदि कुल पुंजी १ लाख रु० है तो बहुत सम्भव है कि हमें इन संस्थाओं में हस्तक्षेप करन की आवश्यकता नहीं रहेगी । एक विचारनीय बात यह है कि इस में कितना श्रम करना पड़ा है । हो सकता है कि किसी उद्योग में, जिस में मशीनों से अधिकाधिक काम लिया गया हो, कई लाख रुपये की वस्तुय बनाई जायें, परन्तु जिस में केवल दस व्यक्तियों को ही काम पर रखा गया हो । आज कल एसी सम्भावना हो सकती है । अतएव हमें नियमों को इस विचार से बनाना होगा कि उन में बाद में यदि पता चले कि उन से काम नहीं चलता परिवर्तन तो हो सकता है ।

परन्तु मैं इसे अपने सामने रखूंगा कि हम इस में बहुत छोटे उद्योगों को शामिल न करें क्योंकि जैसा कि माननीय सदस्य ने स्वयं बतलाया है कि प्रशासनीय उत्तरदायित्व बहुत अधिक होगा तथा कम से कम मैं इस समय उस उत्तरदायित्व को बढ़ाना नहीं चाहता ।

अब मैं कम्युनिस्ट पार्टी के माननीय कार्यवाहक नेता के भाषण के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । मैं ने उन की किसी बात का भी बुरा नहीं मनाया है । मैं स्वीकार करता हूं कि हम दोनों के उद्देश्य एक ही हैं । हमारा मतभेद केवल तरीके के बारे में है । हमें इस मतभेद का पता भी है । मेरी पहले से ऐसी आशा थी कि जिस प्रकार से मैं ने इस विषय को सुलझाने की कोशिश की है, उन से उन माननीय सदस्यों को कुछ निराशा होगी जिन्हें सम्भवतः ऐसा अनुभव होगा कि यह मंत्री विशेष अब ठीक मार्ग की ओर आ रहे हैं तथा कुछ साहस का प्रदर्शन कर रहे हैं, परन्तु जब बाद में, मैं अपने दृष्टिकोण का स्पष्टीकरण करना चाहता हूं, तो उन्हें निराशा का होना स्वाभाविक ही है ।

मैं समझता हूं कि राष्ट्रीयकरण के प्रश्न के सिवाय मुझे उन की किसी बात पर कोई आपत्ति नहीं है । मैं राष्ट्रीयकरण के अच्छे या बुरे होने के बारे में इस समय कुछ नहीं कहना चाहता, परन्तु उस सरकार का एक सदस्य होने के नाते जिस पर एक विधयक को राष्ट्रीयकरण के प्रयोजन से-प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का उत्तरदायित्व है, मैं नहीं कह सकता कि हम राष्ट्रीयकरण के विरोध में है । हम इस के विरोध में नहीं हैं । परन्तु वास्तविक प्रश्न ये है कि राष्ट्रीयकरण कब किया जाय, किस प्रकार के उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया जाय, कितनी तेज़ी से राष्ट्रीयकरण किया जाय तथा राष्ट्रीयकरण के उद्देश्य क्या हैं । अन्ततः यदि हम दोनों के उद्देश्य एक से हैं तो उन उद्देश्यों को उन तरीकों से उन्नत नहीं किया जा सकेगा जिन का हम अनुसरण कर रहे हैं । आखिर राष्ट्रीयकरण लक्ष्य-प्राप्ति का एक साधन है, स्वयं साध्य नहीं है । उद्योगों के प्रबन्ध को चलाने की वर्तमान व्यवस्था के स्थान पर नौकरशाही की व्यवस्था करन से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता । पूंजीपतियों द्वारा नियंत्रित अपने उद्योगों को भिन्न तरीके से चलाया जा सकता है । पूंजीपतियों द्वारा चलाये जा रहे अपने उद्योगों पर सरकार का नियंत्रण कुछ अधिक कठोर है । वस्तुतः मेरा अपना दृष्टिकोण यह है कि एक ऐसे वेतन प्राप्त व्यक्ति द्वारा चलाये जा रहे औद्योगिक व्यवसाय के मामले में जिस का वह निज का उद्योग न हो, राष्ट्रीयकरण क्यों न किया जाय । कारण यह कि यदि स्वामित्व बहुत से व्यक्तियों का है तो 'शेयर' जनसाधारण द्वारा लिये जाते हैं तथा भावी विकास के लिये हम जनसाधारण से पूंजी के प्राप्त करने की कामना करते हैं । अतएव यह विवाद केवल भाषा सम्बन्धी है तथा इस में मौलिकता कुछ नहीं है ।

मुझे कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यवाहक नेता के बहुत से सुझावों पर कोई आपत्ति नहीं है । उन्हों ने चीन में उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में किये गय प्रयोग की ओर निदश किया है । हम इसे अवश्य ही समझना चाहते हैं कि वहां इस काम को किस प्रकार से किया जा रहा है । इस का अर्थ यह है कि हम वहां के तरीकों को स्वीकार करते हैं, परन्तु राष्ट्रीयकृत उद्योगों के बारे में ---तथा वह इस देश के उद्योगों सम्बन्धी सम्पूर्ण योजना का एक भाग हैं-- हम यह जानना चाहते हैं कि चीन में क्या किया जा रहा है । मै चीन तथा सोवियत रूस में किये जा रहे प्रयोगों के विषय य भावुकता से काम नहीं लेता हूं ।

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

मैं मानता हूं कि मुझ माननीय मित्र के विचारों को सुन कर कुछ आश्चर्य हुआ कि वह कार्ल मार्क्स के विचारों के विरुद्ध बातें कर रहे हैं। कार्ल मार्क्स का विचार यह था कि पूंजीवाद का अन्त क्रमशः हो, छोटे एकक बड़ें एककों में विलीन हों तथा अन्त में बड़े एककों को समाप्त किया जाय। अन्ततः यदि हमारी समर्थता तथा योग्यता हुई तो हमारा उद्देश्य भी यही होगा। आज के दिन तो मुझे विश्वास नहीं पड़ता।

बैठन से पहले मैं श्री गुरुपादस्वामी द्वारा सरकार के बारे में कही गई बात के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। हो सकता है कि कारण इतना अस्पष्ट विचार न हों जितना कि अच्छी बातों को अपनाने की समर्थता हमारी मुख्य कठिनाई यही है। माननीय सदस्य ने काल्टेक्स का उल्लेख भी किया है। सरकार इतना ही कह सकती है कि जनता को तेल के साफ करने के इन कारखानों तथा उन के सम्बन्ध में किये गये कारखानों के बारे में ज्ञात ही है। हमें किसी बात को गुप्त रखने की आवश्यकता नहीं है। तथा यदि कोई रियायत दी जा रही है तो उसे जागरूकता से दिया जा रहा है। हमें ऐसा अनुभव हुआ कि देश के हितों में उन रियायतों को दिया जाना चाहिये।

माननीय सदस्य ने चाय बागान को सम्भाल लेन का मामला भी उठाया है। इस पर कुछ कहन का उचित समय तब होगा जब यह विषय सदन के सामने लाया जायगा। मैं न प्रवर समिति के सदस्यों को इस मामले की जांच करान का सुझाव दिया है। मैं इस बारे में तभी कुछ कहूंगा।

श्री खंडू भाई देसाई न श्री हिरेण मुकर्जी की तरह मुझ पर बचाव पक्ष की ओर होने का लांछन लगाया है। मेरा ो बचाव करन का स्वभाव ही हो गया है। मेरा स्वभाव शायद अब बहुत पक्का बन चुका है तथा यह मुझे आक्षेप करने से रोकता है। मैं समझता हूं कि विवक में ही सच्चा साहस है।

मुझे भय था कि निहित स्वार्थों के प्रमुख प्रवक्ता श्री तुलसी दास किलाचन्द विधेयक का समर्थन न कर दें जिस से कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यवाहक नेता मेरे माननीय मित्र को यह कहने का अवसर मिल जाय कि पूंजीपति तथा सरकार गुप्त रूप से परस्पर मिल गये हैं। मुझे यह जान कर आराम हुआ कि वह समर्थन नहीं कर रहे हैं।

मेरे मित्र ने धारा १० के सम्बन्ध में जिन कठिनाइयों का उल्लेख किया है मेरी आशंका है कि ये कठिनाइयां संशोधित विधेयक की शब्द रचना से उत्पन्न हुई हैं। मूल रूप में कोई बात नहीं है।

हिन्दी में बोलने वाले मेरे मित्रों के विषय म मुझे कुछ असुविधा है। हिन्दी के विरुद्ध मुझे कुछ नहीं कहना है किन्तु यदि हिन्दी का तात्पय यह है कि हम प्रसंगोचित नहीं बोलते हैं तो मैं समझता हूं कि हमारी स्थिति भविष्य में ठीक नहीं है।

श्री दामोदर मेनन की बात का अर्थ मैं भली भांति नहीं समझ सका। उन की इच्छा थी कि प्रस्तुत अधिनियम का उपयोग विदेशी समवायों द्वारा भारतीयों को नियोजित किये जान की पूर्ति का साधन बनाया जाय। मैं ने यह कभी नहीं कहा कि मेरे पास ऐसा करने के लिय पर्याप्त सत्ता नहीं है। केवल मुझे यह अनुभूति हुई कि मैं वहां जा कर उन से यह नहीं कह सकता कि आप अमुच व्यक्ति की पदवृद्धि कर दीजिये और व्यक्ति को नीचे कर दीजिये। मैं उन की अपीलें सुनने वाला पदाधिकारी नहीं हूं। गर-सरकारी उद्योग के लिये मैं लोक सेवा आयोग का काम

नहीं कर सकता। मैं किसी भी भारतीय को पीड़ित होते नहीं देख सकता और भारतीयों को पीड़ित करने से रोकने के लिये मेरे हाथों में पर्याप्त अधिकार हैं। किन्तु मुझे कोई कार्य पसन्द नहीं आये तो केवल उसी आधार पर मैं धारा १५ (ख) का, उस के संशोधित रूप में प्रयोग नहीं कर सकता। यह उचित नहीं है। यदि मैं किसी विदेशी को पसन्द नहीं करता हूं तो मैं उसे यहां से जाने के लिये कह सकता हूं किन्तु जब तक वह इस देश में है और जब तक उसे यहां व्यापार व्यवसाय करने की अनुमिति है उस के साथ औरों के समान ही व्यवहार किया जाना चाहिय।

इस दृष्टि से मेरे मित्र श्री बंसल के विचार सदा की भांति रचनात्मक हैं। उन का एक सुझाव है कि धारा १८ (क) में हम ने कहा है कि सरकार उद्योग का प्रबन्ध पांच वर्ष तक करेगी। किन्तु इस के बाद क्या होगा? इस की ओर मेरा ध्यान भी गया था किन्तु मेरे मित्र न निर्देश किया है कि इस में पोल रह गई है। कदाचित प्रवर समिति आवश्यकता होने पर सरकारी अधिकार को जारी रखने के उपायों और माध्यमों पर विचार करेगी।

मेरे माननीय मित्र ने छोटे छोटे उद्योगों की कठिनाइयों के विषय में कहा। जो भी पत्र मुझे प्राप्त होते हैं मैं उन में से प्रत्येक पर ध्यान देता हूं। किसी भी छोट उद्योग की वास्तविक कठिनाई की ओर ध्यान दिया जाता है। मैं केवल बड़े उद्योगपतियों का ही स्वागत नहीं करता हूं अतः इस दिशा में जो आरोप लगाया गया है वह उचित नहीं है। कठिनाई केवल यह है वे तार द्वारा अनुज्ञप्तियां प्राप्त करन के इच्छुक हैं।

उन का विचार है कि मुझ में दंभ की मात्रा है तथा म आदर्शवादी हूं। मुझे इस की कोई परवाह नहीं आप मुझे कुछ भी कहें। मैं दभी हूं अथवा आदर्शवादी इस का निर्णय मैं अपने उन दो माननीय मित्रों पर छोड़ देना चाहता हूं जिन का निहित स्वार्थों से निकट सम्बन्ध है।

अब मैं श्री गुरुपादस्वामी की बात पर आता हूं। यदि मैं ने हिन्दी के विषय में कुछ कहा है तो मुझे अंग्रजी के विरोध में भी कुछ कहना है। विदेशी भाषा अभिशाप है। हम इस भाषा का अर्थ भली भांति नहीं समझते हैं। श्री गुरुपादस्वामी का भाषण इस का उदाहरण है। उन्हों ने कहा कि सरकार के पास कोई नीति नहीं है और वह विभ्रान्त हैं। मेरा विचार है कि विभ्रान्त का कारण भाषा को न समझना है: मुझे नहीं मालूम कि भ्रांति उन्हें है अथवा मुझे या दोनों ही भ्रम में हैं। जैसा कि मैं ने डा० मुकर्जी द्वारा प्रस्तुत किये गये सुझावों के उत्तर में कहा था मेरा विचार है कि भारतीय समवाय अधिनियम को संशोधित करने के लिये नवीन विधयक के आने पर श्री गुरुपाद-स्वामी को निराशा नहीं होगी। उस में ब्रिटिश अधिनियम के समान ही उपबन्ध रहेंगे जिन के अनुसार अनुचित व्यवहार में प्रवृत समवायों के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जा सकेगी।

अन्त में, मैं इस विधयक की ओर सदन के सहिष्णुतापूर्ण दृष्टिकोण के लिये उस का आभार प्रदर्शित करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

कि उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ में संशोधन करन का विधेयक निम्न लिखित सदस्यों की एक प्रवर समिति को २९ अप्रैल १९५३ तक

[उपाध्यक्ष महोदय]

प्रतिवदन प्रस्तुत करन का अनुदेश दे कर सौंप दिया जाय :

श्री एन० वी० गाडगिल, प्रो० दीवान चन्द शर्मा, श्री बलवन्त सिंह महता, श्री गोबिन्द हरि देशपांडे, श्री फूल सिंह जी, बी० दाभी, श्री उपेन्द्र नाथ बर्मन, श्री जे० एन० पारिख श्री अब्दुस सत्तार, श्री एस० सी० देव, श्री भूपेन्द्र नाथ मिश्र, श्री भगवत झा 'आजाद', श्री राधे लाल व्यास, श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा, श्री के० जी० देशमुख, श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा, श्री राघवेन्द्र राव, श्री निवासराव दीवान, श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा, श्री जी० आर० दामोदरन, श्री सी० आर० बासप्पा, श्री रनबीर सिंह चौधरी, श्री त्रिभुवन नारायण सिंह, श्री श्रीचन्द सिंघल, श्री बैजनाथ कुरील, श्री चतुर्भुज वी० जसानी, श्री विश्म्भर दयाल त्रिपाठी, श्री बहादुर सिंह, श्री दुरगा चरन बैनर्जी, श्री मंगलगिरि नाना दास, श्री कमल कुमार बसु, श्री जी० डी० सोमानी, डा० इन्दु भांई बी० अमीन, श्री कन्डाला सुब्रह्मण्यम, श्री चोइथराम पी० गिडवानी, श्री त्रिदिब कुमार चौधरी, श्री बी० राजगोपाल राव, श्रीमती अनुसूया बाई काले, श्री पी० लक्ष्मय्या और प्रस्तावक।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं श्री एन० वी० गाडगिल को समिति का सभापति नियुक्त करता हूं ।

इसके पश्चात सदन की बैठक गरुवार दिनांक, २३ अप्रैल, १९५३ के सवेरे सवा आठ बजे तक के लिये स्थगित हो गई ।

GIPD—HS—445 PSD—11-1-54—0